भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

जनवरी 2018

खंड 72 अंक 1

संपादन समिति
जनक राज
गौतम चैटर्जी
राजीव रंजन

संपादक
सुनील कुमार

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादन समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडळ उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेख में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2018

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुन: प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया "भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन" खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से **http://www.bulletin.rbi.org.in** पर भी देखा जा सकता है।

विषयवस्तु

भाषण

वित्तीय प्रणाली और समष्टि अर्थव्यवस्था पर
कैफराल सम्मेलन: उदघाटन वक्तव्य
उर्जित आर पटेल 1

विनियमन और वित्तीय
स्थिरता
एन. एस. विश्वनाथन 5

लेख

भारत में किफ़ायती आवासन 13

वर्तमान सांख्यिकी **27**

हाल के प्रकाशन **70**

अनुपूरक

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट 2016-17 और
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2017

भाषण

वित्तीय प्रणाली और समष्टि अर्थव्यवस्था पर
कैफराल सम्मेलन: उदघाटन वक्तव्य
उर्जित आर पटेल

विनियमन और वित्तीय स्थिरता
एन. एस. विश्वनाथन

*वित्तीय प्रणाली और समष्टि अर्थव्यवस्था पर कैफराल सम्मेलन: उद्घाटन वक्तव्य**

उर्जित आर पटेल

1. आज सुबह आप के बीच आकर मुझे इस बात की अतीव प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने अवलोकनों और विचारों से आपको अवगत करा सकूंगा। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की थीम - "वित्तीय प्रणाली और समष्टि अर्थव्यवस्था" और प्रस्तुति के लिए निर्धारित आलेखों में उन बहुत सी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, जिनके साथ रिज़र्व बैंक जूझता रहा है। कहना अनावश्यक होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बारीक नजर रखने वाले कुछ सहभागियों को पहले से ही यह जानकारी हो गई होगी कि अब मैं सारतत्व के रूप में क्या कहने वाला हूँ, लेकिन बाकी को शायद यह मालूम नहीं होगा, और मेरा विश्वास है कि मेरे ये अभिमत उनके लिए सहायक होंगे।

2. भारत में हमारे लिए काफी घटना प्रधान सन् 2017 अब समाप्त होने के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण रूपान्तरण भी होने को हैं, यथा - मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों सहित नई मौद्रिक नीति का फ्रेमवर्क; उच्च मूल्यवर्ग के करेन्सी नोटों का विमुद्रीकरण; वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था की शुरुआत; दिवाला और ऋण-शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी); बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम का प्रवर्तन और सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों के लिए पुनर्पूंजीकरण की योजना। क्योंकि ये अहम परिवर्तन भारत के वित्तीय क्षेत्र के परिदृश्य को रूपाकार प्रदान करेंगे, इसलिए मैं इस अवसर पर संक्षेप में वर्णन करना चाहूँगा कि वे इस परिदृश्य को किस प्रकार से आकार प्रदान करेंगे।

3. समष्टि आर्थिक स्थायित्व को दृढ़ता प्रदान करना : हाल ही की अवधि में दो अहम गतिविधियां हो चुकी हैं। पहली यह कि भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक प्रयोजन स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है अर्थात संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कीमत में स्थायित्व लाना। दूसरे यह कि संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (2016) में परिभाषित इस लक्ष्य के अनुसरण में बेन्चमार्क नीतिगत दर निर्धारित करने के दायित्व सहित एमपीसी का गठन किया गया है। स्फीति की प्रत्याशाओं और परिणामों को आकार देने में नवीन मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क एक अहम भूमिका निभा रहा है। कुछ अवस्फीति चल रही है तथापि स्फीतिकारी प्रत्याशाएँ संभवतया फिर से स्थायित्व ले रही हैं, जो नए फ्रेमवर्क द्वारा अर्जित विश्वसनीयता का कुछ हद तक संकेत दे रहा है, लेकिन ये अभी आरंभिक दिन है और इसीलिए स्फीति के मोर्चे पर पर्याप्त सावधानी और सतर्कता अपेक्षित है। स्फीतिकारी दबावों को काबू में रखने में हाल ही में मिली सफलता को समष्टि आर्थिक स्थायित्व की प्रतिस्थापना के व्यापक संदर्भ में देखने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।[1]

4. इसके साथ ही चालू खाते का घाटा व्यवहार्य स्तरों के भीतर रहा, बाह्य अर्थक्षमता के अन्य संकेतक, यथा जीडीपी की तुलना में ऋणग्रस्तता के अनुपात और/अथवा आरक्षित निधियाँ भी स्वस्थ सुधार को प्रकट कर रही हैं। सरकार ने राजकोषीय समेकन का पथ चुना है और सरकारी देनदारी तथा जीडीपी का अनुपात क्रमिक रूप से घट रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखकर अन्तरराष्ट्रीय निवेशक उत्साहित हैं और यह पर्याप्त मात्रा में विदेशी निवेश के अन्तर्वाह से परिलक्षित होता है। इसी बीच विश्वव्यापी भू-राजनैतिक अनिश्चितता और वित्तीय बाज़ारों में अत्यधिक परिवर्तनशीलता में बढ़ोतरी के बावजूद स्वदेशी वित्तीय बाज़ारों ने जुझारूपन और स्थायित्व दिखाया है। इन गतिविधियों ने अप्रत्याशित आघातों के प्रति " बफर" तैयार करने में सक्षमता प्रदान की।

5. गैर-निष्पादक आस्तियों की समस्या पर काबू पाना : दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के सम्बन्ध में दिवाला और ऋण-शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण से इस संदर्भ में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश का प्रवर्तन और बाद में इस साल अगस्त माह में इसका अधिनियमन

* 7 दिसंबर 2017 को मुंबई में "वित्तीय प्रणाली ओर समष्टि अर्थव्यवस्था" पर आयोजित कैफराल सम्मेलन में उर्जित आर. पटेल, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण।

[1] सरकार अन्य बातों के साथ-साथ कुछ अहम खाद्य मदों पर कीमत के दबाव का प्रबंधन करने में सक्रिय रही है।

बहुत बड़ा सक्षमकारी तत्व रहा है। इससे रिज़र्व बैंक को यह प्राधिकार मिला और समाधान प्रक्रिया आरंभ करने हेतु निर्देश जारी किए जा सके; बैंकों के तुलनपत्रों में दबाव से निर्णायक तौर पर निपटने और संवृद्धि के चक्र को सहज बनाने के लिए क्रेडिट के प्रवाह की बाधा हटाने में रिज़र्व बैंक की क्षमता इससे बढ़ी है। आगामी वर्ष के दौरान हमें इस अवसर को लपकना होगा ताकि निगमगत ऋणों में अपचार से पैदा हुई कमजोर कर देने वाली समस्या से निपटा जा सके और अपने बैंकों को फिर से वित्तीय मध्यस्थता की मुख्य धारा में लाया जा सके। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार द्वारा हाल ही में तैयार की गई योजना यह सुनिश्चित करेगी कि उत्पादक क्षेत्रों (ऋण देने योग्य कर्जदारों) को मिलने वाले क्रेडिट प्रवाह बाधित नहीं हों और संवृद्धि के संवेग को बल मिले। बैंकों के बोर्डों को मजबूत करके, प्रबंधनवर्ग की नियुक्तियों में उद्देश्यपरकता लाकर और व्यावसायिक बोर्ड के लिए निर्णयों को विकेन्द्रित करके सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निगमगत अभिशासन को सुधारने के कदम उठाने का भी प्रस्ताव किया है।

6. रिज़र्व बैंक द्वारा चालित जोखिम आधारित पर्यवेक्षी प्रक्रिया में बैंकों के तुलनपत्रों में जोखिम को चिह्नित किया जाता है, जिसे उपचार हेतु संबद्ध संस्थानों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। विशिष्ट उल्लंघनों /नियमभंग के बारे में पहले प्रभावी प्रवर्तन और कार्यान्वयन में अंतराल रहता था। इस कार्य हेतु प्रवर्तन विभाग की स्थापना अप्रैल 2017 में की गई, ताकि कानून, नियमों और निर्देशों के उल्लंघन से निपटने के लिए नियम आधारित, सुसंगत फ्रेमवर्क तैयार करने के यह अपने अधिदेश पर ध्यान दे सके। ऐसी कार्रवाइयों के माध्यम से प्रत्यावर्तित प्रभावी निवारण से अपेक्षित है कि यह समग्र क्रेडिट संस्कृति को प्रबल बनाने में योगदान करेगा।

7. भारतीय अर्थव्यवस्था एक अहम मुकाम पर है। इस राजकोषीय वर्ष की पहली तिमाही में हमारी संवृद्धि के आंकड़ों ने कुछ एक को निराश किया होगा, लेकिन दूसरी तिमाही में इसने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया और गिरावट अब खत्म होने की तरफ है। यदि कोई दूर की तरफ नज़र डाले तो पाएगा कि संरचनागत परिवर्तनों के साथ आनेवाले अस्थायी व्यवधानों से मध्यम से दीर्घ अवधि के बीच दक्षता और संवृद्धि का प्रसार हो सकता है। उदाहरण के लिए वस्तु और सेवा करों की शुरुआत के साथ यही हुआ था। यह प्रतिलाभ बढ़ाएगा और इसका आशय होगा करों का बेहतर अनुपालन और अधिक दक्ष कराधान प्रणाली जो हमारी संवृद्धि को स्थायी तौर पर ऊपर की दिशा में ले जाएगी। इस सूची में हम एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार और जोड़ सकते हैं - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में पर्याप्त उदारता, जिसके कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों की तरफ से भारत में रिकार्ड निवेश किया गया।

8. अब हम भारत का रुख करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य में रखते हैं। आज हम सदा-वर्धमान वित्तीय वैश्वीकरण के जगत में रह रहे हैं। आज पूँजी प्रवाह का निरपेक्ष आकार विशाल है और नीति निर्माताओं को चिन्तित करने के लिए इसमें परिवर्तनशीलता भी है। वैश्वीकरण की वजह से सीमा-पार के बाजारों का तीव्रता से एकीकरण हुआ है, जिसमें प्रतिलाभ की तलाश में पूँजी का चपल और विशाल आदान-प्रदान हो रहा है (वर्तमान फैड पर निर्भर तथाकथित "अल्फा" और "बीटा")। वैश्विक संवृद्धि, व्यापार और कल्याण के नजरिए से अतिशय अर्जन तो हुआ है, लेकिन इसने जोखिमों को बढ़ा दिया है, अदम्य गुरुत्व और गति वाले वित्तीय संकटों के प्रति कमजोरी के लिए तो खासतौर पर। अब प्रश्न उठता है - क्या हम अति-वित्तीयकरण के परिवेश में हैं? हम कुछ आंकडे ले लेते हैं। सन 1980 और 2015 के बीच वैश्विक जीडीपी के प्रति वैश्विक बाह्य देयताएँ 30 प्रतिशत से बढ़कर 190 प्रतिशत हो गई हैं, जो वैश्विक व्यापार की संवृद्धि (इसी अवधि में जीडीपी के 19 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत) को काफी पीछे छोड़ देती हैं। इस नए वैश्वीकरण का प्रमुख वाहन रहा है सीमा-पार बैंकिंग प्रवाह, जिसने वित्तीय संकट से पहले के दशक में वैश्विक पूँजी प्रवाह के एक तिहाई हिस्से का निर्माण किया। इसी के सामानांतर राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार जानेवाली आपूर्ति श्रृंखलाओं और खासकर विकासशील विश्व के नए कारोबारियों के प्रादुर्भाव के माध्यम से वैश्विक व्यापार का नेटवर्क आपस में अधिकाधिक जुड़ता गया। उदीयमान बाजार और विकासशील देश एक साथ मिलकर वैश्विक व्यापार में 37 प्रतिशत (सन 2000 से अब तक 15 प्रतिशतता अंक अधिक) का योगदान करते हैं। भारत के सकल वित्तीय सीमा-पार प्रवाह भी (अन्तर्वाह और बहिर्वाह दोनों) बढ़े हैं - सन 2016-17 में जीडीपी का 47 प्रतिशत, जो 1990-91 में जीडीपी का 12 प्रतिशत थे। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जैसे सुस्थिर पूँजी प्रवाह जो स्वदेशी प्रतिष्ठानों में सापेक्षतया दीर्घकालिक हितलाभ सहित होते हैं, के अलावा विदेशी पोर्टफोलियो (इक्विटी और ऋण दोनों) पूँजी प्रवाह भी बढ़ा है, जिससे अर्थव्यवस्था (अन्य खुले उदीयमान बाज़ारों

सहित) बढ़ी हुई परिवर्तनशीलता और अचानक विराम अथवा व्युत्क्रमी जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

9. जिस प्रकार अन्य उदीयमान बाज़ारों की तरह - भारत भी निसंदेह वैश्वीकरण से लाभान्वित हुआ है, तो साथ ही हम इसके साथ आने वाली कमजोरियों के प्रति भी पहले की तुलना में अधिक अनावृत हो गए हैं। बाह्य विश्व पर हमारी बढ़ती हुई निर्भरता हमारी बाह्य देयताओं (ऋण और गैर-ऋण दोनों) की बकाया रकम से प्रकट होती है, जो मार्च 2005 में जीडीपी के 30 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2017 में 41 प्रतिशत हो गई है। भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (अर्थात् बकाया आस्तियों में से देयताओं को घटाकर) इस अवधि में जीडीपी के 7 प्रतिशत से बढ़कर जीडीपी का लगभग 17 प्रतिशत हो गई है। शेष विश्व के प्रति बढ़ती हुई निवल देयताओं द्वारा वित्तपोषित चालू खाते में सतत घाटे के दीर्घकालिक चरण के साथ यह सुसंगत ही है। विगत वर्षों के दौरान सीमाओं में राहत के साथ विदेशी पोर्टफोलियो पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई है (निश्चय ही पूँजी की दुर्लभता वाले देशों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाहों से निश्चित आर्थिक लाभों के संदर्भ में इसकी तारीफ करनी होगी)।

10. देश में आनेवाले और देश से बाहर जानेवाली पूँजी का आवागमन दूसरे देशों के नीतिगत चक्रों से अक्सर जुड़ा रहता है, जिससे अन्तरराष्ट्रीय नीति के प्रभावों के सामने चुनौती खड़ी हो जाती है। प्रत्येक नई अनपेक्षित घटना के साथ प्रभावक्षेत्र व्यापक होता जाता है, परिवर्तनशीलता उच्चतर हो जाती है और उदीयमान बाजार जिस मामूली सी सुरक्षा व्यवस्था का बन्दोबस्त करने में सक्षम होते है उसके दमन का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे जगत में कोई भी नीतिगत आजादी की हिफाजत कैसे करता है? क्या हमारे लिए सार्थक और गहन अन्तरराष्ट्रीय नीतिगत समन्वय जरूरी है? या फिर सार्वभौमिकता के स्थान पर रंगभेद की याद दिलाने वाले और बहुत कम देशों को वर्तमान में उपलब्ध असंयमित सुरक्षा के स्थान पर सार्वभौमिक वित्तीय सुरक्षा का नेट चाहिए। इसी बीच जो उदीयमान बाजार वैश्विक वित्तीय संकट के सामने पड़े उन्हें इस प्रकार के जोखिम को शेयर करने से प्रणालीगत रूप से वर्जित किया गया। इस विभाजित पद्धति को समाप्त करने और केवल विशेषाधिकार प्राप्तों की बजाए समान रूप से उपलब्ध स्वैप लाइनों तक सभी को पहुँच प्रदान करने का समय आ चुका है।[2] यद्यपि उदीयमान बाजारों ने हाल ही के वर्षों में हुई खलबली को सहन करके उससे उबरने की कुछ अवस्थाएं प्रकट की हैं, तथापि संक्रमणकालीन होते हुए भी कमजोर कर देने वाले वित्तीय अंतरालों को भरने और चलनिधि की दृष्टि से सुभेद्य बने रहे।[3] इस पृष्ठभूमि में विदेशी मुद्रा रिजर्व के रूप में पर्याप्त बफर का निर्माण इन जोखिमों से निपटने के लिए स्वाभाविक स्वत: बीमा करने जैसा है, इससे वित्तीय स्थायित्व के लिए खतरा पैदा करने वाले अनुमानित प्रणालीगत समानुपातों से जोखिमों से बचाव और इन जोखिमों से निपटने के लिए स्वाभाविक स्वत: बीमा करने जैसा है, इससे वित्तीय स्थायित्व के लिए खतरा पैदा करने वाले अनुमानित प्रणालीगत समानुपातों से जोखिमों से बचाव और इन जोखिमों का बेहतर प्रबंधन होता है। व्यापक स्वैप नेटवर्क के अभाव में प्रत्येक देश का समष्टि आर्थिक परिवेश नीतिगत उपायों के चयन की जानकारी देगा। ऐसी दशा में अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय स्थायित्व के लिए उस समय खतरा पैदा हो जाता है जब किसी एक देश में इस बफर की अपर्याप्तता के कारण पैदा हुआ संकट विश्वव्यापी समानुपात में बंट जाता है। इसी प्रकार पूंजी खाते को उदार बनाने के लिए कोई समान्य संहिता अथवा समरूपी पद्धति नहीं हो सकती है। तीव्र पूंजी प्रवाहों के प्रबंधन को सैद्धांतिक मुख्यधारा (और व्यवहार में भी) समष्टि विवेकपूर्ण टूल किट के परम्परागत तथ्य रूपी घटकों को कई प्रकार से शामिल करने की जरूरत है। वस्तुत: समष्टि-विवेकपूर्ण उपाय के रूप में विदेशी मुद्रा रिज़र्व के प्रयोग को हतोत्साहित करने का कोई भी प्रयास यह अनिवार्यता पैदा करेगा कि पूंजी प्रवाहों का प्रबंधन और भी सक्रियतापूर्वक किया जाए। सम्मेलन में आज और कल जो विमर्श होंगे शायद इस मामले में संवादों का निर्माण करें।

11. सम्मेलन में यह प्रयास किया जाए : इस प्रकार की नितियाँ कैसे प्रभावी हैं? क्या हम इन पर अल्पावधिक हस्तक्षेप के रूप में विचार करें अथवा दीर्घावधि नीतियों के रूप में।

12. आस्ति-बुलबुले से भी वित्तीय स्थायित्व खतरे में पड़ता है। प्रतिलाभ की तलाश कर रहे निवेशक-स्वदेशी और विदेशी दोनों - आस्ति बाजारों में खुदबुदाहट को प्रेरित (योगदान) कर

[2] इस संदर्भ में एक बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और वह यह है कि इस नेटवर्क में जो अर्थव्यवस्थाएँ/केन्द्रीय बैंक विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य है उन्हें (निहितार्थ और अनजाने ही) अविचारी रहने की प्रेरणा मिल जाती है या वे ऐसी नीति का अनुसरण करते हैं जो वैश्विक कल्याण की दृष्टि से उपयोगी नहीं होती, दूसरे शब्दों में कहें तो शायद नैतिक खतरा बढ़ जाता है।

[3] हिस्टेरेसिस के कारण वास्तविक अर्थव्यवस्था के निहितार्थ गहरे और टिकाऊ हो सकते हैं।

[4] देशों का नाम रखते हुए उन्हें लज्जित करने की परिपाटी के बारे में विचारपूर्वक फिर से सोचने की जरूरत है, जैसे कि "मुद्रा जुगाड़ करने-वाले"; क्योंकि इसके पीछे का आर्थिक तर्क संदेहजनक है।

सकते है। मौद्रिक नीति का निर्धारण करते समय केन्द्रीय बैंकर्स आस्ति बाजारों में इस बुदबुदाहट पर कितना ध्यान दे सकते हैं?

13. आस्ति बाजारों और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच सम्पर्क एक अन्य क्षेत्र है जिसमें केन्द्रीय बैंकों को ध्यान बनाए रखना होता है। यद्यपि यह मामला संभवतया वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान सामने आया तथापि गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से इन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था और चैनल मौद्रिक नीति के लिए बुनियादी महत्व के होते हैं।

14. नीति निर्माताओं के लिए इसी से जुड़ा हुआ चिन्ता का स्रोत है - स्फीति का प्रबंधन। वैश्विक रूप से खासकर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्फीति के कारकों को निर्धारित करने में अनिश्चितता बढ़ रही है। क्या हमें मौद्रिक संचारण व्यवस्था के ही बारे में फिर से सोचने की जरूरत है या फिर नीति और स्फीति के बीच पारंपरिक सम्पर्क में हालिया कमजोरी एक अस्थायी लक्षण है?

15. इस सम्मेलन में बहुत से आलेखों में इनमें से कुछ विषयों पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि सफल विचार-विमर्श हों जो इस विषय पर सिर्फ इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे बल्कि उम्मीद है कि नीति की गहनता पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे।

16. धन्यवाद।

*विनियमन और वित्तीय स्थिरता**

एन. एस. विश्वनाथन

मर्चेन्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री के प्रेसिडेन्ट श्री हेमन्त बांगड़, यूनाइटेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ श्री पवन बजाज, मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य सज्जनो, प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियो, देवियो और सज्जनो। इस गरिमामयी सभा के समक्ष ''विनियमन और वित्तीय स्थिरता'' के बारे में अपने विचार रखते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय प्रणाली और बाज़ारों को उचित विनियमों के अंतर्गत काम करना ही चाहिए। इसीलिए वित्तीय क्षेत्र के विवेकपूर्ण विनियमन और समष्टि आर्थिक नीतियों में स्थिरता का प्रावधान होना चाहिए। कुछ दिशाओं से यह चिंता भी की गई कि वैश्विक मानक स्थापित करने वाले निकायों ने बहुत कठोर विनियमन आरंभ कर दिए हैं। हमें यह समझना ही होगा कि वित्तीय संकट की बहुत कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप सभी जानते हैं कि कुछ भागों में विश्व अभी लगभग एक दशक बाद भी संकट के प्रभावों को महसूस कर रहा है।

इसलिए जब वित्तीय स्थिरता की बात आती है तो यह कहावत पूरी तरह लागू होती है कि सौ दवाओं से एक परहेज भला।

वैश्विक संकट के बाद वित्तीय स्थिरता को आर्थिक नीति और विनियमन के सेन्टर स्टेज पर ला खड़ा किया गया। इस संकट ने प्रचुरता से यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक वित्तीय संस्था की वित्तीय प्रबलता प्रणालीगत क्षमता में कोई अभिवृद्धि नहीं करती है। जब संकट सामने आया तो यह साफ दिखाई दिया कि लगभग प्रत्येक वित्तीय संस्था ने उल्लेखनीय पूँजी पर्याप्तता की रिपोर्ट दी। इससे नीति निर्माताओं को यह सोचना पड़ा कि व्यष्टिगत विवेकपूर्ण विनियम किसी वित्तीय प्रतिष्ठान की मजबूती को निर्धारित करने में मदद करते हैं, लेकिन इनके साथ पर्याप्त समष्टिगत विवेकपूर्ण विनियम और प्रणाली विरुद्ध जोखिम उपाय किए जाने चाहिए अन्यथा प्रणालीगत स्थिरता को जोखिम हो सकता है।

जैसा कि डॉ. सुब्बाराव ने अपनी पुस्तक 'Who Moved by Interest Rate' में लिखा है कि वित्तीय स्थिरता को परिभाषित कर पाना कठिन है, लेकिन जब वित्तीय अस्थिरता होती है तो कोई भी इस पर विचार कर सकता है। वित्तीय स्थिरता को विभिन्न चैनलों से प्रभावित किया जा सकता है। यह वित्तीय संस्थागत चैनल से हो सकता है, बाजार, फोरेक्स और यहाँ तक कि व्यापारिक चैनलों के माध्यम से भी हो सकता है, खासकर तब जब कि विश्व अर्थव्यवस्था अधिकाधिक वैश्वीकृत और अन्त: संयुक्त होती जा रही है।

वित्तीय प्रणाली को मात्र व्यष्टि विवेकपूर्ण विनियमों से बदलकर समष्टि विवेकपूर्ण विनियमों की तरफ ले जाने की पद्धति के लिए एक ऐसे मंच की जरुरत है जिस पर सभी क्षेत्रीय नियामकों और आर्थिक नीति निर्माताओं को एक साथ लाया जा सके। यह अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन नियामक और आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया जाता है वे वित्तीय संस्थाओं की सिर्फ आघात सहने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए ही अशंकित नहीं है बल्कि इनमें वित्तीय स्थिरता की चिन्ताओं से निपटने की समग्रता भी है। संयुक्त राज्य में डॉड फ्रैन्क एक्ट ने फाइनान्शियल सेक्टर ओवरसाइट कमिटी (FSOC) का गठन एकछत्र निकाय के रुप में किया। वित्तीय अस्थिरता की तरफ ले जा सकने वाले विभिन्न चैनलों को स्वीकार करते हुए और इस तथ्य को मानते हुए कि वित्तीय प्रणाली के विभिन्न हिस्सों का विनियमन अलग-अलग नियामकों द्वारा किया जाता है - भारत सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) गठित की है जिसमें सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा वित्तीय क्षेत्र के अन्य नियामकों को सदस्य के तौर पर लिया गया है। आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता और वित्तीय क्षेत्र के अन्य नियामकों के चेयरमैन की सदस्यता वाली एफएसडीसी उप समिति की बैठकें बार-बार होती हैं और यह अपनी रिपोर्ट एफएसडीसी को प्रस्तुत करती है। एफएसडीसी की उपसमिति और एफएसडीसी द्वारा अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली की गतिविधियों, विभिन्न चैनलों से वित्तीय स्थिरता को जोखिम की समीक्षा की जाती है और स्थिति से निपटने के लिए यथोचित अपेक्षित उपाय किए जाते हैं। एफएसडीसी उपसमिति को सचिवालय सेवाएं आरबीआई द्वारा दी जाती हैं और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का छमाही प्रकाशन किया जाता है। इस वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में वित्तीय प्रणाली की वर्तमान स्थिति, वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकने वाले संभावित स्रोतों के अन्त:सम्पर्कों की सीमा का विश्लेषण किया जाता है। वित्तीय प्रणाली की

* यह भाषण श्री एन.एस. विश्वनाथन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 13 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में आयोजित मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के विशेष सत्र में दिया गया था।

कमजोरियों को समझने के लिए सर्वांगीण जोखिम आकलन बहुत अहम है।

इसका आशय है कि वित्तीय संस्थानों की मजबूती सुनिश्चित करने के अलावा यह भी अनिवार्य है कि विभिन्न आर्थिक आघातों के प्रति प्रणाली की सहनशीलता का भी आकलन किया जाए। इसीलिए वैश्विक रुप से केन्द्रीय बैंकों ने स्वीकार्य लेकिन नाजुक आर्थिक स्थितियों में समूची प्रणाली के दबाव-परीक्षण आरंभ कर दिए है। आरबीआई इस प्रकार के दबाव परीक्षण करता है और इनके परिणामों का प्रकाशन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में किया जाता है। रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भी दबाव परीक्षण करें और परिणामों को अपनी आंतरिक पूँजी आकलन में प्रयुक्त करें।

मैं अपनी बात यह कहते हुए शुरु करता हूँ कि यह जरूरी नहीं है कि मज़बूत वित्तीय संस्थाएं वित्तीय स्थिरता की तरफ ले जाएं। वित्तीय स्थिरता के लिए मजबूत और आघात सहन करने वाली वित्तीय संस्थाएं पर्याप्त नहीं होती हैं बल्कि यह तो अनिवार्य शर्त होती है। इसीलिए यह सर्वमान्य है कि समुत्थानशील वित्तीय प्रणाली, अधिक बारीकी से कहें तो बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और ये अन्य चैनलों से पैदा होने वाली वित्तीय अस्थिरता के विरुद्ध चहारदीवारी का काम करती हैं। इसी तरह वर्ष 2007-08 में हुए वित्तीय संकट जैसे संकट से बचाव के लिए अन्य प्रयासों के अलावा जी-20 ने बासेल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन (बीसीबीएस) को अधिकार दिए कि ऐसा विनियामक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जो बैंकिंग प्रणाली को समुत्थानशील और मजबूत बनाने में मदद करे। इस संकट के कारण वैश्विक वित्तीय संरचना के साथ-साथ विनियम बनाने के लिए संस्थागत संरचना में भी बदलाव की जरुरत पड़ी। इससे जी-20 देशों को समाहित करने के लिए बीसीबीएस का विस्तार किया गया और इसमें भारत को भी बीसीबीएस का सदस्य बनाया गया और वित्तीय स्थिरता बोर्ड स्थापित हुआ। बेशक, जैसा कि डॉ.सुब्बाराव ने अपनी प्रसिद्ध किताब में उल्लेख किया है, भारत और अन्य ईएमई देशों को सामान्यतया वोट का अधिकार तो मिलता है लेकिन आवाज उठाने का नहीं। लेकिन धीरे-धीरे यह बदल रहा है और कुछ हद तक ईएमई देशों की बात को भी सुना जा रहा है। जी-20 समूह द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रतिसाद में बीसीबीएस ने नए विनियम तैयार किए जिन्हें आमतौर पर बासेल-III विनियमावली कहा जाता है।

बासेल-III नियमावली द्वारा विनियामक फ्रेमवर्क में किए गए परिवर्तनों के बुनियादी तत्त्वों को समझने के लिए उन आधारभूत मुद्दों की रुपरेखा देखना उपयोगी होगा, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संकट के दौरान वित्तीय प्रणाली में पाई गईं।

(ए) बैंकिंग प्रणाली की उच्च लीवरेज पर उच्च सीआरएआर का मुखौटा लगा दिया गया। उच्च दरों वाली प्रतिभूतिकृत लिखतों में निम्न कोटि की आस्तियों को लपेटकर बैंकों ने उच्च सीआरएआर दर्शाई, जबकि वे अति लीवरेज स्थिति में बने रहे।

(बी) अपनी आस्तियों के निधीयन और पुनर्वित्तीयन के लिए बाजार से उधार लेने पर अत्यधिक निर्भरता; अन्तर्निहित आस्तियों में चूक होने के कारण बंधक समर्थित प्रतिभूतियां जब डाउनग्रेड हुईं तो नकदी की आपूर्ति समाप्त हो गई।

(सी) अनुषंगियों (एक प्रकार से शैडो बैंकिंग प्रतिष्ठान) का प्रयोग करते हुए ऐसे क्रियाकलाप करना जो बैंक के भीतर से किए जाते तो अधिक विनियमित रहते, इस प्रकार विनियामकीय क्रय-विक्रय का सृजन हुआ।

(डी) पूंजी की हानि-अवशोषक-क्षमता कमजोर रही, यह देखते हुए कि पूँजी का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिस्सा ही हानि अवशोषक प्रकृति का नहीं हो सकता है (टीयर-II)।

(ई) कभी विफल नहीं हो सकने वाले बड़े बैंकों को लोक-निधि में से बेल-आउट की जरुरत पड़ी। इसलिए बहुत बड़े और अन्त: संयोजित प्रतिष्ठान भी महंगे पड़ जाते हैं।

(एफ) क्रेडिट रेटिंग पर निर्भरता से संभारित अव-पूंजीकरण हुआ।

(जी) क्रेडिट जोखिम हेतु अपनी पूंजी अपेक्षाओं के निर्धारण हेतु बहुत से बैंकों ने आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) प्रणाली अपनाई और आईआरबी तो मॉडल आधारित होती है। इसलिए सम्पूर्ण तुलन पत्र ही मॉडल जोखिम के प्रति अनावृत हुआ।

इस पृष्ठ भूमि में अब हम बासेल-II में किए गए प्रमुख बदलावों को देखते हैं:-

1. यह अनिवार्य किया जाए कि पूँजी की कोटि और मात्रा में सुधार हो ताकि बैंकों और बैंकिंग प्रणाली को उच्चतर हानि सहन करने लायक बनाया जा सके जो संभावित जोखिमों के आघातों को झेल सके। इसलिए विनियामक पूँजी व्यवस्था में तीन बुनियादी बदलाव किए गए:-

   (ए) यह निर्धारित किया गया कि 8 प्रतिशत सीआरएआर में से न्यूनतम 4.5 प्रतिशत सामान्य इक्विटी टीयर-I सम्पूर्ण हानि अवशोषक क्षमता वाली होगी।

   (बी) पूंजी संरक्षण हेतु 2.5 प्रतिशत बफर के अलावा प्रतिचक्रीय पूंजी हेतु 2.5 प्रतिशत बफर के रुप में दो अतिरिक्त बफर निर्धारित किए गए। अर्जन वितरण पर प्रतिबंध रखते हुए संकट के समय पूंजी संरक्षण बफर को रन-डाउन किया जा सकेगा।

   (सी) बैंक को टीयर-I (एटी-I) के अतिरिक्त बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई लेकिन हानि अवशोषण के प्रबल फीचरों सहित।

2. वैश्विक और स्वदेशी स्तरों पर इतने बड़े कि विफल नहीं होंगे - प्रकार के बैंकों की पहचान हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। जीएसआईबी (वैश्विक स्तर पर सर्वांगीण रुप से महत्त्वपूर्ण बैंकों और डीएसआईबी (स्वदेशी स्तर सर्वांगीण रुप से महत्वपूर्ण बैंकों) से अतिरिक्त पूँजी के अलग-अलग स्तर रखना अपेक्षित है, ताकि यदि वे विफल होते है तो वे स्वयं को उबारने के लिए लोक-निधियों का प्रयोग करने से बच सकें और उनके तुलनपत्रों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी न हो। जीएसआईबी से यह भी अपेक्षित रहा कि वे टीएलएसी (कुल हानि अवशोषक क्षमता) लिखत जारी करें, जिन्हें जरुरत पड़ने पर इक्विटी में बदला जा सके।

3. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ संकट के समय बैंकिंग प्रणाली के कई फीचरों में से एक यह भी था कि निधियों के लिए बाजार से उधार लेने पर अत्यधिक निर्भरता रही। संकट का पहला ट्रिगर यह था कि इन बैंकों में से एक अपनी देयताओं के लिए वित्त जुटाने में अक्षम रहा क्योंकि अंतर्निहित आस्तियां डाउनग्रेड हो गईं। हैरानी की बात यह है कि उस समय आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली रखने के अलावा वैश्विक रुप से चलनिधि का कोई मानक नहीं था। बीसीबीएस ने महसूस किया कि नकदी का अभाव किसी भी बैंक को खोखला कर सकता है और उसे दिवालिएपन की तरफ धकेल सकता है। इसीलिए बासेल-III सुधारों के एक भाग के तौर पर चलनिधि मानकों का निर्धारण किया गया। ये सुधार थे - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल सुस्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)। बैंकों के पास अपनी देयताओं के संबंध में होने वाली मांग को पूरा करने और दबावग्रस्तता की स्थितियों में 30 दिन की अवधि के लिए उच्च कोटि की चलनिधि पर्याप्त मात्रा में है, एलसीआर से यह सुनिश्चित हो जाता है। एनएसएफआर में अपेक्षित है कि बैंकों के पास एक वर्ष की समयावधि के लिए अपनी आस्तियों और अपने क्रियाकलापों के चलनिधि लक्षणों के आधार पर स्थायी वित्तीयन की न्यूनतम रकम है। इससे निधीयन और रोलओवर के जोखिम कम हो जाएंगे। हमें हमारी एसआरआर अपेक्षाओं के प्रति आभारी होना चाहिए जिनके चलते एलसीआर अपेक्षाओं को पूरा करने में भारतीय बैंकों को कोई कठिनाई नहीं हुई।

4. आस्ति पक्ष में उच्च दर वाली लिखतों की गहनता के कारण बैंक उच्च सीआरएआर के साथ अपनी उच्च लीवरेज को छिपाने में सक्षम हुए। आस्तियों की कोटि डाउनग्रेड होते ही पूँजी की अपर्याप्तता सामने आ गई। इस संभावना के निवारण की दृष्टि से बासेल समिति ने लीवरेज अनुपात भी निर्धारित कर दिया। इसका आशय यह हुआ कि भले ही बैंक की आस्तियों के लिए शून्य जोखिम भार दिया गया हो, अब उस पर कुछ निषेध रहेगा, जबकि एक मात्र सीआरएआर पद्धति में इसने अपरिमित लीवरेज की क्षमता दे दी होती।

5. प्रतिभूतिकरण पर विभिन्न विनियामकीय बदलाव किए गए हैं। इन परिवर्तनों में सरल, पारदर्शी और मानकीकृत (एसटीएस) प्रतिभूतिकरण के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित करना शामिल है। एसटीएस के

अनुरुप नहीं होने वाले प्रतिभूतिकरण सौदे के लिए उच्चतर पूँजी निर्धारित है, ताकि बैंक के तुलनपत्र से निकलने वाली असत्य बिक्री को रोका जा सके और इस प्रकार के लेन देन हेतु पूँजी अपेक्षाओं को मजबूत किया जा सके।

6. बासेल समिति भी यथासंभव पूँजी अपेक्षा निर्धारित करने के लिए आंतरिक मॉडल आधारित पद्धति के प्रयोग को समाप्त करने की दिशा में बढ़ रही है। यह तीन प्रकार से किया जा रहा है (क) विभिन्न प्रकार के एक्सपोजरों के लिए आईआरबी के प्रयोग को निषिद्ध करना (ख) मानकीकृत पद्धति को मजबूत करना और (ग) जहाँ आईआरबी का प्रयोग होता हो, वहाँ विनियामक आधार निर्धारित करना, ताकि इस मॉडल के प्रयोग से जोखिम के कारण कम पूंजीकरण की संभावना कम-से-कम हो।

इसके अलावा बाजार जोखिम सहित अन्य बदलाव भी हुए, जिनके लिए मैं समझता हूँ कि मुझे विस्तार से बताने की जरुरत है।

सिर्फ प्रबल विनियमों के माध्यम से वित्तीय स्थिरता प्राप्त नहीं की जा सकती। इनके साथ प्रभावी पर्यवेक्षण भी होना चाहिए। संकट पूर्व के दिनों में बहुत से अधिकार क्षेत्रों में लाइट-टच पर्यवेक्षी और विनियमन पद्धति प्रचलन में थी। इस प्रकार विनियमन अधिकतर, अनुपालन या स्पष्ट करें और पर्यवेक्षण कम गहन प्रकार के थे। लाइट टच विनियामक और पर्यवेक्षी प्रकार की ये पद्धतियॉ बैंकिंग प्रणाली के एक कारण के रुप में भी देखी गईं। वैश्विक संकट ने यह सब बदल दिया और अधिक 'हैन्ड्स ऑन' विनियमन तथा गहन पर्यवेक्षण की तरफ बढ़ना जारी है। लेकिन भारत में रिज़र्व बैंक विनियमों और पर्यवेक्षण के लिए काफी पहले से 'हैन्ड्स ऑन' ही है।

7. हमने भारत में बासेल-III विनयमों को अपनाया है और वैश्विक समय सारणी के अनुक्रम में बैंकों से अपेक्षित है कि 31 मार्च 2019 तक पूरी तरह से बासेल-III को अंगीकार कर लें। जब कभी भी हम भारत में बैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो ऐसा विचार व्यक्त किया जाता है कि हम अपेक्षित वैश्विक मानदंडों की तुलना में कठोर मानदंड लागू करते हैं। इस धारणा की पुष्टि स्वरूप जो तर्क दिए जाते हैं, उनमें बहुधा इस बात का उल्लेख किया जाता है कि बासेल नियमावली में निर्दिष्ट 8 प्रतिशत सीआरएआर की तुलना में 9 प्रतिशत सीआरएआर का निर्धारण किया गया है। यहाँ मुझे यह स्पष्ट करना होगा जैसा कि किसी एक वर्किंग पेपर[1] में विस्तार से बताया भी गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर अन्य कारकों के साथ यह एक प्रतिशत अधिक सीआरएआर विनियामक पूँजी को भारतीय हालात के अनुसार कैलिब्रेट करने हेतु है, जो इस बारे में समसमान रुप से रेटेड अन्तरराष्ट्रीय जोखिमों से अलग रखते हुए एक विशेष क्रेडिट रेटिंग पर आधारित जोखिमों के लक्षणों के लिए किए जाते हैं। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि विनियामक पूँजी अनिवार्यतया अनपेक्षित हानि की भरपाई करने के लिए होती है। इसलिए ऐसा कैलिब्रेशन अपेक्षित है। जिन्हें इस बारे में रुचि है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप आलेख-I अवश्य पढ़िए जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूँ। संयोगवश 4.5 प्रतिशत के मुकाबले 5.5 प्रतिशत का उच्चतर सीईटी-I अनुपात एक अन्य बहुधा उल्लेख किया जाने वाला 'विचलन' है जो कि 9 प्रतिशत सीआरएआर का ही एक डेरिवेटिव है।

8. एक अन्य क्षेत्र में भी हमारे विनियमों को मानकों की तुलना में कठिन बताया जाता है, और वह है एसएलआर और एलसीआर दोनों को बनाए रखना। आप जानते ही होंगे कि हमने क्रमिक रुप से एसएलआर को कम किया है और अनुमति दी है कि एसएलआर के 11 प्रतिशत की गणना एलसीआर के रुप में कर ली जाए। इस प्रकार इसका प्रभाव मृदुल हो जाएगा। इसके अलावा हमें यह कार्य क्रमिक रुप से करना होगा, खासकर इसे दृष्टिगत रखते हुए कि यदि एसएलआर से प्रतिलाभ को अचानक ही कम कर दिया गया तो सरकारी प्रतिभूतियों में ऊर्ध्वगामी संचलन के कारण होने वाली अस्थिरता से बचा जा सके।

[1] आरबीआई वर्किंग पेपर श्रृंखला 2017 - टिस्क-वेटिंग अंडर स्टैडर्डाइन्ड एप्रोच ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल फॉर क्रेडिट टिस्क इन बासेल फ्रेमवर्क - एन एनालिसिस ऑफ डिफॉल्ट एक्सपीरियंस ऑफ क्रेडिट टेटिंग एजेंसिज इन इंडिया।

9. हमने बैंक से अपेक्षा की है कि लीवरेज अनुपात को लागू किया जाए और उन्हें यह संकेत दिया है कि हम 4.5 के अनुपात पर उनकी निगरानी करेंगे। इसमें अधिक विचार इस तथ्य का है कि वैश्विक मानकों की दृष्टि से भी ओवर-लीवरेज होने से पहले ही बैंक सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम रहें और यह भी कि वर्तमान में समूची प्रणाली में व्याप्त औसत लीवरेज अनुपात से आगे नहीं बढ़ने का आदेश बैंकों को दिया जाए।

10. कारोबार के लिए यह स्वाभाविक है कि प्रबल रुप से विनियमित परिवेश से कम विनियमित परिवेश की तरफ बढ़ा जाए। यही कारण है कि बैंकिंग प्रणाली अधिक विनियमित रही जबकि फर्में कम विनियमित परिवेश की तरफ बढ़ीं। जब कम विनियमित अथवा अविनियमित परिवेश में वित्तीय मध्यस्थता होती है, यहाँ तक कि बैंक भी ऐसा करने के लिए अनुषंगी मॉडल को खास तौर पर अपनाते हैं, तो वित्तीय प्रणाली पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। शैडो बैंकिंग प्रतिष्ठानों को ऐसे वित्तीय मध्यस्थों के रूप में परिभाषित किया गया है जो विनियामक निगरानी के बिना क्रेडिट सृजन सुविधा देने में लगे होते हैं। इसीलिए वैश्विक स्तर पर बैंकों के लिए समष्टि और व्यष्टि विवेकपूर्ण विनियमन को सशक्त बनाने के उपायों के साथ शैडो बैंकिंग प्रणाली पर बेहतर नियंत्रण के प्रयास भी शामिल किए गए। प्रयास इस दिशा में भी हुए कि शैडो बैंकिंग प्रतिष्ठानों की मैपिंग करके एक विनियामक व्यवस्था कायम की जाए। रिज़र्व बैंक भी वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा संचालित कार्यों में शामिल होता है और उसे आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। भारतीय संदर्भ में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करती हैं तथा न्यूनतम पूँजी और ऋण अपचार पर ध्यान देने के लिए इन पर काफी सख्ती से नियंत्रिण किया जाता है।

11. यह भी देखा गया कि संकट के दौरान लेखांकन फ्रेमवर्क, खासकर वित्तीय विवरणी में दिखाए जाने वाले वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य के आंकलन में, वित्तीय संस्थानो की सही और उचित छवि प्रकट नहीं हुई। इसलिए तुलन-पत्र और लाभ हानि लेखा दर्ज करने हेतु वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) को अपनाने के प्रयास हो रहे हैं। भारत में भी हम बैंकों के लिए लेखांकन पद्धति के रूप में भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने की तरफ बढ रहे हैं और हम सभी हिस्सेदारों से आगामी संवाद कर रहे हैं।

12. हाल ही में साइबर जोखिमों के प्रति वित्तीय संस्थानों की कमजोरी का खतरा निहायत ही बढ गया है। विगत में प्रौद्योगिकी का प्रयोग बैंकों में बढ़ने के परिणामस्वरुप ऐसा हुआ। साइबर जोखिमों से सहज ही प्रभावित होने से न केवल वित्तीय संस्थान खतरे में पड़ जाते हैं, बल्कि साइबर जोखिम निधियों, डाटा की चोरी, आईटी प्रणालियों का नष्ट-भ्रष्ट होना आदि रुपों में होते हैं, जो सामान्य परिचालनों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वैश्विक स्तर पर अपर्याप्त साइबर सुरक्षा को वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरे के रुप में अंकित किया गया है। प्रबल साइबर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के महत्त्व को समझते हुए रिज़र्व बैंक ने इस बारे में बैंकों को विस्तृत विनियम जारी किए हैं। रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिक प्रा. लिमिटेड के नाम से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी एक आईटी अनुषंगी इकाई स्थापित की है ताकि साइबर जोखिम प्रबंधन के विनियमों को समुचित रूप से लागू करने में सहायता मिल सके और पर्यवेक्षी पद्धति के एक भाग के तौर पर विनियमित प्रतिष्ठानों की आईटी प्रणालियों की गुणवत्ता का आकलन किया जा सके।

13. भारत में यह पाया गया है कि कुल जोखिमों की प्रतिशतता के रूप में एनपीए की मात्रा बड़े खातों में अधिक है। अत्यधिक लीवरेज वाले कारपोरेट सेक्टर से सर्वांगी जोखिम पैदा होते हैं। वैश्विक रुप

से बड़े जोखिमों को काबू में करने के प्रयास हो रहे हैं और हमने भी बड़े जोखिम मानदंडों को वैश्विक मानकों के अनुरूप कर लिया है। इसके अलावा, बैंक तुलन-पत्रों को जोखिम मुक्त करने की दृष्टि से और बड़े कर्जदारों को पूँजी बाजार की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने कतिपय परिस्थितियों में बडे कर्जदारों को उच्चतर जोखिम भारांक दिए हैं।

14. वित्तीय स्थिरता को प्रबल बनाने के लिए मैंने विवेकपूर्ण उपायों के प्रयोग का उल्लेख किया था। आरबीआई ने इन उपायों का प्रयोग तब कर लिया था जब इनका प्रचलन ही नहीं था। बाजार में उठने वाले बुलबुलों से सहज ही प्रभावित हो जाने वाली आस्तियों के लिए एक्सपोजर हेतु उच्चत्तर जोखिम भारांक और उच्चत्तर मानक आस्ति प्रावधानीकरण एक ऐसा ही उदाहरण है। इसलिए हमने पूँजी बाजार एक्सपोजर और वाणिज्यिक भूसम्पदा हेतु उच्चत्तर जोखिम भारांक, हेज रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए अतिरिक्त पूँजी, आदि रखे हुए हैं। गिरवी आधारित कर्जों के लिए कर्ज - मूल्य अनुपात (एलटीवी) नामक एक अन्य बृहद् विवेकपूर्ण उपाय का प्रयोग विशेष रुप से किया जाता है।

15. वित्तीय प्रणाली में अन्त: सम्बद्धता के कारण पैदा होने वाले व्यापक जोखिमों से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ सकल अन्तर-बैंक देयताओं और क्रॉस-होल्डिंग पर विवेकपूर्ण सीमाएं, जटिल क्रियाकलापों और उत्पादों के एक्सपोजर पर प्रतिबंध, वित्तीय संगुटों की निगरानी, उभयनिष्ठ एक्सपोजरों की निगरानी (संवेदनशील क्षेत्र), सेन्ट्रल पार्टियों तथा कारोबारी रिपॉजिटरियों के जरिए ओटीसी लेन-देन में पारदर्शिता बढाना और जोखिम कम करना और गैर बैंकिंग वित्तीय प्रतिष्ठानों के लिए पर्यवेक्षी तथा विनियामक फ्रेमवर्क को मजबूत करना शामिल हैं।

16. जब भी कोई भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में बात करता है, तो दबावग्रस्त आस्तियों का मुद्दा सामने आ जाता है। बेशक, भारत में बैंकिंग प्रणाली में खास तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या गंभीर चिंता का विषय है। सन 2015-16 में की गयी आस्ति गुणवत्ता समीक्षा से बैंकों के तुलन-पत्रों में दबाव को उचित रुप से पहचानने की क्षमता आई और अब हम इनके लिए पर्याप्त प्रावधान करने की प्रक्रिया में हैं। जैसा कि मेरे साथी डॉ. विरल आचार्य ने अपने एक व्याख्यान[2] में कहा था, बैंक तुलनपत्र की मजबूती और उसकी क्रेडिट संवृद्धि के बीच प्रगाढ़ सह-सम्बन्धों के पुख्ता प्रमाण हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की क्रेडिट संवृद्धि में उल्लेखनीय रुप से न्यूनतर संवृद्धि के रुप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कमजोर तुलन-पत्र का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूँजी आधार को मजबूत बनाने के विभिन्न तरीकों का परीक्षण हम कर रहे हैं, ताकि वे अपनी लेंडिंग को बढा सकें और इस प्रकार आर्थिक संवृद्धि में योगदान करें। डॉ. आचार्य ने जिस सह-संबंध का उल्लेख किया है, उसके अलावा मेरा यह भी मानना है कि मजबूत तुलन-पत्र बैंकों को दबावग्रस्त आस्तियों से बेहतर तरीके से निपटने के लायक बनाता है। अन्य कारकों के अलावा पूँजी की अड़चनें बैंकिंग प्रणाली और आमतौर पर अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर वैल्यू प्रदान कर सकने वाली सामायिक कारवाई आरंभ करने की बजाय दबाव को समझने अथवा इष्टतम से इतर पुनर्रचना में देरी की तरफ ले जाती हैं। ऐसा इसलिए कि सदाबहार रखना, अव्यावहारिक पुनर्रचना बहुधा सही समाधानों को स्थापित करके समस्या को बढ़ा देता है। इस संदर्भ में अनुमानित हानि मॉडल पर आधारित वैश्विक मानकों जैसे प्रावधान करने वाली प्रणाली आगामी मार्ग होगा।

दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत दबावग्रस्त बड़ी आस्तियों का उल्लेख हुआ है जो इनके समाधान की दिशा में एक प्रमुख प्रेरणा है। आप पहले ही से

[2] 7 सितंबर 2017 को मुंबई में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस द्वारा आयोजित 8वें आर. के. मेमोरियल लेक्चर में दिया गया भाषण।

जानते है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के माध्यम से आरबीआई को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसी के तहत हमने जून 2017 में बैंकों को निर्देश दिए थे कि 12 मामलों को आईबीसी के तहत भेजा जाए और इसके बाद कुछ और मामलों के लिए भी कहा। ये 12 मामले राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण एनसीटीएल के तहत विभिन्न अवस्थाओं में हैं और हमारा विश्वास है कि बैंकों के क्रेडिट पोर्टफोलियों में चूक को देखते हुए दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता के लिए प्रबल संहिता क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार करेगी और हानि को कम करेगी। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह बैंकिंग प्रणाली को मजबूती से पैर जमाने मे सक्षम बनाएगी; आमतौर पर उनकी आघात सहने की क्षमता और इससे भी आगे बढ़ते हुए खासतौर पर ऋण प्रदान करने की उनकी क्षमता बढ़ाने में।

इसके अलावा, इसी सन्दर्भ में यह भी माना जाता है कि दबावग्रस्त आस्तियों अथवा आईबीसी के तहत भेजे जाने वाले मामलों के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण के मानदंड जरूरत से ज्यादा कठोर हैं। अब मैं बताता हूँ कि आईबीसी के तहत भेजे गए मामलों के मद्देनज़र प्रावधानीकरण की अपेक्षा के संबंध में क्या तर्क हैं। आमतौर पर आईबीसी के तहत संदर्भित मामले संभवत: वे होते हैं जिनकी पुनर्रचना आईबीसी से हटकर नहीं की जा सकती। दबावग्रस्त आस्तियों की पुनर्रचना की योजना S4A में निर्धारित है जिसके तहत न्यूनत्तम संधारणीय ऋण 50 प्रतिशत होना चाहिए। इसलिए तर्कसम्मत तो केवल यही है कि आईबीसी के तहत संदर्भित मामलों के लिए प्रावधान कम से कम 50 प्रतिशत हो। यह नहीं कहा जा सकता कि आईबीसी को मामले भेजने के फलस्वरूप 50 प्रतिशत की वसूली होगी या कम की। सम्भावित हानि के लिए प्रावधान होते हैं और यदि प्रावधान में किए गए निर्धारण से अधिक वसूली हो जाती है, तो ऐसे मामलों में बैंक राइट-बैक कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत में बैंकों द्वारा एनपीए के लिए वैश्विक परिपाटियों की तुलना में काफी उच्चतर प्रावधान करने की जरूरत है।

बात समाप्त करने से पहले मैं अपने से पहले के वक्ताओं द्वारा उठाए गए कुछेक मुद्दों पर बात करना चाहूँगा। अभी तक मैंने इन पर कोई चर्चा नहीं की है। ऐसा कहा गया कि रिज़र्व बैंक द्वारा उच्च ब्याज-दर लगाया जाता है और इसे नियंत्रित करने का सुझाव दिया गया। हम सभी सहमत होंगे कि विनियामक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों के दिन काफी पीछे छूट गए हैं और 'अंतराल' के रुप शामिल करने सहित इस दिशा में कोई भी प्रयास बाज़ार के लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि, हम जिस लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं, वह है ब्याज दर निर्धारण में पारदर्शिता लाना और मौद्रिक नीति के निर्णयों को समुचित संचरण सुनिश्चित कराना। आधार दर की तरफ से ऋण देने की दरों को निधियों की सीमांत लागत पर आधारित एमसीएलआर की तरफ बढ़ने का प्रयास इसीलिए था कि निधियों की लागत में मामूली परिवर्तनों को ढक देने वाले औसत से बचा जाए। हालांकि, एमसीएलआर प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु आंतरिक अध्ययन समूह की रिपोर्ट में बाह्य बेन्चमार्क को ग्राहकों के लिए ब्याज-दर निर्धारण के आधार के तौर पर सुझाया गया है। इससे ब्याज दरों का निर्धारण और भी पारदर्शी बन जाएगा। प्रतिस्पर्धा एकमात्र तरीका है जो यह सुनिश्चित कर सकता है कि 'अंतराल' औचित्यपूर्ण है या नहीं। आप जानते ही हैं कि इस बारे में रिज़र्व बैंक ने हाल ही में दो नए युनिवर्सल बैंकों और 10 नए लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को लाइसेंस दिए हैं।

युनिवसर्ल बैंक लाइसेन्सिंग को दूसरा मुद्दा एमएसएमई के वित्तपोषण से संबंधित था। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि रिज़र्व बैंक ने ऐसा इकोसिस्टम स्थापित किया है जो एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट प्रवाह सुनिश्चित करता है और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है। दस लघु वित्त बैंकों को इस अधिदेश के साथ लाइसेन्स दिया गया है कि वे अपने 50 प्रतिशत ऋणों का आकार 25 लाख रुपये रखते हुए प्राथमिकता क्षेत्र को 75 प्रतिशत के ऋण का लक्ष्य प्राप्त करें। सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फन्ड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) (एमएसएमई) क्षेत्र की दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए विशिष्ट अनुदेश, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, आदि सभी उपाय उसी एमएसएमई हितैषी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जिसका उल्लेख मैंने किया है।

देवियो और सज्जनो, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। जैसा कि मैने आरंभ में ही कहा था, वित्तीय स्थिरता को परिभाषित करना कठिन है। किसी एकीकृत अर्थव्यवस्था में वित्तीय अस्थिरता के किसी एक स्रोत को निर्धारित कर पाना कठिन है। वैश्विक संकट के बाद मानक निर्धारक निकायों ने आमतौर पर सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली और विशेष रुप से सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली की तरफ बढना शुरू किया। इस बात के मद्देनज़र

कि भारत में वित्तीय प्रणाली पर बैंकों का आधिपत्य है, मैंने भी आमतौर पर बैंकिंग प्रणाली के लिए वैश्विक विनियामक फ्रेमवर्क और हमारे द्वारा भारत में इसे लागू करने पर फोकस किया है। सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली में अन्य चैनलों से पैदा होने वाली वित्तीय अस्थिरता का सामना करने की सहनशक्ति होती है। इसके अलावा, बैंकों को मजबूत बने रहने की जरूरत है, ताकि वे स्वयं ही वित्तीय अस्थिरता का कारण न बन जाएं। विनियमों से बैंकिंग प्रणाली को प्रतिरोधी क्षमता मिलती है जो उन्हें सुदृढ़ और सहनशील बनाती है, ताकि वे स्वयं कमजोर न हों और साथ ही, अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों से पैदा होने वाली वित्तीय अस्थिरता को सहने में सक्षम रहें। रिज़र्व बैंक हमेशा से अपने विनीयामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क के माध्यम से ऐसी ही बैंकिंग प्रणाली तैयार करने की दिशा में कार्यरत है।

धन्यवाद।

लेख

भारत में किफ़ायती आवासन

*भारत में किफ़ायती आवासन**

बहुत तेज शहरीकरण और नगरों की तरफ प्रवास ने भारत के शहरों में, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आवासन की बड़ी समस्या पैदा कर दी है। इस संदर्भ में सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने किफायती आवासन को गति देने के लिए कई प्रयास किए हैं। यही नहीं सन 2016-17 में ऋण संवितरणों के साथ-साथ किफायती आवासन खंड में नई परियोजनाओं की शुरुआत करने में तीव्र बढ़ोतरी हुई, लेकिन गैर-निष्पादक आवास ऋणों में, खासकर आवास ऋणों के न्यूनतर स्लैबों में, बढ़ोतरी हुई। यद्यपि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवासन को किफायती बनाने में क्रेडिट-संबद्ध उपदान स्कीम को प्रभावी पाया गया, तथापि इस क्षेत्र के आगामी विकास के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि की अनलॉकिंग एक बड़ी चुनौती के तौर पर है।

भाग 1: परिचय

भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण ने शहरी भीड़-भाड़, पानी और सैनिटेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं पर दबाव डाला है और सबसे अहम बात यह कि कम कीमत वाली श्रेणी में शहरों में आवासों की भारी कमी ने विकास के लिए चुनौतियों को जन्म दिया है। अत्यधिक प्रतिलाभ के चलते रीयल एस्टेट निर्माता और निजी खिलाड़ी मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग पर अपना ध्यान बनाए रखते हैं। इसके अलावा भूमि की अत्यधिक लागत, परियोजनाओं के अनुमोदन में देरी, कच्चे माल की बढ़ती लागत, लाभ की कम गुंजाइश ने भी कम कीमत वाली आवासन परियोजनाओं को निजी रियल्टी निवेशकों और निर्माताओं के लिए कम आकर्षक बना दिया है।

मांग और आपूर्ति के इस अंतराल को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में बड़े प्रयास आरंभ किए हैं ताकि भारत में किफायती आवासन को गति प्रदान की जा सके। इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी कई उपाय शुरू किए हैं। हाल ही की अवधि में किफायती आवासन पर दिए जाने वाले ध्यान में बढ़ोतरी की दृष्टि से इस आलेख में किफायती आवासन के विभिन्न आयामों के अध्ययन का प्रयास किया गया है। शेष आलेख को छह भागों में विभाजित किया गया है। भाग 2 में आवासन को किफायती बनाने के विभिन्न उपायों और किफायती आवासन के लिए नीति निरूपण में अंतरराष्ट्रीय अनुभवों पर चर्चा की गई है। भाग 3 में भारत में किफायती आवासन की जरूरत और इस क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया है। भाग 4 में आवास को दिए जाने वाले क्रेडिट के डाटा पर आधारित शैलीकृत तथ्यों का वर्णन है। आवासन को किफायती बनाने के लिए क्रेडिट सम्बद्ध उपदान स्कीम के प्रभावों का अनुभवजन्य आकलन भाग 5 में दिया गया है। भाग 6 में भारत में किफायती आवासन क्षेत्र के सामने आ रही प्रमुख चुनौतियों में से कुछ का वर्णन किया गया है।

भाग 2: अंतरराष्ट्रीय अनुभव

आवासन के किफायती होने का आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं :

(i) *व्यय विधि अथवा आवासन लागत का बोझ :* किफायत का आकलन करने के लिए परिवार की आय और आवासन व्यय के अनुपात का प्रयोग किया जाता है। आवासन व्यय में आय से संबंधित सभी लागत कवर की जाती हैं, जिनमें किराया, गिरवी रकम की चुकौती, उपयोगिताओं और रखरखाव लागत को शामिल किया जाता है। यदि यह अनुपात किसी अधिकतम निर्धारित मान से कम है तो आवासन यूनिट को किफायती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस अधिकतम मान का चयन विवेकसम्मत होता है, हालांकि एक सामान्य नियम के तौर पर इसे 30 प्रतिशत मान दिया जाता है।

(ii) *माध्यक गुणक संकेतक :* इस पद्धति में माध्यक गृह कीमत को माध्यक हाउसहोल्ड वार्षिक आय से विभाजित कर दिया जाता है, ताकि आवासन की किफायत का आकलन किया जा सके। किफायती आवासन का कई देशों में सर्वे कर चुकी डेमोग्राफिया इन्टरनेशनल नामक संस्था का यह मानना है कि यदि कीमत और आय का अनुपात 3 से कम है तो आवासन यूनिट किफायती है।

(iii) *आवासन और परिवहन (एच+टी) :* इस पद्धति में किफायत का आकलन करने के लिए आवासन

* यह आलेख डॉ. अत्री मुखर्जी के मार्गदर्शन में भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग के संरचनात्मक मामले प्रभाग में कार्यरत श्री अजेश पलाई और श्री नलिन प्रियरंजन द्वारा तैयार किया गया। आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

लागत में परिवहन लागत को भी शामिल कर लिया जाता है। इसके पीछे विचार यही है कि शहरों में भीड़-भाड़ की वजह से शहर के सेन्टर से मानव-बस्तियां काफी दूर होने लगी है, जिसके कारण आवागमन लागत में बढ़ोतरी और लगने वाला समय बढ़ जाता है (हामिदी तथा अन्य, 2016)।

सन 2000-2016 की अवधि में समस्त संसार में आवासन की कीमतों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति रही, जिस पर 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट ने अस्थायी प्रभाव डाला, जिसमें भारत का सामान्य आवासन कीमत सूचकांक अधिकतम गति से ऊपर उठा (चार्ट I)। इस घटना ने विभिन्न देशों को लक्ष्यबद्ध नीतिगत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया ताकि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को किफायती आवासन प्रदान किया जा सके। इस संबंध में अलग-अलग देशों से प्राप्त सीख से उपयोगी अन्तर्ज्ञान मिलता है। चुनिंदा देशों, यथा संयुक्त राज्य, आस्ट्रेलिया और चीन (जिनके लिए विस्तृत जानकारी उपलब्ध है) द्वारा किफायती आवासन के लिए अपनाई गई नीति पर निम्नानुसार विचार किया गया है:

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य (यूएस) में दि डिपार्टमेन्ट ऑफ हाउसिंग एन्ड अर्बन डेवलपमेन्ट (एचयूडी) द्वारा किफायती आवासन को परिभाषित करने के लिए व्यय पद्धति अपनाई जाती है, जिसके तहत आवासन को तब किफायती माना जाता है, यदि उसकी लागत हाउसहोल्ड की आय के 30 प्रतिशत से कम हो। इसका अनुमान है कि 12 मिलियन किराएदार और मकान मालिक परिवार हैं जो अपनी वार्षिक आय का 50 प्रतिशत से अधिक आवासन पर व्यय करते हैं, और भोजन, कपड़ा, परिवहन और मेडिकल सुविधा जैसी अनिवार्य सेवाएं हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। यूएस में किफायती आवासन कार्यक्रमों को फेडरल और राज्य सरकार दोनों के द्वारा प्रायोजित किया जाता है।

(i) हाउसिंग च्वाइस वाउचर (एचसीवी) कार्यक्रम के तहत एचयूटी द्वारा पब्लिक हाउसिंग एजेन्सियों (पीएचए) को फन्ड प्रदान किए जाते हैं ताकि पात्र परिवारों को किराया उपदान दिया जा सके। किसी परिवार को मिलने वाली अधिकतम सहायता की राशि मानक किराए[1] की रकम में से समायोजित मासिक आय की 30 प्रतिशत रकम को घटाने के बराबर रहती है। इसमें सहभागियों, यथा - किराएदारों, मकान मालिकों और पीएचए के बीच करार किया जाना भी शामिल रहता है। हालांकि आवासन लागत प्रभावित एचसीवी परिवारों की संख्या 2003 में 517,655 थी जो कि 52 प्रतिशत बढ़कर 2015 में 786,958 हो

चार्ट 1: सामान्य आवासन कीमत सूचकांक

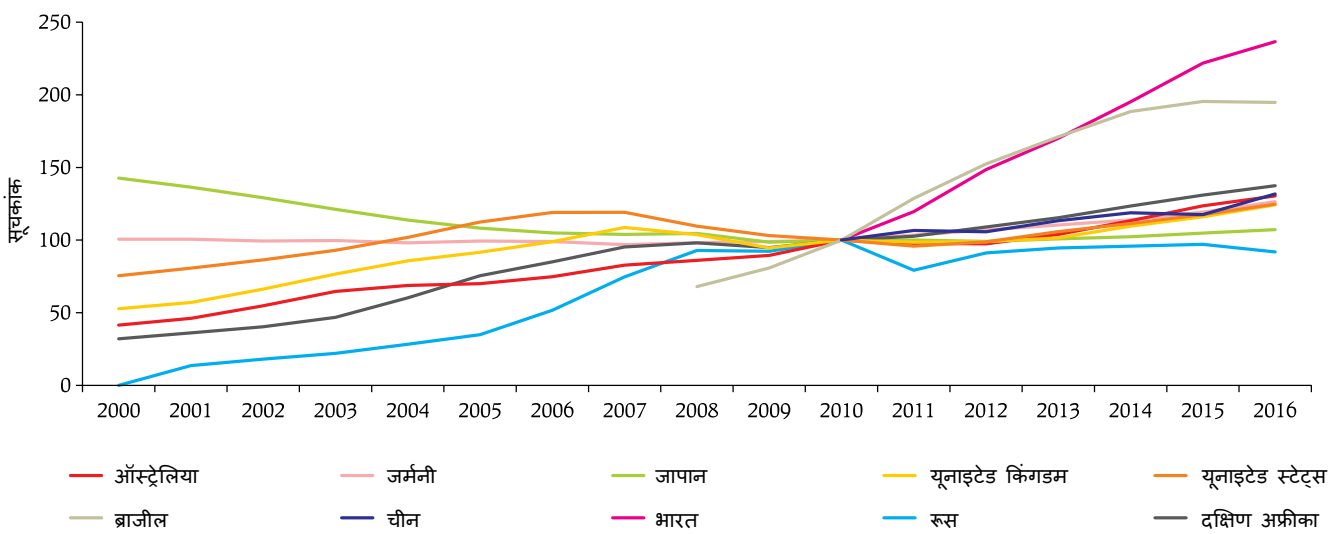

टिप्पणी: आधार वर्ष 2010=100
स्रोत: ओईसीडी ।

[1] भुगतान का मानक अर्थात वह धनराशि जो किसी स्थानीय आवासीय बाजार में किसी सामान्य कीमत वाली आवासीय इकाई को किराये पर देने के बदले मांगी जाती है।

गई, जिसका प्राथमिक कारण आय और आवासन बाजार चक्रों में अंतर होना था (एचयूडी, 2017)।

(ii) निम्न आय हाउसिंग टैक्स क्रेडिट (एलआईएचटीसी) कार्यक्रम 1986 में शुरू हुआ था ताकि परियोजना आधारित किफायती किरायेदारी आवासन उपलब्ध कराए जा सके। इसके तहत प्रतिबंधित किराए[2] और कब्जेदारी[3] की शर्तों सहित निम्न आय वाले परिवारों को लाभ देने के लिए किफायती आवासन परियोजनाओं के डेवलेपर्स को टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। सन 1995 से 2015 के दौरान इस कार्यक्रम की 30,693 परियोजनाओं में 2.3 मिलियन आवासन यूनिटों की व्यवस्था की गई। निम्न आय वाले क्षेत्रों में एलआईएचटीसी परियोजनाओं का सकारात्मक प्रभाव रहा, जिससे मकान मालिकों और किराएदारों की खुशहाली में बढ़ोतरी हुई (डायमन्ड तथा अन्य, 2015).

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में आवासन का दबाव[4] झेल रहे परिवारों का अनुपात 2007-08 के 15.4 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 17.7 प्रतिशत हो गया। आवासन दबाव की समस्या से निपटने के लिए किराए और मकान मालिकों की सहायता के तौर पर किफायती हाउसिंग स्कीमों को फेडरेल और राज्य दोनों के द्वारा प्रयोजित किया जाता है। कॉमनवेल्थ रेन्ट असिसटेन्स (सीआरए) और फेडरल सरकार की नेशनल रेन्टल अफोर्डेबिलिटी स्कीम (एनआरएएस) के तहत उद्देश्य यही रहता है कि पात्र परिवारों के लिए किराएदारी की लागतों को बाजार दरों से कम-से-कम 20 प्रतिशत कम करा दिया जाए। एनआरएएस आपूर्ति पक्ष का हस्तक्षेप है, जिसमें आवासन प्रदाताओं और निर्माताओं को 10 साल की अवधि तक वार्षिक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वे जनता को किफायती किराए पर आवासन उपलब्ध कराने में सक्षम हो सके। दूसरी तरफ सीआरए मांग पक्ष पर किया जाने वाला हस्तक्षेप है, जो पात्र परिवारों को टैक्स-रहित आय अंतरण के रूप में किराए की सुविधा प्रदान करता है। फेडरल और राज्य सरकारों ने 2015-16[5] के दौरान किफायती आवासन पर लगभग 10 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च किए। एनआरएएस का प्रभाव काफी उल्लेखनीय रहा क्योंकि इसे लागू करने से आवासन दबाव झेलने वाले परिवारों की संख्या में कमी हुई (एएचयूआरआई, 2009)।

राज्यों में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग अथॉरिटी ने किफायती आवासन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अलग-अलग कार्यक्रम शुरू किए हैं - यथा किराया उपदान, हाउसिंग अथॉरिटी के साथ आवासों का साझा-मालिकाना हक[6]। सीआरए और एनआरएएस का लक्ष्य केवल किराए में किफायत लाना है, जबकि हाउसिंग अथॉरिटी किराए और मकान का स्वामित्व दोनों ही के लिए सहायता देती है।

चीन

सन 1978 से पहले चीन में आवासन यूनिटों को लोक नियोक्ताओं द्वारा बनवाकर मुफ्त वितरित किया जाता था। आवासन क्षेत्र को अधिकाधिक बाजार उन्मुख बनाने के लिए तब से काफी सुधार किए गए है (शुई, 2013)। इस समय चीन की सरकार आवास खरीदने के लिए उपदान सहित कर्ज के माध्यम से किफायती आवासन और किफायती सरकारी किराए का ऑफर देकर आवास प्रदान करती है, जिसके तीन प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

(i) *किफायती और सुविधापूर्ण आवासन (ईसीएच)* कार्यक्रम के तहत स्थानीय सरकार भवन निर्माताओं को अनुमोदित दरों पर भूमि प्रदान करती है ताकि निर्माता द्वारा आवासन इकाइयां रियायती कीमतों पर पात्र निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को बेची जा सकें। ऐसे आवास के लिए निर्माण और लाभ का मार्जिन सरकार द्वारा नियंत्रित है। सन 2010 में ईसीएच के तहत आवास का हिस्सा कुल आवासन स्टॉक का 3.4 प्रतिशत था।

(ii) आवासन भविष्य निधि योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर कर्मचारी के वेतन

[2] इन इकाइयों पर वार्षिक किराया संबंधित आय सीमा के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

[3] इसके कम से कम 20 प्रतिशत किरायेदार ऐसे होने चाहिए जिनकी आय क्षेत्रीय माध्य सकल आय (एजीएमआई) के 50 प्रतिशत से कम हो या वैकल्पिक रूप से, कम से कम 40 प्रतिशत किरायेदार ऐसे होने चाहिए जिनकी आय एजीएमआई के 60 प्रतिशत से कम हो।

[4] ऐसे हाउसहोल्ड जो अपनी सकल हाउसहोल्ड आय के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि आवास पर खर्च करते हैं।

[5] किफायती आवासन की आपूर्ति को सुधारने के लिए वित्तपोषण के नवोन्मेषी मॉडल पर ऑस्ट्रेलियन सरकार की रिपोर्ट, अक्टूबर 2016.

[6] आवासीय प्राधिकरण जो भूखण्ड के विकास, गृह निर्माण और संपत्ति प्रबंधन का कार्य करते हुए किफायती आवास उपलब्ध कराता है। यह पश्चिमी आस्ट्रेलिया राज्य में कार्यरत बाजार आधारित एक सांविधिक प्राधिकरण है जो वर्तमान में सामुदायिक विभाग का एक अंग है।

का कुछ हिस्सा सरकारी स्वामित्व वाले बैंक में जमा करते हैं। बदले में कर्मचारी अपना घर खरीदने के लिए कम लागत वाला आवास ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) *सस्ता किराया आवास स्कीम* के तहत सरकार द्वारा निम्न आय वाले परिवारों को किराये में सहायता दी जाती है।

इन देशों के अनुभव से ज्ञात होता है कि किफायती आवासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रतिसाद लगभग सभी देशों में बाजार की सहभागिता को बढ़ावा देने वाला है। सरकार की नीतियों को मोटे तौर पर दो वर्गों में रखा जा सकता है : आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष में हस्तक्षेप करते हुए। आपूर्ति पक्ष वाले उपायों में किफायती आवासन परियोजना को हाथ में लेने के लिए निर्माताओं और निवेशकों को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि मांग पक्ष के उपायों में किराये और गिरवी आधारित उपदानों के रूप में परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

भाग 3: भारतीय अनुभव

भारत में किफायती शहरी आवासन की जरूरत

शहरी आवासन में कमी (2012) से संबंधित तकनीकी समूह (टीजी-12) की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरी आवासन में मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतराल है। भारत में आवासन की कुल कमी का 96 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) से संबंधित है (तालिका 1)।

तालिका 1: भारत में शहरी आवासन में कमी के आकलन का संविभाजन (मिलियन)

कारक	2012 के अंत की स्थिति
कच्चे घरों में रहने वाले परिवार सुविधाविहीन	0.99
जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवार	2.27
घनी बनावट वाले घरों में रहने वाले परिवार	14.99
गृह विहीन	0.53
शहरी आवासन की कुल कमी	**18.78**
I. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10.55 (56%)
II. निम्न आय वर्ग	7.41 (40%)
III. मध्यम और उच्च आय वर्ग	0.82 (4%)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए मान प्रतिशत हिस्सा हैं।
स्रोत: शहरी आवासन में कमी के आकलन पर तकनीकी समूह (टीजी-12) की रिपोर्ट, 2012, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय।

मैकेंज़ी रिपोर्ट (2010) के अनुसार सन 2030 तक भारत की जनसंख्या का 40 प्रतिशत भाग शहरों में आ जाएगा जिसमें 68 शहर (वर्तमान के 42) दस लाख से अधिक की आबादी वाले हो जाएंगे (चार्ट 2)। इसका अनुमान है कि किफायती आवासन की मांग 2012 में 19 मिलियन थी जो 2030 में बढ़कर 38 मिलियन हो जाएगी।

किफायती आवासन को बढ़ाने के प्रयास

यद्यपि कई वर्षों (राष्ट्रीय आवासन नीति, 1994; जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, 2005;

चार्ट 2: भारत में शहरीकरण की दर

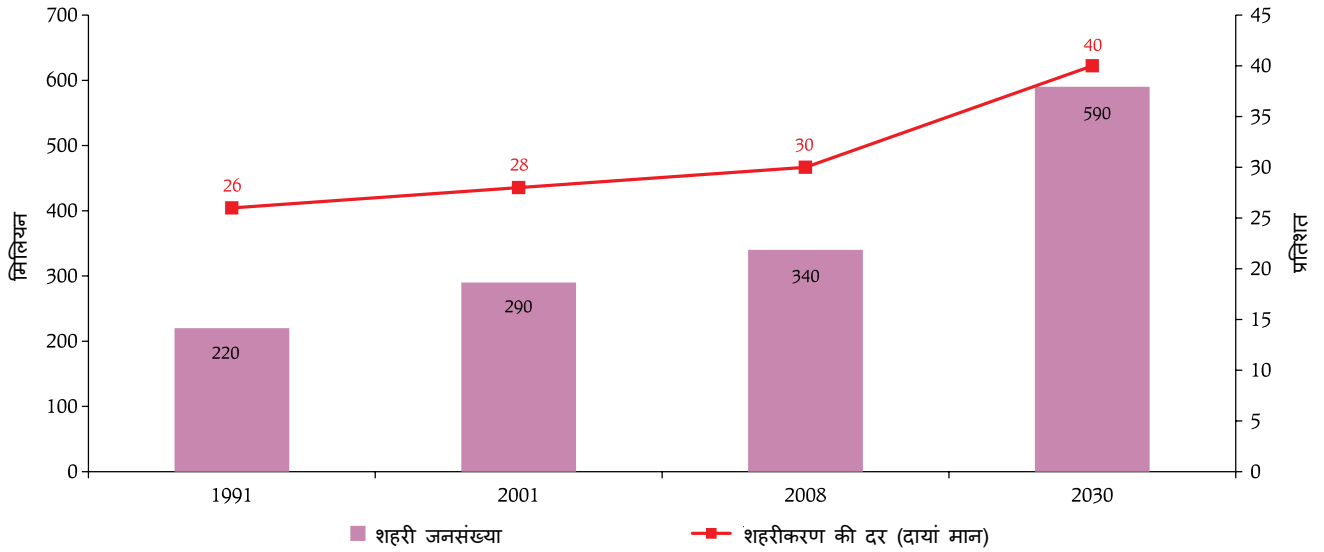

स्रोत: मेक्केन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट।

राजीव आवास योजना 2013 के माध्यम) से कम लागत वाले आवासन प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की शुरुआत से एक नया बल मिला - प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में पहले की सभी शहरी आवासन स्कीमों को समाहित कर लिया गया और 'सब के लिए घर' के लक्ष्य को 2022 तक प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) में 20 मिलियन आवासों की कमी को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के चार घटक हैं:

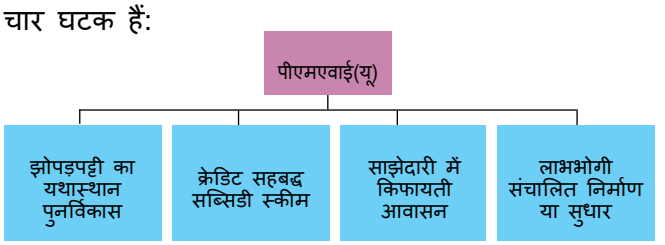

(i) यथास्थान झोपड़पट्टी पुनर्विकास (आईएसएसआर): भूमि का संसाधन के तौर पर उपयोग करते हुए इस स्कीम का उद्देश्य है सरकारी/ निजी भूमि पर विद्यमान झोपड़पट्टियों का पुनर्विकास करते हुए पात्र स्लम निवासियों को घर प्रदान करना। इस स्कीम के तहत राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के आयोजना और कार्यान्वयन प्राधिकरणों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक घर पर एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।

(ii) क्रेडिट-सहबद्ध स्कीम (सीएलएसएस): इस स्कीम के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों को घर खरीदने के लिए सरल संस्थागत क्रेडिट प्रदान किया जाता है, इसमें प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से उधारकर्ता के खाते में सीधे ही ब्याज सब्सिडी क्रेडिट कर दी जाती है जिससे आवासन ऋण और समानकृत मासिक किस्तें (ईएमआई) काफी कम हो जाती हैं (तालिका 2).

तालिका 2: क्रेडिट संबद्ध उपदान स्कीम

प्रकार	आय (वार्षिक)	ब्याज उपदान (%)	ऋण की रकम (₹ लाख)	कारपेट एरिया (वर्ग.मी.)
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	₹3 लाख तक	6.5	6	30
निम्न आय वर्ग (एलआईजी)	₹3 से 6 लाख	6.5	6	60
मध्यम आय वर्ग (एमआईजी-I)	₹6 से 12 लाख	4	9	120
मध्यम आय वर्ग (एमआईजी-I)	₹12 से 18 लाख	3	12	150

टिप्पणी: एमआईडी-I और एमआईजी-II के तहत उपदान की पात्रता हेतु जनवरी 2017 से घरों के कारपेट एरिया को 90 और 110 वर्ग मीटर से बढ़ाकर क्रमशः 120 और 150 वर्ग मीटर कर दिया गया है।
स्रोत: आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय।

(iii) साझेदारी में किफायती आवासन (एएचपी): इसका उद्देश्य निजी भवन निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि किफायती आवासन परियोजनाओं में निजी सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके; जिन निजी परियोजनाओं में कम-से-कम 35 प्रतिशत घरों का निर्माण ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए किया जा रहा है, उनमें प्रत्येक ईडब्ल्यूएस घर के लिए 1.5 लाख रुपये की दर से केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(iv) लाभ भोगी-संचालित निर्माण या सुधार: इस स्कीम में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग को विद्यमान घरों के विस्तार अथवा नव-निर्माण के लिए प्रति परिवार 1.5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

किफायती आवासन के लिए केन्द्र सरकार के आक्रामक प्रयास का प्रमाण अप्रैल 2017 से पीएमएवाई-यू के तहत पूरे हुए घरों के स्टॉक में तीन गुनी बढ़ोतरी से मिल जाता है (तालिका 3).

तालिका 3: पीएमएवाई-यू में प्रगति

यथास्थिति	विचार किए गए परियोजना प्रस्ताव	वित्तीय प्रगति (करोड़ ₹)			भौतिक प्रगति (संख्याएं)		
		परियोजनाओं में निवेश	निहित केन्द्रीय सहायता	प्रदत्त केन्द्रीय सहायता	निहित घर	निर्माण हेतु नींव डाले गए घर	पूरे किए गए घर
जनवरी 3, 2017	2,691	72,030.87	19,632.58	4,463.70	13,28,295*	2,13,187	
अप्रैल 3, 2017	3,735	95,660.05	27,879.15	7,820.10	17,73,052	5,35,769	92,308
जुलाई 31, 2017	5,147	1,27,480.16	37,270.84	11,451.89	23,92,061	9,93,278	1,57,106
अक्तूबर 3, 2017	5,974	1,54,180.15	44,278.49	12,065.85	28,57,321	11,50,783	2,00,096
दिसंबर 4, 2017	6,671	1,72,293.56	49,537.19	12,764.47	31,99,267	14,08,537	2,88,963

टिप्पणी: *केवल ईडब्ल्यूएस शामिल।
स्रोत: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।

सन 2017-18 के संघीय बजट में किफायती आवासन को बढ़ाने के लिए बहुत से उपायों की घोषणा हुई, जो इस प्रकार थे - (i) किफायती आवासन को अवसंरचना का दर्जा देना; (ii) किफायती आवासन के प्रमोटर्स को परियोजना पूरी करने हेतु समय तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करना; (iii) निर्मित लेकिन अनबिकी यूनिटों के संबंध में नोशनल किराया-आय पर निर्माताओं को कर-भुगतान हेतु एक साल का समय देना; (iv) किफायती आवासन से दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के लिए समयावधि को तीन साल से घटाकर दो साल करना; (v) किफायती आवासन हेतु योग्यता मानदंड का संशोधन करके बिक्री योग्य एरिया को कारपेट एरिया में बदलना; (vi) एमआईजी के लिए नए सीएलएसएस की घोषणा करते हुए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान; और (vii) किफायती आवासन खंड के लिए व्यक्तिगत ऋणों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्त सुविधा।

केन्द्र सरकार के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्यों की सरकारों ने ईडब्ल्यूएस, निम्न आय और मध्यम आय समूहों के लिए आवासन पर लगाई जाने वाली स्टैम्प ड्यूटी की दरों में रियायत देकर किफायती आवासन को बढ़ावा दिया है।

विभिन्न प्रोत्साहनों, उपदानों, कर-लाभ और सबसे खास बात संस्थागत निधीयन के माध्यम से भवन-निर्माताओं को प्रोत्साहक उपायों से संभावना है कि भारत में किफायती आवासन खंड की संवृद्धि बढ़ेगी। किफायती आवासन को अवसंरचना अवस्थिति प्रदान करने से भवन निर्माताओं को विभिन्न चैनलों यथा बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (एफवीसीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) से निधियां जुटाने में मदद मिलेगी।

किफायती आवासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई नीतिगत उपाय किए हैं। पहला यह कि जुलाई 2014 में रिज़र्व बैंक ने किफायती आवासन ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र-उधारों के तहत पात्र किया और साथ ही छह महानगरीय केन्द्रों (मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरू और हैदराबाद) में ₹65 लाख मूल्य तक के घरों के लिए व्यक्तियों को ₹50 लाख तक के ऋणों और अन्य केन्द्रों पर ₹50 लाख मूल्य वाले घरों के लिए व्यक्तियों को ₹40 लाख तक का कर्ज प्रति परिवार प्रति आवासन इकाई खरीद/ निर्माण हेतु निर्धारित किया गया है। दूसरे यह कि इसमें बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे किफायती आवासन के ऋणों का वित्त-पोषण करने के लिए दीर्घावधि बॉन्डों (न्यूनतम सात साल की परिपक्वता अवधि) का निर्गम कर सकते हैं और समायोजित निवल बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) में इन बॉन्डों की गणना नहीं की जाएगी। तीसरे, यह कि रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2015 में बैंकों को अनुमति दी कि ₹30 लाख तक की लागत वाली सम्पत्तियों के लिए 90 प्रतिशत तक आवासन ऋण दे सकते हैं।[7] चौथे यह कि आवास ऋणों को सस्ता करने के लिए रिज़र्व बैंक ने प्रावधान करने या जोखिम-भारित मानदंडों को संशोधित किया - और 7 जून 2017 को आवास ऋणों पर मानक आस्ति प्रावधान 0.4 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत कर दिया। रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2017 के अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह संकेत किया कि समयबद्ध सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स के साथ किफायती आवासन का तेजी से रोल आउट होना और राज्य सरकारों द्वारा उच्च स्टैम्प शुल्क को औचित्यपूर्ण बनाना संवृद्धि में मदद करेगा।

भाग 4: कुछ स्वत:सिद्ध प्रमाण

आवासन ऋणों में बढ़ोतरी

नीतिगत प्रयासों के प्रतिसाद में किफायती आवासन से वर्तमान में भारत में आवास ऋण में बढ़ोत्तरी हो रही है। यद्यपि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ आवासन वित्त कम्पनियों द्वारा आवासन ऋणों के संवितरण में 2016-17 में गिरावट दर्ज हुई, लेकिन निचले स्लैबों में उल्लेखनीय संवृद्धि रही। सन 2016-17 में ₹10 लाख तक के आवास ऋणों में प्रबल संवृद्धि दर्ज हुई, इसका मुख्य हिस्सा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का रहा (चार्ट 3).

यद्यपि ₹10 लाख तक की ऋण-राशियों के लाभभोगियों की संख्या सन 2016-17 में तेजी से बढ़ी, तथापि ₹25 लाख से अधिक वाले उच्चतर मूल्य के ऋणों के लाभभोगियों की संख्या में इस वर्ष के दौरान मामूली गिरावट रही (चार्ट 4).

आवास ऋणों का एनपीए अनुपात

किफायती आवासन खंड में ऋण संवितरणों और लाभभोगियों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों और आवासन वित्त कम्पनियों की गैर निष्पादक आस्तियों का अनुपात सन 2016-17 में कुछ बढ़

[7] पहले यह सुविधा ₹20 लाख तक के ऋणों के लिए उपलब्ध थी।

चार्ट 3: आवासन ऋण की वर्तमान प्रवृत्तियां

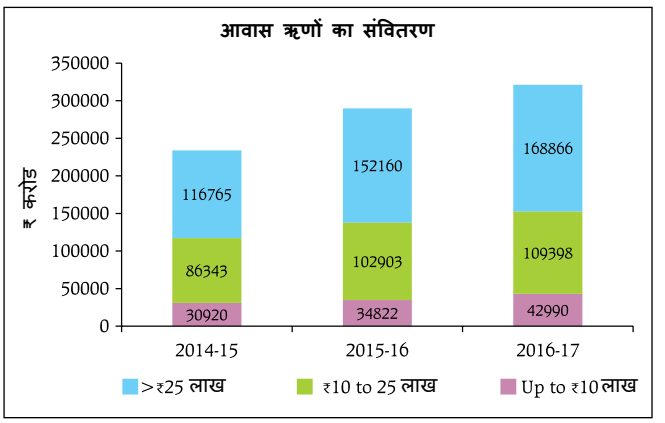

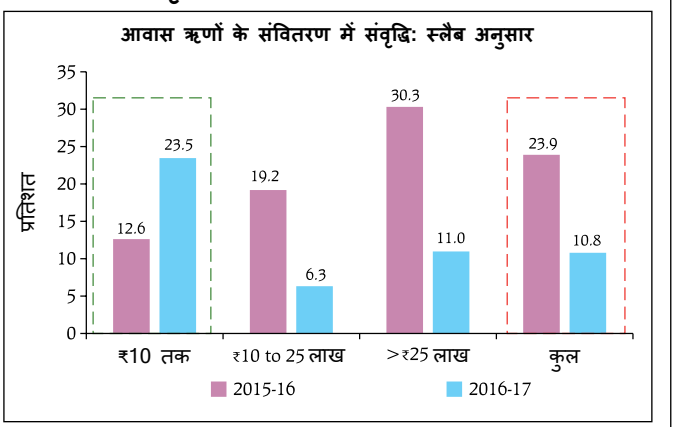

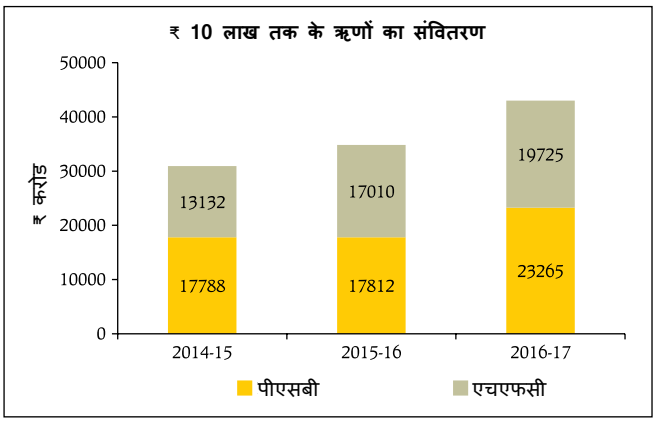

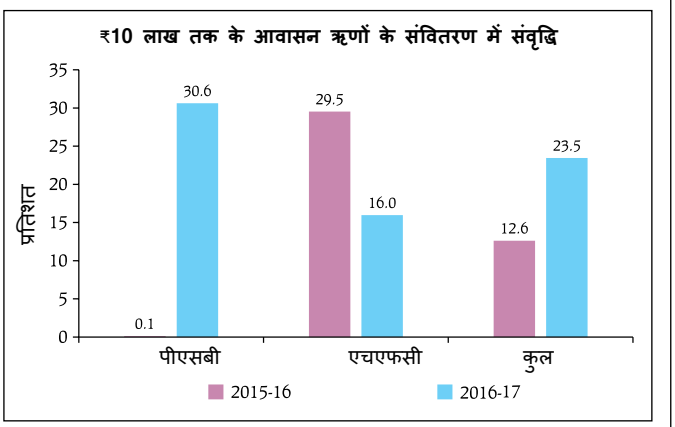

स्रोत: राष्ट्रीय आवास बैंक

गया। सभी स्लैबों में देखें तो ₹2 लाख तक के आवास ऋणों में एनपीए का उच्चतम स्तर रहा और विगत दो राजकोषीय वर्षों में एचएफसी की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने उच्चतर एनपीए रिपोर्ट किए (तालिका 4).

चार्ट4: खातों की संख्या के अनुसार क्रेडिट संवितरण

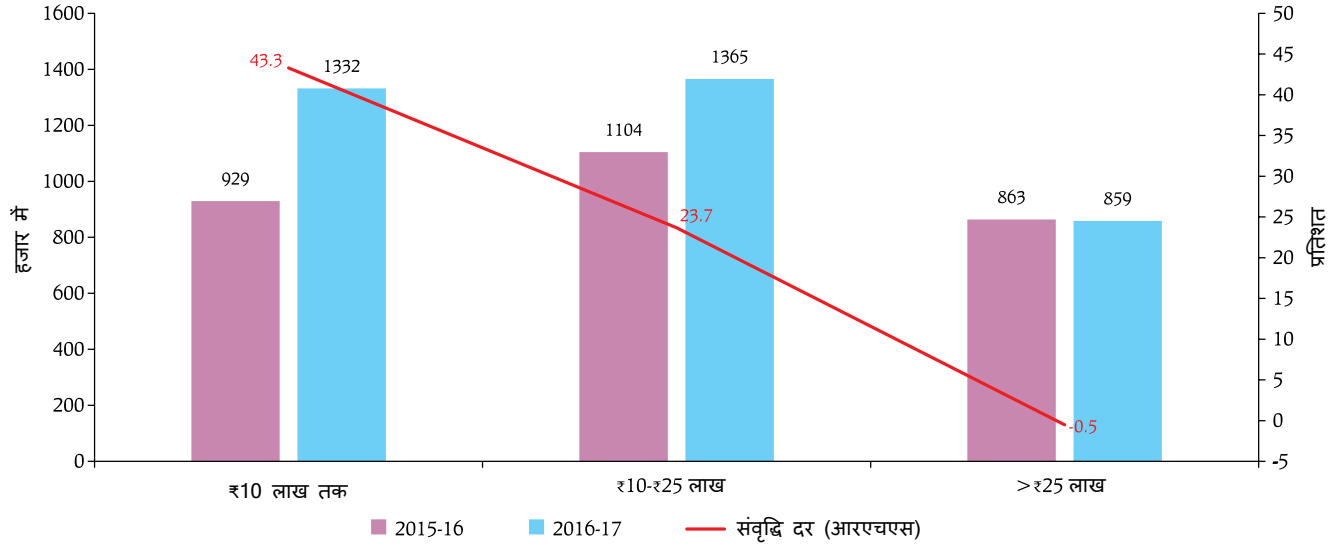

स्रोत: राष्ट्रीय आवास बैंक

तालिका 4: आवासन ऋणों के सभी स्लैबों में एनपीए

(प्रतिशत)

एनपीए	पीएसबी		एचएफसी		कुल	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
₹2 लाख तक	12.0	11.9	6.1	8.6	9.8	10.4
₹5 लाख तक	4.9	5.0	2.4	3.4	4.0	4.4
₹10 लाख तक	2.7	2.7	1.5	1.2	2.3	2.1
₹25 लाख तक	1.7	1.7	0.8	0.7	1.4	1.3
>₹25 लाख	0.9	1.2	0.3	0.5	0.6	0.9
कुल	**1.4**	**1.5**	**0.4**	**0.6**	**0.9**	**1.1**

स्रोत: राष्ट्रीय आवास बैंक

तालिका 5: पुनर्वित संवितरण- ऋण के आकार अनुसार

व्यक्तिगत ऋण आकार	2016-17	
	राशि (₹ करोड़)	कुल में हिस्सा (%)
₹2 लाख तक	1220.1	5.4
₹2 लाख से ₹5 लाख	1234.5	5.4
₹5 लाख से ₹10 लाख	2143.4	9.5
₹10 लाख से ₹15 लाख	3360.8	14.8
₹15 लाख से ₹20 लाख	2389.8	10.5
₹20 लाख से ₹25 लाख	2055.7	9.1
₹25 लाख से अधिक	9881.7	43.6
संभावित और प्रतीक्षित आंकडे	398.2	1.8
कुल	22684.1	100

स्रोत: राष्ट्रीय आवास बैंक

किफायती आवासन हेतु पुनर्वित्त स्कीम

राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त स्कीम से ब्याज की रियायती दरों पर ऋणदाता संस्थानों को निधि उपलब्ध कराई जाती है, जो किफायती आवासन खंड में परियोजनाओं हेतु सरकारी तथा निजी एजेंसियों/डेवलपर्स/बिल्डरों को ऋण देने का कार्य करती है। सन 2016-17 में कुल पुनर्वित्त में छोटे मूल्य वाले ऋणों (₹25 लाख से कम वाले ऋण) का हिस्सा 54.6 प्रतिशत था (तालिका 5).

भारत में आवासन किफायती होने की प्रवृत्ति

आवास विकास वित्त निगम (एचडीएफसी) रिपोर्ट 2010 के अनुसार सम्पति की कीमतों और वार्षिक आय के रूप में परिभाषित किफायती होने का अनुपात 1995-96 के 22 से घटकर 2016 में 4 पर आ गया। सन 1990 के दशक में तेज गिरावट के बाद हाल ही के वर्षों में यह अधिकांशतया स्थिर रहा (चार्ट 5).

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संकलित आवास कीमत सूचकांक (जिसमें प्रमुख शहरों में आवासन कीमतों में परिवर्तनों को लिया जाता है) में हाल ही के वर्षों में हुई संवृद्धि में परिवर्तन दर्ज हुए (चार्ट 6).

कुशमैन और वेकफील्ड शोध रिपोर्ट (2017) के अनुसार शीर्ष आठ शहरों (अहमदाबाद, बंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली-राराक्षे, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई और पुणे) में आवासीय

चार्ट 5: आवासों में किफायत की प्रवृत्ति

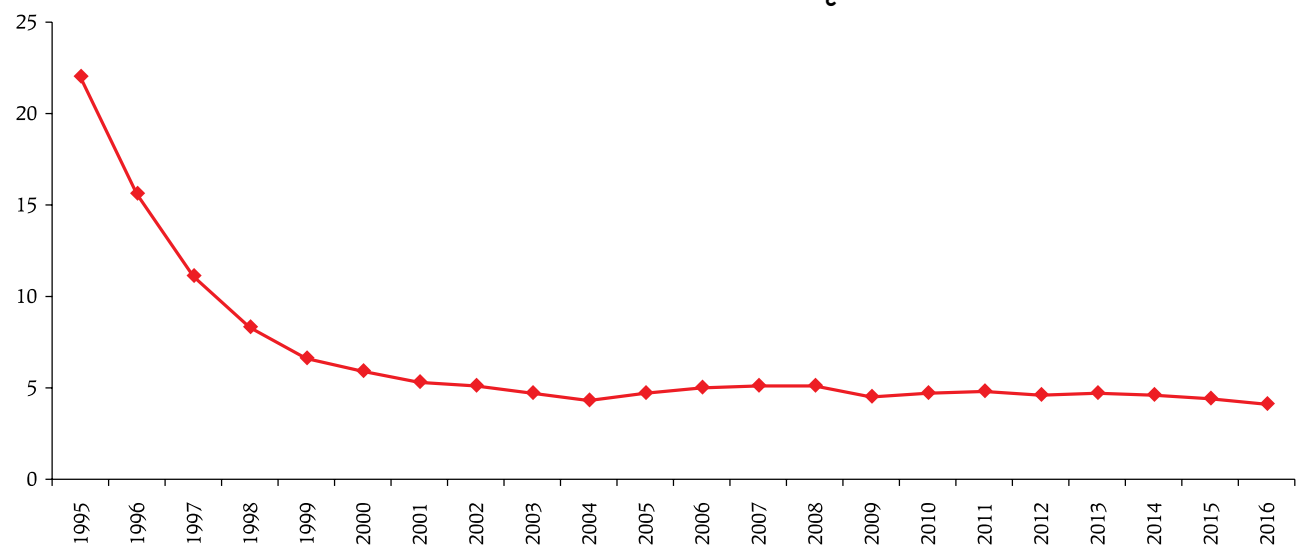

स्रोत: एचडीएफसी, ग्राहक सर्वेक्षण पर आधारित।

चार्ट 6: अखिल भारतीय आवास कीमत सूचकांक (एचपीआई) एवं वृद्धि

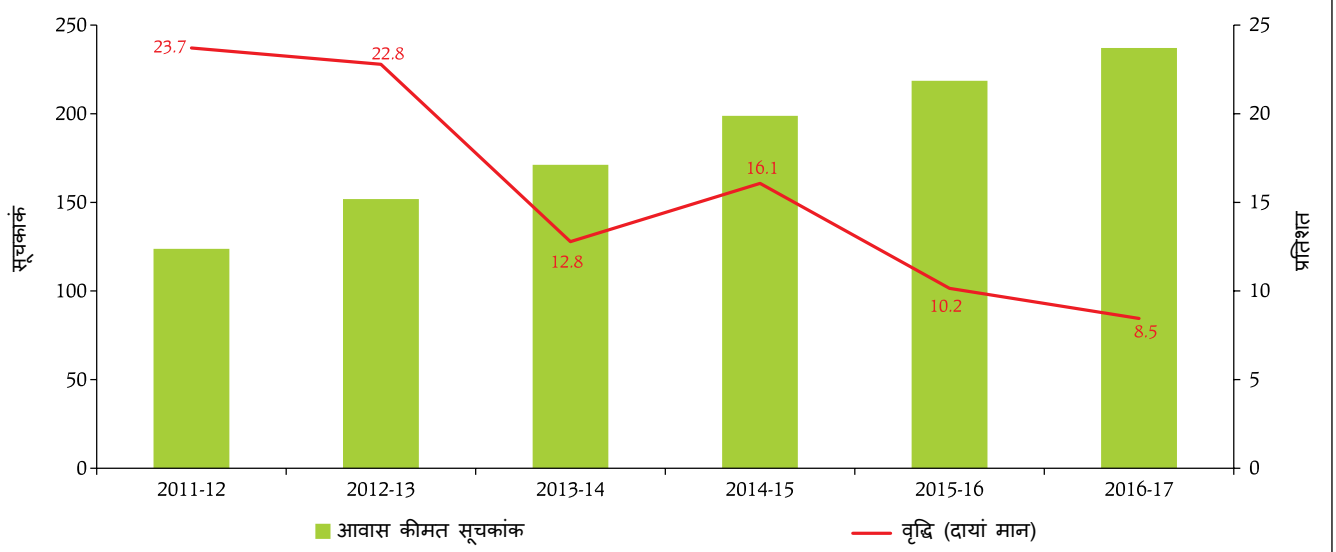

स्रोत: आरबीआई।

क्षेत्र में नए समारंभों की संख्या में 2016-17 के दौरान लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट हुई। हालांकि किफायती आवासन यूनिटों की शुरुआत में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही (तालिका 6)। तदनुसार, कुल शुरू हुई नई परियोजनाओं में किफायती खंड का हिस्सा 2015-16 के 25 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 30 प्रतिशत हो गया।

खंड 5: आवासन किफायत पर सीएलएसएस के प्रभाव : अनुभवाश्रित अनुसंधान

इस खंड में भारत में आवासन में किफायतीपन पर सीएलएसएस के प्रभाव के अध्ययन का प्रयास किया गया है। यह देखते हुए कि सीएलएसएस में ब्याज सब्सिडी या जाता है, और यह आवासन लागत को कम करता है, इससे यह अपेक्षित है कि सीएलएसएस को लागू करने से अधिकाधिक आवासन यूनिटों को किफायती के रूप में वर्गीकृत किया जा सकेगा। यद्यपि आवासन के किफायतीपन को वार्षिक आय के प्रति आवास की कीमत अथवा मासिक आय के प्रति आवासन की मासिक लागत (यथा-ईएमआई) के रूप में परिभाषित किया गया है, तथापि इस विश्लेषण में परवर्ती दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

सारणी 6: आवासीय क्षेत्र में खंड-वार लांच किए गए नए यूनिट (यूनिटों की संख्या)

खंड	2015-16	2016-17	वृद्धि (%)
किफायती	29325	32300	10.1
मध्य-रेंज	72800	64250	-11.7
उच्चतम	14600	10700	-26.7
विलासी	925	950	2.7
कुल	117650	108200	-8.0

स्रोत: कुशमैन एंड वैकफिल्ड, 2017.

इस कार्य में चारों खंड यथा - ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी-I और एमआईजी-II में आवासन के किफायती होने का आकलन 49 शहरों में दो परिदृश्यों में किया गया है: (i) बिना सीएलएसएस का लाभ दिए किफायतीपन; और (ii) सीएलएसएस के लाभ सहित किफायतीपन। इस प्रयोजन के लिए आवासन यूनिटों के किफायतीपन का एक मैट्रिक्स निर्मित किया गया जिसे किफायतीपन का पैमाना (एएम) का नाम दिया गया। जैसा कि खंड 2 में चर्चा की गई है, व्यय-पद्धति के अनुसार, एएम को परिवार की मासिक आय की तुलना में आवासन लागत के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, और आवास किफायती माना जाता है यदि एएम 30 प्रतिशत से कम या उसके बराबर हो। यद्यपि आवासन लागत में गिरवी चुकौती, सम्पति-कर आदि का भी समावेश होता है, तथापि यहाँ यह माना गया है कि इसमें केवल मासिक गिरवी चुकौती या समसमानकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) को शामिल किया जाता है। इसलिए एएम को परिवार की मासिक आय की तुलना में ईएमआई का अनुपात कहा गया है (संलग्नक-I).

इन अनुमानों से संकेत मिलता है कि अधिकांश शहरों में 30 प्रतिशत से कम या उसके बराबर एएम वाले किफायती आवास ईडब्ल्यूएस से उच्चतर आय-वर्ग में संकेन्द्रित हैं, खासकर एमआईजी खंड में जो कि इस आधार वाक्य के समनुरूप है कि उच्चतर आय अधिक सामर्थ्य की तरफ ले जाती है (चार्ट 7).

चार्ट 7: वर्गों और शहरों के अनुसार किफायतीपन का पैमाना

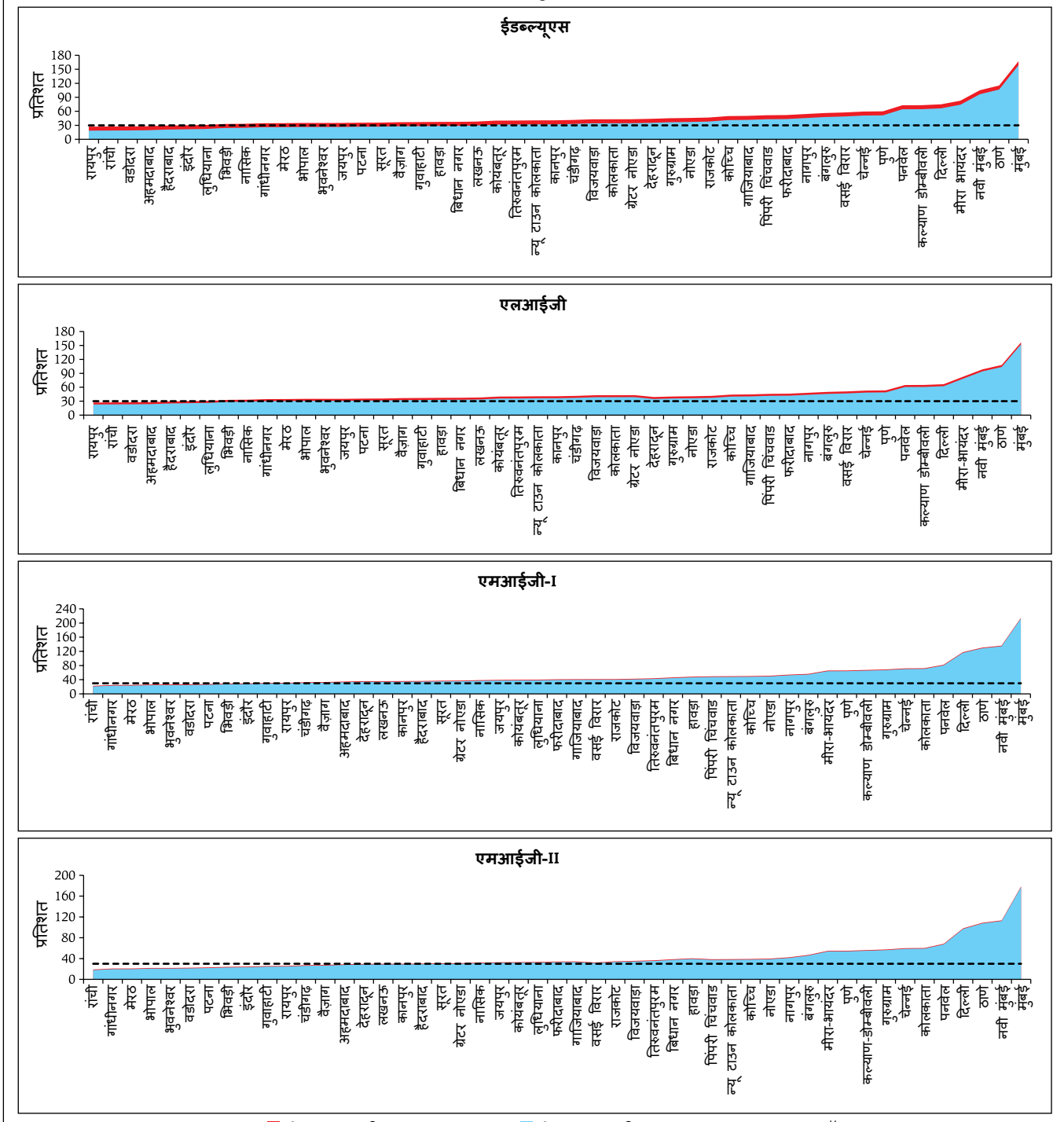

टिप्पणी: संबंधित खंड के बढ़ते हुए सीएपी के क्रम में 49 शहरों को क्रमबद्ध किया गया है।
स्रोत: लेखकों द्वारा संगणना

तालिका 7-किफायती आवासन वाले शहरों की संख्या

	सीएलएसएस सहित एएम ≤30 प्रतिशत	सीएलएसएस रहित एएम ≤30 प्रतिशत	सीएलएसएस से परिवर्तन
ईडब्ल्यूएस	5	21	16
एलआईसी	5	9	4
एमआईजी-I	9	11	2
एमआईजी-II	18	20	2

टिप्पणी: एनएचबी-रेजिडेक्स डाटाबेस द्वारा दी गई कारपेट एरिया कीमतों के आधार पर 49 शहरों में किफायतीपन का विश्लेषण किया गया है।
स्रोत: लेखकों द्वारा संगणना।

हालांकि यह देखा गया कि ईडब्ल्यूएस खंड के लिए आवासों को किफायती बनाने में प्रभावी रही (तालिका 7) सीएलएसएस के कारण 21 शहरों में ईडब्ल्यूएस के लिए आवास किफायती हुआ जबकि बिना सीएलएसएस के केवल 5 शहरों में ऐसा हो सका। लेकिन एलआईजी और एमआईजी खंडों के लिए आवासों को किफायती बनाने में सीएलएसएस का प्रभाव कम उल्लेखनीय है। ईडब्ल्यूएस के लिए आवासन को किफायती बनाने में सीएलएसएस की प्रभावशीलता को देखते हुए, इस पर नीति-निरूपण में प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

खंड 6: संबंधित मुद्दे और चुनौतियां

अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ अपने संपर्क के माध्यम से किफायती आवासन से आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है। अन्य क्षेत्रों यथा कृषि, बिजली, व्यापार, रेलवे, संचार और बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्रों की तुलना में आवासीय निर्माण (आवासन क्षेत्र के लिए प्रॉक्सी) के आउटपुट गुणक उच्चतर हैं (एनसीएईआर, 2014)। यदि सभी क्षेत्रों को लिया जाए तो आवासीय निर्माण का प्रत्यक्ष रोजगार सह-संबद्ध गुणांक उच्चतम है, भले ही इसमें रोजगार की प्रकृति काफी हद तक औपचारिक रहती है।

किफायती आवासन के लिए सरकार द्वारा नीतिगत उपायों यथा सरकारी प्रोत्साहन स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर टैग प्रदान करना, पीएमएवाई के तहत ब्याज सब्सिडी स्कीम से निम्न आय समूहों के लिए किफायती खंड में नई आवासन परियोजनाओं में तेज बढ़ोतरी हुई है। उपभोक्ता की दृष्टि से देखें तो न्यून लागत वाले क्रेडिट की उपलब्धता से किफायती आवासन की मांग चालित हो रही है, साथ ही रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी प्राधिकरण (रेरा) अधिनियम जैसी नीतियां भी भूसम्पदा क्षेत्र में नए क्रेता की रुचि जगा सकती हैं।

यद्यपि किफायती आवासन को बढ़ाने के लिए सरकार और रिज़र्व बैंक के संयुक्त प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, तथापि भारत में किफायती आवास विकास की गति को प्रभावित करने वाले और निजी क्षेत्र की सहभागिता को बाधित करने वाले कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे कि: (i) शहर की सीमाओं के भीतर कम लागत वाली उचित भूमि की कमी; (ii) सांविधिक क्लीयरेन्स और अनुमोदन की लंबी प्रक्रिया; (iii) विकास मानदंडों, आयोजना और परियोजना डिजाइन में कमियां; (iv) कम लाभ की गुंजाइश के कारण रियल एस्टेट के बड़े संगठित खिलाड़ियों की सहभागिता कम होना; (v) भवन-निर्माण के वित्तपोषण हेतु निधियों की उच्च लागत परियोजनाओं को अव्यवहार्य बनाती है; (vi) रख-रखाव के लिए उचित व्यवस्था का अभाव; (vii) लाभभोगी के चयन में चुनौतियां और (viii) कार्यान्वयन एजेन्सियों में क्षमता संबंधी सीमाएं या अपर्याप्त क्षमता (डेलॉयट 2016)। जब तक उक्त चुनौतियों का समाधान नहीं हो जाता, दो करोड़ों घरों के निर्माण का स्वप्न पूरा होने में देर होगी।

अनुलग्नक I

एएम तैयार करने की विधि

एएम आकलन हेतु सबसे पहले हम एनएचबी-रेजिडेक्स डाटाबेस से कारपेट एरिया कीमतों (कैप) के आंकड़े प्राप्त करते हैं। एनएचबी भारत के विभिन्न शहरों के लिए आवासन कीमत सूचकांक (एचपीआई) प्रदान करता है। यह सूचकांक दो शीर्षकों के तहत होता है - आकलन कीमतों पर एचपीआई और बाजार कीमतों पर एचपीआई। आकलन कीमतें मूल्यन डाटा होती हैं जो बैंकों और एचएफसी से प्राप्त की जाती हैं, और बाजार कीमतें निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए बाजार सर्वेक्षण से हासिल की जाती हैं। हमने आकलन कीमतों पर एचपीआई के तहत दी हुई सीएपी को लिया है क्योंकि इससे बैंकों/एचएफसी द्वारा दिए गए ऋणों के मूल्यन और सीएलएसएस के तहत प्राप्त ब्याज उपदान प्रभावित होंगे। आवासन यूनिटों के तीन अलग-अलग खंडों के लिए प्रति वर्ग फुट के लिए सीएपी दिया जाता है जिनका क्षेत्रफल इस प्रकार होता है: 646 वर्ग फुट (60 वर्ग मीटर) से कम, 646 से 1184 वर्ग फुट (60 से 110 वर्ग मीटर) और 1184 वर्ग फुट (110 वर्ग मीटर) से अधिक। यह विभाजन विभिन्न प्रकार के लाभभोगियों के लिए पीएमए में उल्लिखित पात्रता मानदंड के अनुसार है।

दूसरे चरण में हमने आवासन यूनिट की लागत का आकलन सीएपी को आवास के कारपेट एरिया से गुणा करके किया है। यहां यह मान लिया गया है कि आवास का कारपेट एरिया वह अधिकतम कारपेट एरिया है जो तालिका 2 में बताए अनुसार पीएमएवाई के तहत लाभभोगी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

आवासन लागत का आकलन करने के बाद तीसरे चरण में हमने अधिकतम अनुमेय आवास ऋण की संगणना की है जो किसी एक परिवार को प्रत्येक के तहत मिल सकता है। इसकी गणना करने के लिए आवास लागत को उचित ऋणमूल्य अनुपात (एलटीवी) से गुणा कर दिया गया है। कर्जदारों के दो वर्गों - सीएलएसएस सहित और सीएलएसएस रहित के लिए प्रभावी ऋण राशि अलग-अलग रहेगी। सीएलएसएस कर्जदारों के लिए प्रभावी ऋण रकम में इस स्कीम के तहत उपलब्ध ब्याज उपदान की रकम को घटा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा यह रकम कर्जदार को अग्रिम रूप से दे दी जाती है।

चौथे चरण में ऋण की अवधि को 20 वर्ष मानते हुए परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली ईएमआई की गणना की जाती है, जैसा कि पीएमएवाई में अनुमेय है और एक समान 8.35 प्रतिशत की ब्याज दर रखी जाती है, जैसा कि वर्तमान में बहुत से बैंकों द्वारा दी जा रही है।

पांचवें चरण में, पात्रता आय के आधार पर परिवार की मासिक आय की गणना की जाती है, जैसा कि पीएमएवाई के तहत दिया गया है। उदाहरण के लिए तीन लाख रुपये तक आय वाले परिवारों पर ईडब्ल्यूएम वर्ग में विचार किया जाता है। इसलिए एएम की गणना के लिए ईडब्ल्यूएस की मासिक आय को ₹25,000 अर्थात ₹3 लाख/12 मान लिया जाता है।

अंततः, पांचवें चरण में आकलित मासिक आय और चौथे चरण में आकलित ईएमआई के अनुपात को लेते हुए एएम की गणना की जाती है। यदि एएम 30 प्रतिशत से कम या उसके बराबर होता है तो आवास यूनिट को किफायती माना जाता है। यहां एएम की गणना दो परिदृश्यों में की जाती है - सीएलएसएस सहित और सीएलएसएस रहित। संकल्पनात्मक दृष्टि से सीएलएसएस सहित एएम, सीएलएसएस रहित एएम से कम होना चाहिए। उच्चतर अंतर का आशय है सीएलएसएस के सामर्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ेगा।

संदर्भ

Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI) (2009), "What Impact will the National Rental Affordability Scheme have upon Housing Affordability?", *AHURI Research & Policy Bulletin,* Issue 108, January.

Cushman & Wakefield (2017), Sector Overview Residential: Q1 2017.

Deloitte (2016), Mainstreaming Affordable Housing in India Moving towards Housing for All by 2022, August.

Diamond, R. and McQuade, T. (2015), "Who Wants Affordable Housing in Their Backyard? An Equilibrium Analysis of Low Income Property Development" Stanford Graduate School of Business.

Hamidi, S., Ewing, R. and Renne, J. (2016), "How Affordable is HUD Affordable Housing?" *Housing Policy Debate.*

Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC) (2016), The Report on Mortgage Market in India, March.

McKinsey Global Institute (2010), India's Urban Awakening: Building Inclusive Cities, Sustaining Economic Growth, April.

Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation (2012), Report of Technical Group (TG-12) on Estimation of Urban Housing Shortage.

NCAER (2014), Impact of Investments in the Housing Sector on GDP and Employment in the Indian Economy, April.

Reserve Bank of India (2014), Circular-Issue of Long Term Bonds by Banks – Financing of Infrastructure and Affordable Housing, July.

Reserve Bank of India (2016), Circular-Investment by a Foreign Venture Capital Investor (FVCI) registered under SEBI (FVCI) Regulations, 2000, October.

Reserve Bank of India (2017), Circular- Individual Housing Loans: Rationalisation of Risk-Weights and Loan to Value (LTV) Ratios, June.

U.S. Department of Housing and Urban Development (2017), Rent Burden in the Housing Choice Voucher Program, October.

Xue, X. (2013), "Affordable Housing in China- A Case Study in Datong", Masters Dissertation submitted to Ball State University, Muncie, Indiana, July.

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	29
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	30
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	31
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय	32
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	33
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	33
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	34
7	मुद्रा स्टॉक ($एम_3$) के स्रोत	35
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	36
9	कुल चलनिधि राशियां	36
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	37
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	37
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	38
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	38
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	39
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	40
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	41
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	42
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	43
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	43
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	43
21	थोक मूल्य सूचकांक	44
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	47
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	47
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	48
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	48
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	49
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	50
28	वाणिज्यिक पत्र	50
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	50
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	51

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	52
32	विदेशी मुद्रा भंडार	52
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	52
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	53
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	53
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर)	54
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	54
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	55
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (बिलियन ₹)	56
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	57
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (बिलियन ₹ में)	58
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	59
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	60
	अवसरिक श्रृंखलाएं	
44	लघु बचत	61
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	62
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	63
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	64
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	65

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।
– = शून्य/नगण्य
प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2016-17	2016-17		2017-18	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.6	7.6	6.8	5.6	6.1
1.1.1 कृषि	4.9	2.5	4.1	2.3	1.7
1.1.2 उद्योग	7.0	9.0	6.5	1.5	6.9
1.1.3 सेवाएं	6.9	8.2	7.4	7.8	6.6
1.1क अंतिम खपत व्यय	10.5	9.8	9.5	8.5	6.0
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	2.4	7.4	3.0	1.6	4.7
	2016-17	**2016**		**2017**	
		अक्तू	**नवं.**	**अक्तू**	**नवं.**
	1	1	2	3	4
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	4.6	4.2	5.1	2.2	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	11.3	9.2	15.6	8.7	3.4
2.1.2 ऋण	4.5	8.7	6.2	6.8	9.6
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	5.2	8.8	6.5	7.4	10.0
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	17.4	8.0	20.5	15.5	3.9
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	-12.9	16.0	-16.8	-5.1	30.4
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	10.6	10.4	8.1	6.5	8.8
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	20.50	20.75	20.75	19.50	19.50
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.3	4.9	6.5	4.8	4.7
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.9	74.4	69.3	73.0	73.4
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	41.4	22.3	1.0	108.2	136.4
3.6 निवेश-जमा अनुपात	28.2	29.0	30.8	30.8	30.9
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	28.4	42.6	52.5	748.8	369.5
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.25	6.25	6.00	6.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.75	6.75	6.75	6.25	6.25
4.4 बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.25	6.25
4.5 आधार दर	9.25/9.60	9.30/9.65	9.30/9.65	8.95/9.45	8.95/9.45
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.75/8.20	8.80/9.10	8.65/9.00	7.70/8.05	7.70/8.05
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.50/7.00	6.50/7.30	6.50/7.10	6.25/6.75	6.00/6.75
4.8 बचत जमा दर	4.00	4.00	4.00	3.50/4.00	3.50/4.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	5.97	6.18	5.94	5.85	5.89
4.10 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	5.82	6.36	5.94	6.11	6.15
4.11 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	6.05	6.46	6.07	6.18	6.25
4.12 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	6.14	6.46	5.96	6.22	6.28
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय	7.00	6.83	6.30	7.00	7.25
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	64.84	66.86	68.46	65.09	64.73
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.25	72.91	72.39	75.68	76.72
5.3 फारवर्ड प्रीमिआ अमेरिकी डालर 1-माह (%)	5.09	5.38	2.19	4.52	4.26
3-माह (%)	4.97	5.38	3.16	4.36	4.08
6-माह (%)	4.90	5.35	3.67	4.36	4.39
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.5	4.2	3.6	3.6	4.9
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.1	3.3	2.6	3.2	4.0
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.7	1.3	1.8	3.6	3.9
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	3.4	2.1	1.3	3.3	5.3
6.3.2 ईंधन और पावर	-0.3	-1.2	2.1	10.5	8.8
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	1.3	1.3	2.0	2.6	2.6
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	0.5	10.7	11.9	7.6	19.6
7.2 निर्यात	5.4	8.9	2.6	-1.1	30.5

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(बिलियन ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2016-17	2016	2017				
		दिसं.	नवं. 24	दिसं. 8	दिसं. 15	दिसं. 22	दिसं. 29
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	13,101.81	9,137.63	16,344.50	16,570.27	16,663.12	16,717.66	16,676.69
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	0.12	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.16
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**13,101.93**	**9,137.80**	**16,344.68**	**16,570.45**	**16,663.29**	**16,717.84**	**16,676.85**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	675.08	717.57	701.52	699.06	699.06	699.06	699.06
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	12,422.35	8,403.04	15,635.48	15,863.91	15,956.81	16,011.41	15,970.44
1.2.3 रुपया सिक्का	4.50	6.74	7.67	7.48	7.42	7.37	7.35
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	–	10.46	–	–	–	–	–
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	10,389.43	13,889.08	8,033.15	7,536.83	7,845.17	8,565.82	8,505.63
2.1.1.1 केंद्र सरकार	50.00	1.01	1.00	1.00	1.01	1.01	1.01
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	–	4,989.55	946.73	946.73	946.73	946.73	946.73
2.1.1.3 राज्य सरकारें	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,087.73	4,495.75	4,365.90	4,360.72	4,877.97	4,476.70	4,883.32
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	55.13	37.76	36.55	35.51	35.71	36.41	36.14
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	18.92	19.01	19.33	18.15	18.88	18.79	18.48
2.1.1.7 अन्य बैंक	279.49	257.24	258.77	254.67	254.49	258.69	260.05
2.1.1.8 अन्य	4,897.74	4,088.35	2,404.45	1,919.62	1,709.95	2,827.07	2,359.47
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–
2.1.2 अन्य देयताएं	8,411.18	9,529.95	8,852.09	8,637.04	8,529.30	8,574.19	8,613.90
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**18,800.61**	**23,419.03**	**16,885.24**	**16,173.86**	**16,374.47**	**17,140.01**	**17,119.52**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	0.12	0.18	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17
2.2.2 विदेश में रखे शेष	10,263.49	14,731.02	8,958.04	8,636.36	8,434.88	8,601.30	8,882.23
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.2 राज्य सरकारें	12.62	15.29	29.03	34.91	0.83	20.84	41.42
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	218.10	154.75	562.72	211.53	631.30	1,203.15	869.66
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.6 नाबार्ड	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.8 अन्य	39.91	35.94	47.09	43.50	51.83	53.44	57.77
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	–	–	–	–	–	–	–
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	–	–	–	–	–	–	–
2.2.5 निवेश	7,528.11	7,758.06	6,600.36	6,556.15	6,556.96	6,557.58	6,558.20
2.2.6 अन्य आस्तियां	738.26	723.80	687.83	691.23	698.50	703.52	710.08
2.2.6.1 सोना	613.19	651.78	637.16	634.93	634.93	635.74	635.74

* डाटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(बिलियन ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नवं. 1, 2017	29.10	144.05	–	300.05	0.50	–	–	–	–	–414.50
नवं. 2, 2017	33.55	233.69	–	237.04	0.80	–	–	–	–	–436.38
नवं. 3, 2017	26.70	174.57	47.40	202.02	–	–1.55	–	–	–	–304.04
नवं. 4, 2017	–	61.17	–	–	–	–	–	–	–	–61.17
नवं. 6, 2017	27.95	157.52	–	192.65	28.50	–	–	–	–	–293.72
नवं. 7, 2017	57.15	115.56	4.10	6.26	5.90	–4.30	–	–	–	–58.97
नवं. 8, 2017	111.45	81.92	–	65.97	1.42	4.30	–	–	–	–30.72
नवं. 9, 2017	37.15	146.26	–	118.83	–	–	–	–	–	–227.94
नवं. 10, 2017	28.90	362.58	133.65	130.66	1.75	–	–	100.00	–	–428.94
नवं. 13, 2017	28.40	61.55	–	164.10	0.40	–2.75	–	–	–	–199.60
नवं. 14, 2017	30.60	62.80	93.00	47.00	0.20	2.75	–	–	–	16.75
नवं. 15, 2017	30.11	52.19	–	282.54	–	–	–	–	–	–304.62
नवं. 16, 2017	31.80	40.02	–	43.59	3.51	–	–	–	–	–48.30
नवं. 17, 2017	31.60	46.19	157.65	217.09	0.40	–	–	–	–	–73.63
नवं. 18, 2017	–	82.09	–	–	0.25	–	–	–	–	–81.84
नवं. 20, 2017	38.57	59.36	–	–	4.80	–	–	–	–	–15.99
नवं. 21, 2017	178.12	81.77	123.00	–	5.35	–1.70	–	–	–	223.00
नवं. 22, 2017	47.92	87.45	–	135.24	4.25	–	–	–	–	–170.52
नवं. 23, 2017	49.25	95.62	–	105.01	5.00	1.70	–	–	–	–144.68
नवं. 24, 2017	114.32	309.64	98.45	101.90	5.45	–	–	–	–	–193.32
नवं. 27, 2017	30.20	109.22	–	115.00	25.10	–	–	–	–	–168.92
नवं. 28, 2017	30.20	58.33	33.10	100.04	0.20	–	–	–	–	–94.87
नवं. 29, 2017	30.21	134.55	–	173.40	0.01	–	–	–	–	–277.73
नवं. 30, 2017	30.70	121.31	11.75	400.29	–	–	–	–	–	–479.15

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेन्ट में परिचालन

मद	2016-17	2016	2017	
		नवं.	अक्तू.	नवं.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	12,351.00	–2,718.00	852.00	864.00
1.1 क्रय (+)	71,764.00	19,127.00	1,910.00	2,570.00
1.2 विक्रय (-)	59,413.00	21,845.00	1,058.00	1,706.00
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (बिलियन ₹)	822.16	–186.26	57.31	60.55
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डालर)	12,351.00	7,574.00	17,153.00	18,017.00
(बिलियन ₹)	822.17	500.14	1,123.70	1,184.25
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	10,835.00	2,944.00	31,374.00	30,615.00

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेन्ट में परिचालन

मद	2016-17	2016	2017	
		नवं.	अक्तू.	नवं.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	0.00	–1,020.00	0.00	0.00
1.1 क्रय (+)	10,456.00	3,720.00	1,400.00	0.00
1.2 विक्रय (-)	10,456.00	4,740.00	1,400.00	0.00
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	0.00	–1,020.00	0.00	0.00

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	31 नवंबर 2017 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	2,698	361	2,337
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	6,628	400	6,228
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	24,277	2,723	21,554
4. 1 वर्ष से अधिक	496	0	496
कुल (1+2+3+4)	**34,099**	**3,484**	**30,615**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2016-17	2016	2017					
		दिसं. 23	जुला. 21	अग. 18	सितं. 29	अक्टू. 27	नवं. 24	दिसं. 22
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	19.3	4.2	6.8	3.5	194.8	–	5.5	4.9
2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 बकाया	–	–	–	–	–	–	–	–
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3.2 बकाया	14.8	12.3	15.4	18.1	19.3	19.4	17.9	20.8
4 अन्य								
4.1 सीमा	–	–	–	–	–	–	–	–
4.2 बकाया	–	–	–	–	–	–	–	–
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	34.1	16.4	22.1	21.5	214.1	19.4	23.3	25.6

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2016-17	2016	2017		
		नवं. 25	अक्तू. 27	नवं. 10	नवं. 24
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	12,641.2	8,962.6	15,481.8	15,720.5	15,809.9
1.1 संचलन में नोट	13,101.8	11,642.4	16,091.9	16,280.9	16,344.5
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	243.4	234.4	247.4	247.4	247.4
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
1.4 बैंकों के पास नकदी	711.4	2,921.6	865.0	815.2	789.4
2 जनता की जमाराशियां	14,178.3	12,068.6	12,860.6	12,596.4	12,586.9
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	13,967.4	11,917.8	12,635.7	12,369.9	12,357.7
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	150.8	224.8	226.5	229.2
3 एम$_1$ (1+2)	**26,819.6**	**21,031.2**	**28,342.4**	**28,316.9**	**28,396.8**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	920.6	925.6	968.8	968.8	968.8
5 एम$_2$ (3+4)	**27,740.2**	**21,956.8**	**29,311.2**	**29,285.7**	**29,365.6**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	101,099.8	100,282.7	103,328.9	104,023.7	103,583.4
7 एम$_3$ (3+6)	**127,919.4**	**121,313.9**	**131,671.3**	**132,340.6**	**131,980.2**
8 कुल डाकघर जमाराशियां	2,562.1	2,521.9	2,717.2	2,717.2	2,717.2
9 एम$_4$ (7+8)	**130,481.4**	**123,835.8**	**134,388.5**	**135,057.8**	**134,697.4**

सं. 7: मुद्रा स्टॉक ($एम_3$) का स्रोत

(बिलियन ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016	2017		
		नवं. 25	अक्तू. 27	नवं. 10	नवं. 24
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**38,566.1**	**40,376.3**	**40,415.1**	**40,976.9**	**40,136.6**
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	6,208.1	6,092.6	4,922.8	4,996.8	4,474.1
1.1.1 सरकार पर दावे	7,512.0	7,584.4	6,711.0	6,615.3	6,603.4
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	7,499.4	7,570.2	6,708.5	6,573.4	6,574.3
1.1.1.2 राज्य सरकारें	12.6	14.2	2.5	41.9	29.0
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	1,303.9	1,491.8	1,788.2	1,618.5	2,129.2
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	1,303.5	1,491.3	1,787.8	1,618.1	2,128.8
1.1.2.2 राज्य सरकारें	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	32,358.0	34,283.7	35,492.3	35,980.1	35,662.5
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**84,114.9**	**78,076.7**	**84,832.8**	**85,286.5**	**85,417.7**
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	72.9	51.7	81.8	77.9	80.6
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	84,042.0	78,025.1	84,751.0	85,208.6	85,337.1
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	78,414.7	72,617.5	79,121.7	79,581.1	79,621.2
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	5,548.9	5,359.6	5,540.8	5,541.1	5,609.1
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	78.4	47.9	88.5	86.4	106.8
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**25,582.3**	**26,835.7**	**27,084.9**	**27,077.7**	**27,064.7**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	23,972.1	24,958.5	25,950.4	25,943.3	25,930.3
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	23,974.1	24,960.5	25,952.4	25,945.3	25,932.2
3.1.2 विदेशी देयताएं	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,610.2	1,877.3	1,134.5	1,134.5	1,134.5
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**250.9**	**241.8**	**254.8**	**254.8**	**254.8**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**20,594.8**	**24,216.7**	**20,916.3**	**21,255.4**	**20,893.6**
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	8,333.5	9,643.0	8,883.3	8,833.7	8,853.4
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	12,261.3	14,573.7	12,033.1	12,421.7	12,040.3
$एम_3$ (1+2+3+4-5)	**127,919.4**	**121,313.9**	**131,671.3**	**132,340.6**	**131,980.2**

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016	2017		
		नवं. 25	अक्तू. 27	नवं. 10	नवं. 24
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम$_1$ (1.1 + 1.2.1+1.3)	26,819.6	21,031.2	28,342.4	28,316.9	28,396.8
एन एम$_2$ (एन एम$_1$ + 1.2.2.1)	71,695.2	65,326.2	74,223.4	74,506.2	74,382.9
एन एम$_3$ (एन एम$_2$ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	129,706.3	122,736.5	133,531.5	134,157.3	133,785.1
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	12,641.2	8,962.6	15,481.8	15,720.5	15,809.9
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	113,690.9	110,351.2	114,593.6	115,012.7	114,549.0
1.2.1 मांग जमाराशियां	13,967.4	11,917.8	12,635.7	12,369.9	12,357.7
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	99,723.5	98,433.3	101,957.9	102,642.8	102,191.3
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	44,875.6	44,295.0	45,881.1	46,189.3	45,986.1
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,570.6	1,720.6	1,300.8	1,273.6	1,273.8
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	54,847.9	54,138.3	56,076.8	56,453.5	56,205.2
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	150.8	224.8	226.5	229.2
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,163.2	3,272.0	3,231.2	3,197.6	3,196.9
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	129,185.0	125,424.4	132,413.3	133,522.5	132,886.4
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	38,566.1	40,376.3	40,415.1	40,976.9	40,136.6
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	6,208.1	6,092.6	4,922.8	4,996.8	4,474.1
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	32,358.0	34,283.7	35,492.3	35,980.1	35,662.5
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	90,618.9	85,048.0	91,998.3	92,545.7	92,749.8
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	72.9	51.7	81.8	77.9	80.6
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	90,546.0	84,996.4	91,916.4	92,467.7	92,669.2
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	6,462.5	6,864.0	7,094.4	7,180.7	7,250.5
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	241.8	254.8	254.8	254.8
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,819.8	23,768.0	25,819.1	25,707.3	25,536.0
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,972.1	24,958.5	25,950.4	25,943.3	25,930.3
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	–152.3	–1,190.5	–131.3	–236.0	–394.3
2.4 पूंजी खाता	18,195.5	19,177.8	19,784.0	19,754.1	19,739.5
2.5 अन्य मदें (निवल)	5,353.9	7,519.8	5,171.8	5,573.3	5,152.6

सं. 9: कुल चलनिधि राशियां

(बिलियन ₹)

समुच्चय	2016-17	2016	2017		
		नवं.	सितं.	अक्तू.	नवं.
	1	2	3	4	5
1 एन एम$_3$	**129,706.3**	**122,736.5**	**133,583.8**	**133,531.5**	**133,785.1**
2 डाकघर जमाराशियां	2,562.1	2,521.9	2,717.2	2,717.2	2,717.2
3 एल$_1$ (1 + 2)	**132,268.3**	**125,258.5**	**136,301.0**	**136,248.7**	**136,502.3**
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
4.1 सावधि मुद्रा उधार	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4.3 सावधि जमाराशियां	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5 एल$_2$ (3 + 4)	**132,297.7**	**125,287.8**	**136,330.4**	**136,278.0**	**136,531.6**
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	317.9	..	313.6	..	..
7 एल$_3$ (5 + 6)	**132,615.6**	..	**136,644.0**	..	..

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016	2017		
		नवं. 25	अक्तू. 27	नवं. 10	नवं. 24
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	13,352.7	11,884.2	16,346.8	16,535.7	16,599.3
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	5,441.3	4,455.4	4,677.5	4,678.7	4,680.6
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,087.7	4,172.9	4,370.6	4,367.4	4,365.9
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	150.8	224.8	226.5	229.2
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	19,004.8	16,490.4	21,249.0	21,440.9	21,509.1
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	3,115.3	933.1	3,927.1	4,076.5	4,177.4
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	6,208.1	6,092.6	4,922.8	4,996.8	4,474.1
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	6,195.9	6,078.8	4,920.7	4,955.3	4,445.5
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	–	–	–	–	–
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	7,494.9	7,564.5	6,700.5	6,565.5	6,566.7
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	7,494.9	7,554.1	6,700.5	6,565.5	6,566.7
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	4.5	5.6	8.0	7.9	7.7
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	1,303.5	1,491.3	1,787.8	1,618.1	2,128.8
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	12.2	13.8	2.1	41.5	28.6
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-3,165.7	-5,211.2	-1,077.6	-998.2	-377.3
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-3,165.7	-5,211.2	-1,077.6	-998.2	-377.3
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	72.9	51.7	81.8	77.9	80.6
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	14.8	11.7	19.4	17.9	17.9
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	241.8	254.8	254.8	254.8
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,972.1	24,958.5	25,950.4	25,943.3	25,930.3
2.3.1 सोना	1,288.3	1,367.9	1,388.2	1,338.7	1,338.7
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	22,684.0	23,590.7	24,562.4	24,604.8	24,591.7
2.4 पूंजी खाता	7,512.8	8,755.3	8,218.6	8,171.1	8,150.1
2.5 अन्य मदें (निवल)	820.6	887.7	664.6	662.5	703.2

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
	2016-17	2016	2017				
		नवं. 25	अक्तू. 27	नवं. 3	नवं. 10	नवं. 17	नवं. 24
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	19,004.8	16,490.4	21,249.0	21,539.0	21,440.9	21,773.5	21,509.1
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	13,352.7	11,884.2	16,346.8	16,384.9	16,535.7	16,587.7	16,599.3
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	5,441.3	4,455.4	4,677.5	4,926.5	4,678.7	4,958.8	4,680.6
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	210.9	150.8	224.8	227.6	226.5	227.0	229.2
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	6,208.1	6,092.6	4,922.8	5,280.5	4,996.8	4,981.9	4,474.1
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-3,165.7	-5,211.2	-1,077.6	-1,224.6	-998.2	-631.5	-377.3
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	72.9	51.7	81.8	78.1	77.9	81.5	80.6
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,972.1	24,958.5	25,950.4	25,742.5	25,943.3	25,894.7	25,930.3
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	250.9	241.8	254.8	254.8	254.8	254.8	254.8
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	8,333.5	9,643.0	8,883.3	8,592.4	8,833.7	8,808.1	8,853.4

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार / माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2016-17	2016	2017		
		नवं. 25	अक्तू. 27	नवं. 10	नवं. 24
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	106,200.3	102,997.3	107,126.4	107,489.3	107,068.9
1.1.1 मांग जमाराशियां	12,814.4	10,771.2	11,504.0	11,239.6	11,224.0
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	93,385.9	92,226.1	95,622.4	96,249.8	95,844.9
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	42,023.6	41,501.8	43,030.1	43,312.4	43,130.2
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	1,570.6	1,720.6	1,300.8	1,273.6	1,273.8
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	51,362.2	50,724.4	52,592.3	52,937.4	52,714.7
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,163.2	3,272.0	3,231.2	3,197.6	3,196.9
स्रोत					
2.1 देशी ऋण	115,141.3	111,843.1	119,625.6	120,659.9	120,470.6
2.1.1 सरकार को ऋण	30,297.5	32,319.9	33,406.8	33,889.3	33,565.9
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	84,843.8	79,523.2	86,218.9	86,770.7	86,904.7
2.1.2.1 बैंक ऋण	78,414.7	72,617.5	79,121.7	79,581.1	79,621.2
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	77,875.4	71,699.7	78,499.5	78,898.7	78,877.4
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	44.2	109.9	73.6	81.0	84.3
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	12.2	21.3	18.7	17.5	38.4
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	6,372.9	6,774.4	7,004.8	7,091.1	7,160.9
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	–152.3	–1,190.5	–131.3	–236.0	–394.3
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,983.5	1,839.2	2,075.0	1,969.8	1,855.7
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	1,376.3	1,849.3	1,371.0	1,380.9	1,392.1
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	759.5	1,180.4	835.3	824.9	857.9
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	8,867.0	12,046.8	6,211.8	6,081.6	5,433.8
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	5,087.7	4,172.9	4,370.6	4,367.4	4,365.9
2.3.2 उपलब्ध नकदी	613.6	2,662.7	763.6	716.0	690.6
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	–3,165.7	–5,211.2	–1,077.6	–998.2	–377.3
2.4 पूंजी खाता	10,441.0	10,180.8	11,323.7	11,341.3	11,347.7
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	4,051.6	6,249.3	4,024.8	4,477.3	3,896.6
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	3,877.6	3,779.1	3,850.8	3,939.8	3,911.7
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	–62.4	–137.0	–491.7	–475.5	–430.4

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31, 2017 की स्थिति	2016	2017		
		नवं. 25	अक्तू. 27	नवं. 10	नवं. 24
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	30,309.6	32,341.2	33,302.5	33,906.7	33,604.4
2 वाणिज्यिक पत्र	1,159.6	1,197.7	1,087.3	1,030.9	1,055.6
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	91.9	77.8	112.8	109.2	113.4
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	567.3	489.1	696.8	692.3	718.3
3.3 अन्य	51.8	43.6	43.0	64.7	42.2
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	1,118.5	1,101.0	1,121.0	1,055.9	1,054.7
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	1,680.0	1,519.0	1,828.7	1,897.1	1,888.7
4.3 अन्य	810.9	779.2	659.0	658.1	659.8
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	134.0	914.7	838.8	845.1	868.6
5.2 वित्तीय संस्थाएं	844.3	723.5	740.6	737.8	759.5

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2016-17	2016	2017		2016-17	2016	2017	
		नवं.	अक्तू.	नवं.		नवं.	अक्तू.	नवं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	221	219	222	222	150	148	148	148
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**2,397.7**	**2,505.4**	**2,180.0**	**2,206.9**	**2,330.7**	**2,434.4**	**2,128.4**	**2,155.5**
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	1,765.5	1,963.5	1,482.1	1,429.0	1,698.6	1,893.2	1,431.8	1,379.3
1.2 बैंकों से उधार राशि	573.6	501.5	580.5	620.9	573.5	500.8	580.2	620.7
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	58.6	40.5	117.4	157.0	58.6	40.5	116.4	155.6
2 अन्य के प्रति देयताएं	**118,405.4**	**116,070.0**	**118,948.9**	**119,560.3**	**115,376.9**	**113,078.1**	**115,880.5**	**116,427.6**
2.1 कुल जमाराशियां	110,485.7	107,732.2	110,912.1	111,405.7	107,576.6	104,846.6	107,975.5	108,461.1
2.1.1 मांग	13,104.8	11,062.7	11,684.6	11,500.5	12,814.4	10,771.2	11,407.0	11,224.0
2.1.2 मीयादी	97,381.0	96,669.5	99,227.5	99,905.1	94,762.2	94,075.5	96,568.5	97,237.0
2.2 उधार	3,192.8	3,293.0	3,265.9	3,231.5	3,163.2	3,272.0	3,231.1	3,196.9
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	4,726.9	5,044.8	4,770.9	4,923.1	4,637.1	4,959.5	4,673.9	4,769.6
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**218.1**	**30.7**	**327.4**	**562.7**	**218.1**	**30.7**	**327.4**	**562.7**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अन्य	218.1	30.7	327.4	562.7	218.1	30.7	327.4	562.7
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	5,869.3	7,126.8	5,270.2	5,196.0	5,701.3	6,835.6	5,131.0	5,056.5
4.1 उपलब्ध नकदी	630.5	2,838.3	782.0	709.4	613.60	2,662.7	760.4	690.6
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5,238.8	4,288.5	4,488.2	4,486.7	5,087.7	4,172.9	4,370.6	4,365.9
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**2,934.5**	**3,200.8**	**2,952.2**	**3,095.4**	**2,437.3**	**2,681.3**	**2,511.4**	**2,670.2**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	1,898.0	2,024.2	1,945.1	2,022.5	1,700.1	1,792.8	1,757.1	1,838.6
5.1.1 चालू खाते में	197.3	306.7	172.6	135.3	160.6	241.8	150.4	116.4
5.1.2 अन्य खातों में	1,700.7	1,717.5	1,772.5	1,887.2	1,539.5	1,551.0	1,606.8	1,722.2
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	296.9	329.2	461.2	533.1	77.0	130.9	276.0	356.4
5.3 बैंकों को अग्रिम	380.4	317.3	248.2	256.6	379.5	313.6	246.2	249.9
5.4 अन्य आस्तियां	359.1	530.2	297.8	283.3	280.7	444.0	232.0	225.3
6 निवेश	**31,161.1**	**33,125.6**	**34,252.2**	**34,563.0**	**30,309.6**	**32,341.2**	**33,302.5**	**33,604.3**
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	31,144.8	33,097.0	34,184.1	34,475.6	30,297.5	32,319.9	33,284.8	33,565.9
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	16.4	28.5	68.1	87.4	12.2	21.3	17.7	38.4
7 बैंक ऋण	**80,817.8**	**74,832.6**	**81,297.0**	**82,079.5**	**78,414.7**	**72,617.5**	**78,846.4**	**79,621.2**
7क खाद्यान्न ऋण	652.4	1,080.5	813.7	935.2	539.3	917.8	622.3	743.8
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	78,490.1	72,806.5	79,226.3	79,955.8	76,148.5	70,645.1	76,832.1	77,554.9
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	263.5	212.8	193.1	198.9	246.0	195.9	179.9	182.8
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	1,402.8	1,221.8	1,271.2	1,310.5	1,365.9	1,191.7	1,234.2	1,275.8
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	248.6	217.8	225.7	230.3	246.4	216.0	224.4	228.1
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	412.7	373.7	380.6	384.0	407.9	368.8	375.8	379.5

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(बिलियन ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 31, 2017	2016	2017		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		नवं. 25	अक्तू. 27	नवं. 24	2017-18	2017
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	**71,347**	**65,994**	**70,996**	**71,501**	**0.2**	**8.3**
1.1 खाद्यान्न ऋण	**400**	**632**	**412**	**356**	**–11.1**	**-43.7**
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	**70,947**	**65,362**	**70,584**	**71,145**	**0.3**	**8.8**
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**9,924**	**9,112**	**9,810**	**9,882**	**–0.4**	**8.4**
1.2.2 उद्योग	**26,800**	**25,793**	**25,991**	**26,041**	**–2.8**	**1.0**
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	3,697	3,435	3,585	3,592	–2.8	4.6
1.2.2.2 मझौले	1,048	1,033	940	947	–9.7	-8.3
1.2.2.3 बड़े	22,055	21,325	21,466	21,502	–2.5	0.8
1.2.3 सेवाएं	**18,022**	**15,426**	**17,336**	**17,593**	**–2.4**	**14.0**
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	1,104	1,017	1,123	1,145	3.7	12.6
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	179	179	173	169	–5.3	-5.5
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	375	380	364	368	–1.9	-3.1
1.2.3.4 नौवहन	84	107	70	75	–10.0	-29.7
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	1,377	1,177	1,366	1,353	–1.7	15.0
1.2.3.6 व्यापार	4,279	3,728	4,265	4,328	1.1	16.1
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	1,932	1,682	1,855	1,909	–1.2	13.5
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	2,347	2,047	2,410	2,419	3.1	18.2
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1,856	1,762	1,829	1,819	–2.0	3.2
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	3,910	3,165	3,615	3,603	–7.9	13.8
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	4,859	3,910	4,531	4,732	–2.6	21.0
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	**16,200**	**15,031**	**17,447**	**17,630**	**8.8**	**17.3**
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	208	196	178	180	–13.6	-8.2
1.2.4.2 आवास	8,601	8,153	9,035	9,221	7.2	13.1
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	661	595	532	537	–18.8	-9.8
1.2.4.4 शयेरों और बाडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	48	46	54	55	14.9	18.1
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	521	463	637	637	22.2	37.5
1.2.4.6 शिक्षा	701	710	718	717	2.3	1.0
1.2.4.7 वाहन ऋण	1,705	1,673	1,804	1,808	6.0	8.0
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	3,755	3,194	4,489	4,475	19.2	40.1
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**24,357**	**22,421**	**23,792**	**24,017**	**–1.4**	**7.1**
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	9,909	9,079	9,771	9,844	–0.7	8.4
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	9,020	8,200	8,867	8,953	–0.7	9.2
1.2अ.2.1 विनिर्माण	3,697	3,435	3,585	3,592	–2.8	4.6
1.2अ.2.2 सेवाएं	5,322	4,765	5,282	5,361	0.7	12.5
1.2अ.3 आवास	3,683	3,575	3,662	3,701	0.5	3.5
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	189	180	167	160	–15.3	-11.1
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	604	607	589	597	–1.2	-1.6
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	6	6	3	3	–57.2	-56.6
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	5,546	5,045	5,430	5,421	–2.3	7.5
1.2अ.8 निर्यात ऋण	425	454	434	414	–2.5	-8.7

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(बिलियन ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 31, 2017	2016	2017		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		नवं. 25	अक्तू. 27	नवं. 24	2017-18	2017
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	**26,800**	**25,793**	**25,991**	**26,041**	**–2.8**	**1.0**
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	**345**	**344**	**324**	**326**	**–5.4**	**–5.1**
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	**1,455**	**1,264**	**1,339**	**1,389**	**–4.5**	**9.9**
1.2.1 चीनी	327	281	264	265	–19.0	–5.8
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	184	163	178	189	3.0	15.8
1.2.3 चाय	35	38	43	47	33.1	25.3
1.2.4 अन्य	909	782	854	888	–2.3	13.5
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	**173**	**162**	**155**	**166**	**–3.9**	**2.6**
1.4 वस्त्र	**1,963**	**1,864**	**1,935**	**1,949**	**–0.7**	**4.6**
1.4.1 सूती वस्त्र	964	894	958	967	0.4	8.2
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	23	21	25	24	2.6	14.5
1.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	204	195	227	228	11.9	17.0
1.4.4 अन्य वस्त्र	773	754	724	730	–5.5	–3.2
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	**107**	**100**	**108**	**107**	**–0.2**	**6.4**
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	**105**	**100**	**105**	**105**	**–0.1**	**4.8**
1.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	**326**	**337**	**308**	**308**	**–5.5**	**–8.6**
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	**596**	**488**	**461**	**466**	**–21.9**	**–4.5**
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	**1,724**	**1,501**	**1,529**	**1,549**	**–10.2**	**3.2**
1.9.1 उर्वरक	335	254	243	240	–28.3	–5.4
1.9.2 औषधि और दवाइयां	464	460	459	447	–3.5	–2.7
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	507	378	418	430	–15.2	13.7
1.9.4 अन्य	419	409	409	431	3.1	5.4
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	**392**	**356**	**401**	**405**	**3.4**	**13.7**
1.11 कांच और कांच के सामान	**79**	**81**	**78**	**82**	**3.8**	**1.8**
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	**542**	**529**	**535**	**532**	**–1.9**	**0.7**
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	**4,211**	**4,093**	**4,144**	**4,133**	**–1.9**	**1.0**
1.13.1 लोहा और स्टील	3,192	3,090	3,223	3,223	1.0	4.3
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	1,018	1,003	922	910	–10.6	–9.3
1.14 सभी अभियांत्रिकी	**1,496**	**1,469**	**1,507**	**1,503**	**0.5**	**2.4**
1.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	336	340	363	347	3.2	2.0
1.14.2 अन्य	1,160	1,129	1,144	1,157	–0.3	2.5
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	**736**	**700**	**702**	**712**	**–3.2**	**1.7**
1.16 रत्न और आभूषण	**690**	**674**	**696**	**681**	**–1.4**	**1.1**
1.17 निर्माण	**822**	**785**	**839**	**855**	**3.9**	**8.9**
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	**9,064**	**9,007**	**8,839**	**8,796**	**–3.0**	**–2.3**
1.18.1 पावर	5,254	5,253	5,161	5,121	–2.5	–2.5
1.18.2 दूरसंचार	851	849	846	844	–0.8	–0.6
1.18.3 सड़क	1,800	1,802	1,727	1,707	–5.2	–5.3
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,160	1,103	1,105	1,124	–3.1	1.9
1.19 अन्य उद्योग	**1,973**	**1,940**	**1,986**	**1,977**	**0.2**	**1.9**

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति					
	2016-17	2016	2017			
		अग. 26	जुला. 28	अग. 04	अग. 18	अग. 25
	1	2	3	4	5	6
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	29	30	30	29
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	**527.8**	**450.1**	**519.2**	**533.8**	**536.3**	**515.4**
2 मांग और मीयादी देयताएं						
2.1 मांग देयताएं	**183.2**	**158.6**	**163.1**	**160.1**	**176.9**	**162.9**
2.1.1 जमाराशियां						
2.1.1.1 अंतर-बैंक	45.0	38.8	39.2	37.5	35.6	41.9
2.1.1.2 अन्य	106.3	80.4	98.8	97.4	97.6	95.2
2.1.2 बैंकों से उधार	2.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	30.0	30.2	25.1	25.2	43.7	25.8
2.2 मीयादी देयताएं	**947.6**	**848.3**	**867.8**	**876.8**	**861.6**	**848.3**
2.2.1 जमाराशियां						
2.2.1.1 अंतर-बैंक	512.6	435.0	439.4	434.0	416.5	419.0
2.2.1.2 अन्य	421.5	369.8	420.4	436.3	438.7	420.2
2.2.2 बैंकों से उधार	4.4	37.1	0.0	0.0	0.0	2.8
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	9.2	6.5	8.1	6.5	6.4	6.4
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	517.2	427.6	434.9	416.3	427.1	444.4
4.1 मांग	180.4	133.0	168.8	148.6	154.0	168.4
4.2 मीयादी	336.8	294.6	266.2	267.7	273.1	276.0
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	**66.6**	**41.2**	**45.6**	**45.5**	**48.8**	**47.0**
5.1 उपलब्ध नकदी	3.7	2.3	3.2	2.8	2.5	2.9
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	62.9	38.8	42.4	42.7	46.3	44.1
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	**17.5**	**5.9**	**7.2**	**7.3**	**19.5**	**6.3**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**329.8**	**293.8**	**309.8**	**312.4**	**313.5**	**312.1**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**254.4**	**225.8**	**211.7**	**197.9**	**225.3**	**216.2**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**458.7**	**449.9**	**475.6**	**468.5**	**459.0**	**473.9**
10 अग्रिम						
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**458.6**	**449.8**	**475.6**	**468.4**	**459.0**	**473.9**
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	777.0	700.9	716.0	713.8	718.2	724.0
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2016-17			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	नवं. 16	अक्तू.17	नवं. 17	नवं. 16	अक्तू.17	नवं. 17	नवं. 16	अक्तू.17	नवं. 17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**135.3**	**134.9**	**135.2**	**136.6**	**140.4**	**142.5**	**135.2**	**139.7**	**141.5**	**136.1**	**140.1**	**142.1**
1.1 अनाज और उत्पाद	130.8	128.9	130.2	132.0	135.9	136.3	130.2	133.9	134.3	131.4	135.3	135.7
1.2 मांस और मछली	137.9	140.1	138.7	137.4	141.9	142.4	138.5	142.8	142.1	137.8	142.2	142.3
1.3 अंडा	128.9	130.7	129.6	130.6	131.0	139.9	134.1	131.4	146.7	132.0	131.2	142.5
1.4 दूध और उत्पाद	135.2	132.4	134.1	136.2	141.5	142.0	132.9	139.1	139.5	135.0	140.6	141.1
1.5 तेल और चर्बी	120.3	112.0	117.3	121.1	121.4	121.7	112.6	114.9	115.2	118.0	119.0	119.3
1.6 फल	138.1	132.8	135.6	136.9	146.7	147.7	130.8	135.6	136.4	134.1	141.5	142.4
1.7 सब्जी	139.2	144.8	141.1	141.8	157.1	168.0	142.0	173.2	185.2	141.9	162.6	173.8
1.8 दाल और उत्पाद	165.6	170.3	167.2	170.0	136.4	135.9	174.9	124.1	122.2	171.7	132.3	131.3
1.9 चीनी और उत्पाद	112.1	114.9	113.0	113.4	121.4	122.6	115.6	122.6	123.9	114.1	121.8	123.0
1.10 मसाले	135.1	143.8	138.0	136.8	135.6	136.0	145.4	137.8	138.3	139.7	136.3	136.8
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	128.1	122.4	125.7	128.7	131.3	132.1	122.7	125.1	125.4	126.2	128.7	129.3
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	141.7	139.2	140.5	143.1	150.3	151.5	140.3	145.5	146.0	141.8	148.1	148.9
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**140.1**	**144.2**	**141.2**	**141.2**	**150.5**	**151.9**	**144.3**	**154.6**	**156.2**	**142.0**	**151.6**	**153.0**
3 कपड़ा और जूते	**137.9**	**127.8**	**133.9**	**139.2**	**146.2**	**147.1**	**128.5**	**132.6**	**133.5**	**135.0**	**140.8**	**141.7**
3.1 कपड़ा	138.6	128.9	134.8	139.9	147.2	148.0	129.6	134.0	135.0	135.8	142.0	142.9
3.2 जूते	133.7	121.7	128.7	134.5	140.6	141.4	122.1	124.9	125.4	129.3	134.1	134.8
4 आवास	**--**	**128.0**	**128.0**	**--**	**--**	**--**	**129.1**	**137.3**	**138.6**	**129.1**	**137.3**	**138.6**
5 ईंधन और लाइट	**130.1**	**116.4**	**124.9**	**130.3**	**138.1**	**140.5**	**116.2**	**122.6**	**125.7**	**125.0**	**132.2**	**134.9**
6 विविध	**125.0**	**120.6**	**122.9**	**126.1**	**130.7**	**131.5**	**121.3**	**124.5**	**124.9**	**123.8**	**127.7**	**128.3**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	131.3	124.3	128.0	132.1	138.4	139.4	124.7	128.3	128.8	128.6	133.6	134.4
6.2 स्वास्थ्य	128.1	121.6	125.6	129.1	134.2	135.1	122.1	126.6	127.4	126.4	131.3	132.2
6.3 परिवहन और संचार	117.4	112.8	114.9	118.2	121.0	121.3	113.4	115.0	115.3	115.7	117.8	118.1
6.4 मनोरंजन	125.9	121.0	123.2	126.9	133.0	133.8	121.7	124.8	125.1	124.0	128.4	128.9
6.5 शिक्षा	132.3	131.1	131.6	133.7	140.1	141.6	132.1	136.3	136.6	132.8	137.9	138.7
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	121.7	120.3	121.1	123.5	127.4	128.0	121.3	124.6	124.9	122.6	126.2	126.7
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**132.4**	**127.9**	**130.3**	**133.6**	**138.3**	**140.0**	**128.5**	**133.5**	**134.8**	**131.2**	**136.1**	**137.6**

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2016-17	2016	2017	
				नवं.	अक्तू.	नवं.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	276	277	287	288
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	870	878	901	905
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	–	875	883	907	910

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2016-17	2016	2017	
		नवं.	अक्तू.	नवं.
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	29,665	29,796	29,505	29,399
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	42,748	42,972	39,385	39,332

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2016-17	2016	2017		
			नवं.	सितं.	अक्तू.(अ).	नवं.(अ).
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	**100.000**	**111.6**	**111.9**	**114.9**	**115.5**	**116.3**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**128.9**	**128.8**	**131.5**	**133.4**	**135.6**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**140.3**	**142.0**	**144.8**	**148.0**	**150.6**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	152.0	158.2	144.0	143.1	141.7
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	138.7	139.9	162.8	177.1	188.8
1.1.1.3 दूध	4.440	134.3	134.7	140.4	140.0	139.9
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	133.0	131.2	134.9	135.9	137.4
1.1.1.5 मसाले	0.529	140.5	140.8	124.0	125.1	126.3
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	150.5	152.3	139.4	139.3	140.4
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**122.2**	**117.7**	**119.8**	**119.2**	**116.9**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	117.1	112.3	117.5	113.2	112.9
1.1.2.2 तिलहन	1.115	136.0	128.0	128.0	128.1	127.1
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	114.9	113.5	113.9	113.4	108.8
1.1.2.4 फूल	0.204	137.4	125.1	140.4	151.8	154.8
1.1.3 खनिज	**0.833**	**113.1**	**110.8**	**129.3**	**120.8**	**129.3**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	98.4	93.6	118.3	107.6	118.3
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	164.4	170.9	168.0	166.9	168.0
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	**2.410**	**73.1**	**70.5**	**67.8**	**69.8**	**74.5**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**86.3**	**87.3**	**91.9**	**93.5**	**95.0**
1.2.1 कोल	**2.138**	**109.0**	**107.0**	**117.5**	**117.5**	**117.6**
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	108.2	101.4	135.5	135.5	135.5
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	110.5	110.7	110.7	110.7	110.7
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	90.2	88.8	95.0	95.0	95.9
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**73.3**	**74.8**	**79.6**	**82.2**	**84.6**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**104.2**	**105.9**	**106.1**	**106.1**	**106.1**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**110.7**	**111.0**	**113.7**	**113.7**	**113.9**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**125.4**	**127.3**	**128.4**	**128.3**	**127.9**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.1	139.4	133.0	133.6	132.9
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	127.7	127.4	129.2	129.5	125.9
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	120.2	121.7	118.1	118.9	118.8
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	107.0	108.0	107.8	108.3	110.1
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	132.3	133.3	145.2	143.8	142.4
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	136.2	141.5	139.0	139.2	137.4
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	114.6	112.6	112.5	112.7	112.0
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	127.0	127.9	127.8	128.5	128.8
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	124.8	127.1	133.1	132.3	130.8
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	125.5	124.7	126.6	126.8	126.5
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	137.1	151.0	132.3	132.3	128.0
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	125.9	125.4	130.7	132.3	131.5
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	124.5	128.1	117.5	115.0	119.6
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	126.3	125.6	126.5	127.1	127.6
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.2	141.4	144.3	141.8	138.7
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	165.4	165.4	152.5	151.2	150.6
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**116.1**	**116.3**	**118.8**	**119.0**	**119.5**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	113.3	114.8	113.7	113.5	114.0
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	114.2	114.8	118.5	118.1	118.6
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	121.8	119.6	126.6	127.8	128.3
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	**0.514**	**141.6**	**142.1**	**150.2**	**148.9**	**155.3**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	141.6	142.1	150.2	148.9	155.3
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**111.2**	**110.8**	**113.2**	**113.2**	**113.5**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	103.3	102.8	105.5	105.5	104.9
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	120.9	120.6	122.5	122.5	124.6
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	107.1	105.9	106.6	108.6	107.7
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	121.7	122.2	124.5	124.0	124.4
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	143.0	140.9	142.9	143.7	141.1
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	112.9	113.4	117.5	116.2	116.5
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	**0.814**	**131.0**	**131.0**	**136.8**	**137.1**	**137.5**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	133.9	133.0	137.8	138.2	138.2
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉस्चिटेड वस्त्र	0.221	123.3	125.7	134.0	134.1	135.7

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2016-17	2016	2017		
			नवं.	सितं.	अक्तू.(अ).	नवं.(अ).
	1	2	3	4	5	6
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद	**0.535**	**122.6**	**122.3**	**119.9**	**119.1**	**119.5**
1.3.6.1 चमड़े की ट्रैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिगं और फर की रंगायी	0.142	119.9	118.1	109.8	109.2	110.8
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	132.3	130.3	130.9	132.6	131.0
1.3.6.3 जूते चप्पल	0.318	121.5	122.2	121.8	120.3	120.7
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	**0.772**	**129.8**	**128.7**	**132.7**	**132.3**	**131.6**
1.3.7.1 आरा मिलिगं और लकड़ी के उत्पाद	0.124	122.9	120.0	119.1	119.2	121.1
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	127.3	126.1	132.3	132.1	130.7
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	153.8	157.9	159.0	160.4	160.4
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	140.3	139.8	140.8	138.3	137.7
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	**1.113**	**113.6**	**114.8**	**119.9**	**119.6**	**118.1**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	117.7	117.5	122.5	122.4	121.5
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	114.7	119.1	118.4	119.5	113.6
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	105.9	106.0	117.1	115.3	117.3
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**141.1**	**140.3**	**145.1**	**143.1**	**142.5**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	141.1	140.3	145.1	143.1	142.5
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	**6.465**	**111.0**	**110.5**	**111.3**	**111.7**	**112.2**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	104.7	104.5	108.2	108.6	111.2
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	118.7	117.8	116.5	116.8	116.8
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिथैंटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	113.7	113.5	112.7	112.7	112.6
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	116.8	115.3	113.7	114.8	114.0
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	108.5	108.7	107.5	108.9	106.4
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	113.7	113.9	114.4	114.6	115.3
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	106.5	105.7	109.0	109.1	109.4
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	94.1	92.4	96.4	97.1	98.6
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**119.7**	**119.5**	**121.4**	**122.1**	**121.6**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	119.7	119.5	121.4	122.1	121.6
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	**2.299**	**107.5**	**107.8**	**107.6**	**107.6**	**107.6**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिगं और पुनर्निर्माण	0.609	101.4	101.6	100.8	100.0	100.4
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	90.4	90.2	91.3	91.7	90.8
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	113.3	113.9	113.7	114.0	113.9
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**109.8**	**109.9**	**111.9**	**111.8**	**111.4**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	116.6	117.0	116.9	117.1	116.6
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	116.2	117.5	113.3	113.4	111.7
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	94.3	89.8	89.2	90.9	92.0
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	111.8	111.7	112.8	113.0	112.1
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	110.6	110.7	113.8	113.4	113.0
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	115.3	116.8	119.4	120.0	119.0
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	117.4	118.2	116.8	116.4	117.3
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	70.9	68.9	77.4	77.4	77.4
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**91.1**	**91.9**	**100.9**	**100.7**	**101.0**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	82.9	85.1	97.6	97.0	96.9
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	79.4	81.9	100.2	99.2	99.2
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	89.8	90.0	93.1	92.7	92.6
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	85.3	86.0	92.5	91.7	92.5
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	89.4	90.8	104.7	104.8	104.9
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	85.6	84.4	93.5	93.3	93.7
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	84.1	85.6	96.7	95.8	96.1
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	107.8	107.0	116.6	116.1	118.0
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	100.1	99.7	108.1	109.0	110.2
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	102.2	102.4	105.9	105.7	104.5
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	118.2	117.1	117.7	117.7	120.3
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**105.1**	**103.7**	**108.9**	**108.8**	**111.1**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	102.5	100.3	105.7	105.5	105.2
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	109.2	107.2	119.7	121.6	128.7
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	108.5	109.3	109.4	109.4	109.4
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिगं और रोल फॉरर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	94.7	92.9	92.1	89.8	90.9
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	111.5	114.5	94.3	93.6	97.8
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	108.1	106.7	116.6	116.3	118.5
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**108.3**	**108.7**	**111.7**	**111.8**	**110.3**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	106.7	105.9	103.6	104.3	103.7
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	127.3	127.3	127.4	127.4	127.4

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2016-17	2016	2017		
			नवं.	सितं.	अक्तू.(अ).	नवं.(अ).
	1	2	3	4	5	6
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	104.1	104.1	116.0	116.0	115.7
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	0.641	100.0	101.7	105.0	104.9	101.6
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	103.1	102.3	108.7	108.7	106.5
1.3.16.6 हाथ घडी और दीवार घडी	0.076	137.9	140.1	136.7	136.9	136.1
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	104.3	103.0	105.3	102.6	102.3
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	96.6	94.9	112.8	112.8	113.6
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**108.2**	**107.8**	**110.7**	**110.2**	**110.0**
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	105.0	104.2	106.8	106.5	106.3
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्यूलेटर	0.236	120.4	120.3	115.3	115.3	116.4
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	118.8	118.4	123.8	121.6	114.2
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	99.7	99.2	106.7	106.6	107.3
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.5	110.1	110.7	110.9	111.0
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.4	119.4	122.1	121.6	121.7
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	104.4	103.8	109.4	106.8	106.7
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**107.9**	**107.5**	**108.5**	**109.1**	**109.4**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	104.1	102.9	100.4	102.0	101.3
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	114.3	114.0	115.1	115.0	115.2
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	106.6	107.7	107.9	108.3	108.7
1.3.18.4 बेयरिगं, गियर्स, गेयरिगं और ड्राइविगं उपकरण	0.340	104.5	104.0	108.6	108.6	110.2
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर भट्टियां	0.008	77.8	74.7	79.4	79.5	79.5
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने - उतारने वाले उपकरण	0.285	103.2	102.7	107.6	106.0	109.0
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	124.9	125.6	128.4	127.6	128.7
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	112.3	112.3	112.5	112.7	112.8
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	100.1	99.7	99.7	102.7	98.7
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	79.6	76.8	75.6	75.5	74.7
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	116.9	116.6	117.3	120.3	122.8
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	116.2	115.6	116.1	119.0	119.2
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	115.8	115.6	119.4	120.2	120.7
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	73.7	72.6	71.0	71.0	71.0
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**110.4**	**110.3**	**110.5**	**110.6**	**110.4**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.4	113.4	112.6	112.8	112.0
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	107.2	106.9	108.1	108.2	108.6
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**107.7**	**108.7**	**109.6**	**109.8**	**110.8**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली - वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.7	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिगं स्टाक	0.110	100.6	102.5	104.7	104.7	104.7
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	102.8	103.8	104.6	104.9	106.1
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी	0.117	118.0	117.9	120.1	119.9	120.1
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	116.5	115.1	119.1	119.0	119.0
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**114.1**	**115.5**	**125.0**	**124.6**	**122.5**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	114.1	115.5	125.0	124.6	122.5
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**119.7**	**118.2**	**106.6**	**106.6**	**108.7**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	118.4	116.8	103.8	103.8	105.8
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	158.0	159.7	169.2	185.2	181.2
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	124.7	126.0	125.7	126.1	125.9
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	125.2	120.9	126.7	126.9	126.3
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	143.3	144.5	155.3	153.5	157.6
.2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**134.7**	**136.5**	**138.7**	**140.6**	**142.1**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औदयोगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2015-16	2016-17	अप्रैल-अक्तूबर		अक्तूबर	
				2016-17	2017-18	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	114.7	120.0	118.1	121.0	120.3	123.0
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन और उत्खनन	14.37	97.3	102.5	93.9	97.1	101.0	101.2
1.2 विनिर्माण	77.63	115.9	121.0	119.8	122.3	121.3	124.3
1.3 बिजली	7.99	133.8	141.6	144.3	152.0	145.1	149.8
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	112.0	117.5	114.2	118.2	119.2	122.2
2.2 पूंजीगत माल	8.22	98.4	101.5	98.1	98.9	94.3	100.7
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	118.4	122.3	121.4	121.7	122.3	122.5
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	120.3	125.0	124.8	127.9	124.8	131.3
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	119.1	122.6	125.1	122.7	130.7	121.7
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	117.2	126.5	122.3	131.5	122.1	131.5

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-नवं.			
	2017-18 (संशोधित अनुमान)	2017-18 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	संशोधित अनुमानों का प्रतिशत	
				2017-18	2016-17
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**15,157.7**	**8,048.6**	**7,961.2**	**53.1**	**57.8**
1.1 कर राजस्व (निवल)	12,270.1	6,993.9	6,211.7	57.0	58.9
1.2 करेतर राजस्व	2,887.6	1,054.7	1,749.5	36.5	54.2
2 पूंजीगत प्राप्तियां	**6,309.6**	**6,739.5**	**4,905.6**	**106.8**	**81.6**
2.1 ऋण की वसूली	119.3	94.7	90.3	79.4	84.9
2.2 अन्य प्राप्तियां	725.0	523.8	235.3	72.2	41.6
2.3 उधारियां और अन्य देयताएं	5,465.3	6,121.1	4,580.0	112.0	85.8
3 कुल प्राप्तियां (1+2)	**21,467.4**	**14,788.2**	**12,866.8**	**68.9**	**65.0**
4 राजस्व व्यय	18,369.3	12,947.0	11,443.3	70.5	66.1
4.1 ब्याज भुगतान	5,230.8	3,098.0	2,666.8	59.2	54.1
5 पूंजी व्यय	3,098.0	1,841.2	1,423.5	59.4	57.6
6 कुल व्यय (4+5)	**21,467.4**	**14,788.2**	**12,866.8**	**68.9**	**65.0**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**3,211.6**	**4,898.4**	**3,482.1**	**152.5**	**98.4**
8 राजकोषीय घाटा {6-(1+2.1+2.2)}	**5,465.3**	**6,121.1**	**4,580.0**	**112.0**	**85.8**
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	**234.5**	**3,023.1**	**1,913.2**	**1,288.9**	**464.0**

स्रोत: महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(बिलियन ₹)

मद	2016-17	2016	2017					
		नवं. 25	अक्तू. 20	अक्तू. 27	नवं. 3	नवं. 10	नवं. 17	नवं. 24
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	323.7	261.1	393.6	314.6	363.2	348.3	386.9	230.0
1.2 प्राथमिक व्यापारी	243.5	177.3	234.8	213.5	220.6	211.0	215.4	265.9
1.3 राज्य सरकारें	146.2	613.3	778.9	944.5	769.3	859.2	889.6	894.9
1.4 अन्य	343.4	732.7	702.9	775.6	692.7	687.1	613.8	689.8
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	216.2	309.7	365.1	342.4	354.3	367.8	356.3	333.8
2.2 प्राथमिक व्यापारी	316.5	306.2	250.5	278.6	251.7	227.1	227.8	244.1
2.3 राज्य सरकारें	193.6	133.2	120.7	120.7	108.2	110.9	110.2	110.2
2.4 अन्य	120.9	147.2	155.3	169.9	145.4	173.2	146.3	172.5
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	512.3	698.8	440.2	378.0	414.5	358.9	395.8	341.2
3.2 प्राथमिक व्यापारी	551.8	536.9	622.7	612.8	642.2	599.0	597.5	586.2
3.3 राज्य सरकारें	26.3	26.2	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7
3.4 अन्य	326.4	301.0	331.9	364.6	317.5	371.4	352.8	378.0
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–
4.2 प्राथमिक व्यापारी	–	–	–	–	–	–	–	–
4.3 राज्य सरकारें	1,560.6	1,032.1	1,235.7	1,211.9	1,023.3	786.3	1,128.3	1,261.0
4.4 अन्य	5.1	8.7	5.2	6.2	6.0	4.4	8.5	4.6
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)	3,320.8	4,243.5	4,426.3	4,544.8	4,309.3	4,343.9	4,322.3	4,276.5

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार 'मध्यवर्ती' हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि बिलियन ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2017-18										
नवं. 1	70	50	901.94	49.13	25	70.00	49.13	119.13	98.50	6.1081
नवं. 8	70	53	888.39	220.51	40	70.00	220.51	290.51	98.50	6.1081
नवं. 15	70	43	700.52	60.00	24	70.00	60.00	130.00	98.50	6.1081
नवं. 22	70	56	1,051.58	41.62	23	70.00	41.62	111.62	98.50	6.1081
नवं. 29	70	49	1,113.44	70.32	44	70.00	70.32	140.32	98.49	6.1495
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2017-18										
नवं. 1	20	41	143.96	–	9	20.00	–	20.00	97.01	6.1812
नवं. 8	20	37	106.52	–	9	20.00	–	20.00	97.01	6.1812
नवं. 15	20	31	83.87	–	5	20.00	–	20.00	97.01	6.1812
नवं. 22	20	33	82.12	0.01	12	20.00	0.01	20.01	97.00	6.2026
नवं. 29	20	30	64.68	0.02	16	20.00	0.02	20.02	96.98	6.2452
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2017-18										
नवं. 1	20	37	103.36	–	13	20.00	–	20.00	94.14	6.2419
नवं. 8	20	40	79.18	–	20	20.00	–	20.00	94.13	6.2532
नवं. 15	20	45	65.91	–	26	20.00	–	20.00	94.10	6.2872
नवं. 22	20	40	83.65	0.01	16	20.00	0.01	20.01	94.10	6.2872
नवं. 29	20	40	105.73	–	7	20.00	–	20.00	94.11	6.2758

वित्तीय बाजार

सं. 26ः दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा	भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
	1	2
नवंबर 1, 2017	5.00-6.05	5.87
नवंबर 2, 2017	4.95-6.05	5.84
नवंबर 3, 2017	4.90-6.10	5.84
नवंबर 6, 2017	4.95-6.05	5.86
नवंबर 7, 2017	4.95-6.05	5.85
नवंबर 8, 2017	4.95-6.06	5.91
नवंबर 9, 2017	4.95-6.05	5.89
नवंबर 10, 2017	4.90-6.05	5.88
नवंबर 13, 2017	4.90-6.05	5.91
नवंबर 14, 2017	4.90-6.05	5.84
नवंबर 15, 2017	4.90-6.02	5.85
नवंबर 16, 2017	4.90-6.05	5.84
नवंबर 17, 2017	4.90-6.25	5.86
नवंबर 18, 2017	4.60-6.00	5.43
नवंबर 20, 2017	4.90-6.15	5.88
नवंबर 21, 2017	4.90-6.10	5.89
नवंबर 22, 2017	4.90-6.10	5.90
नवंबर 23, 2017	4.90-6.10	5.89
नवंबर 24, 2017	4.95-6.06	5.91
नवंबर 27, 2017	4.95-6.10	5.88
नवंबर 28, 2017	4.95-6.00	5.85
नवंबर 29, 2017	4.95-6.00	5.88
नवंबर 30, 2017	4.95-6.06	5.89
दिसंबर 2, 2017	4.30-5.85	5.30
दिसंबर 4, 2017	5.05-6.05	5.83
दिसंबर 5, 2017	4.95-6.00	5.82
दिसंबर 6, 2017	4.95-6.00	5.80
दिसंबर 7, 2017	4.80-6.00	5.76
दिसंबर 8, 2017	4.80-6.05	5.90
दिसंबर 11, 2017	4.85-6.05	5.86
दिसंबर 12, 2017	4.85-6.05	5.82
दिसंबर 13, 2017	4.85-6.05	5.82
दिसंबर 14, 2017	4.85-6.10	5.83
दिसंबर 15, 2017	4.85-6.40	5.97

टिप्पणीः नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाणपत्र

मद	2016	2017			
	नवं. 25	अक्तू. 13	अक्तू. 27	नवं. 10	नवं. 24
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	1,650.3	1,168.0	1,286.2	1,216.5	1,218.9
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (बिलियन ₹)	69.1	149.6	137.7	61.8	135.1
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.02-6.90	6.10-6.61	6.10-6.63	6.18-6.65	6.18-6.61

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2016	2017			
	नवं. 30	अक्तू. 15	अक्तू. 31	नवं. 15	नवं. 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	3,858.8	4,796.8	4,892.3	4,815.8	4,736.8
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (बिलियन ₹)	814.1	1,069.9	1,355.9	1,034.1	960.2
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	5.68-13.94	5.98-11.79	6.06-11.23	6.08-11.26	6.01-37.73

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(बिलियन ₹)

मद	2016-17	2016	2017					
		नवं. 25	अक्तू. 20	अक्तू. 27	नवं. 3	नवं. 10	नवं. 17	नवं. 24
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	259.0	206.5	177.4	266.1	232.9	334.1	224.1	295.8
2 नोटिस मुद्रा	46.8	6.8	81.2	4.0	17.0	2.9	53.5	4.2
3 मीयादी मुद्रा	8.4	6.4	8.2	11.1	9.4	8.5	9.0	8.1
4 सीबीएलओ	1,700.2	1,178.1	2,413.4	2,014.0	2,364.7	2,369.9	2,613.6	2,132.7
5 बाजार रिपो	1,753.3	1,420.6	1,767.3	1,869.6	2,062.8	2,483.3	2,050.6	2,021.9
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	2.5	3.8	3.2	2.7	1.6	3.6	2.9	3.0
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	55,345	60,140	49,353	59,299	62,974	64,157	66,978	56,366
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,249.1	3,070.2	692.6	353.5	829.7	720.7	798.1	1,170.8
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	50.7	72.4	34.2	21.6	20.8	22.2	11.1	23.5
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	45.1	78.4	19.6	12.8	21.2	10.3	10.9	11.8
10.2 182-दिवसीय	11.8	16.0	6.0	8.4	8.3	12.4	0.5	4.6
10.3 364-दिवसीय	18.5	24.3	7.2	1.8	7.0	6.0	2.8	0.7
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	13.8	–	–	–	–	–	–	–
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	1388.8	3,261.2	759.6	398.2	887.0	771.7	823.3	1,211.4
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	–	3.3	0.1	20.8	0.1	20.3	0.9	41.8

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि बिलियन ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2016-17		2016-17 (अप्रै.-नवं.)		2017-18 (अप्रै.-नवं.)*		नवं. 2016		नवं. 2017 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**116**	**303.6**	**69**	**233.9**	**125**	**347.3**	**6**	**12.1**	**19**	**100.3**
1ए प्रीमियम	113	291.3	66	224.5	124	336.0	6	10.9	19	96.7
1.1 पब्लिक	105	280.7	64	221.0	114	310.6	4	5.3	16	94.7
1.1.1 प्रीमियम	102	270.4	61	212.8	113	300.7	4	5.2	16	91.4
1.2 राइट्स	11	22.9	5	13.0	11	36.7	2	6.8	3	5.5
1.2.1 प्रीमियम	11	20.9	5	11.7	11	35.3	2	5.7	3	5.3
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 डिबेंचर	**16**	**295.5**	**10**	**238.9**	**4**	**39.0**	–	–	–	–
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	16	295.5	10	238.9	4	39.0	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	16	295.5	10	238.9	4	39.0	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5 कुल (1+2+3+4)	**132**	**599.0**	**79**	**472.9**	**129**	**386.2**	**6**	**12.1**	**19**	**100.3**
5.1 पब्लिक	121	576.1	74	459.9	118	349.6	4	5.3	16	94.7
5.2 राइट्स	11	22.9	5	13.0	11	36.7	2	6.8	3	5.5

* : आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2016-17	2016	2017				
			नवं.	जुला.	अग.	सितं.	अक्टू.	नवं.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	बिलियन ₹	18,541.0	1,357.0	1,443.0	1,507.5	1,845.4	1,503.3	1,699.1
	अमेरिकी मिलियन डालर	276,547.0	20,066.3	22,387.3	23,566.2	28,636.4	23,098.2	26,195.8
1.1 तेल	बिलियन ₹	2,120.3	164.4	175.9	196.1	233.8	207.3	232.9
	अमेरिकी मिलियन डालर	31,622.3	2,431.0	2,728.5	3,066.3	3,627.9	3,185.3	3,590.2
1.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	16,420.7	1,192.6	1,267.1	1,311.3	1,611.6	1,296.0	1,466.3
	अमेरिकी मिलियन डालर	244,924.7	17,635.2	19,658.8	20,499.9	25,008.6	19,912.9	22,605.6
2 आयात	बिलियन ₹	25,668.2	2,262.9	2,188.3	2,272.6	2,423.1	2,415.6	2,596.1
	अमेरिकी मिलियन डालर	382,740.9	33,461.9	33,950.7	35,526.6	37,601.8	37,117.0	40,025.0
2.1 तेल	बिलियन ₹	5,825.6	464.2	500.0	495.9	527.7	604.4	619.5
	अमेरिकी मिलियन डालर	86,865.7	6,864.3	7,757.4	7,752.4	8,189.0	9,286.7	9,551.0
2.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	19,842.6	1,798.7	1,688.3	1,776.7	1,895.4	1,811.2	1,976.6
	अमेरिकी मिलियन डालर	295,875.2	26,597.6	26,193.3	27,774.2	29,412.8	27,830.3	30,474.0
3 व्यापार शेष	बिलियन ₹	–7,127.2	–905.9	–745.3	–765.1	–577.7	–912.4	–897.0
	अमेरिकी मिलियन डालर	–106,193.9	–13,395.6	–11,563.4	–11,960.5	–8,965.3	–14,018.8	–13,829.2
3.1 तेल	बिलियन ₹	–3,705.4	–299.8	–324.1	–299.8	–293.9	–397.1	–386.6
	अमेरिकी मिलियन डालर	–55,243.4	–4,433.2	–5,028.9	–4,686.1	–4,561.1	–6,101.5	–5,960.8
3.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	–3,421.9	–606.1	–421.2	–465.3	–283.8	–515.3	–510.4
	अमेरिकी मिलियन डालर	–50,950.6	–8,962.4	–6,534.6	–7,274.3	–4,404.2	–7,917.3	–7,868.4

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2016	2017					
		दिसं. 23	नवं. 17	नवं. 24	दिसं. 1	दिसं. 8	दिसं. 15	दिसं. 22
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	**बिलियन ₹**	**24,425**	**25,902**	**25,937**	**25,894**	**25,839**	**25,731**	**25,936**
	अमेरिकी मिलियन डालर	**359,671**	**399,534**	**400,742**	**401,942**	**400,898**	**401,386**	**404,922**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	बिलियन ₹	22,803	24,318	24,354	24,316	24,262	24,155	24,376
	अमेरिकी मिलियन डालर	335,970	375,096	376,305	377,456	376,428	376,906	380,680
1.2 स्वर्ण	बिलियन ₹	1,369	1,339	1,339	1,334	1,334	1,334	1,335
	अमेरिकी मिलियन डालर	19,983	20,667	20,667	20,703	20,703	20,703	20,716
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1,065	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061
	बिलियन ₹	97	97	97	97	97	96	96
	अमेरिकी मिलियन डालर	1,428	1,498	1,497	1,502	1,497	1,501	1,503
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	बिलियन ₹	156	147	147	147	146	146	130
	अमेरिकी मिलियन डालर	2,291	2,273	2,273	2,280	2,269	2,275	2,023

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(अमेरिकी मिलियन डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2016-17	2016	2017		2016-17	2017-18
		नवं.	अक्टू.	नवं.	अप्रै.-नवं.	अप्रै.-नवं.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	**116,867**	**113,054**	**119,302**	**120,879**	**–11,198**	**3,863**
1.1 एफसीएनआर (बी)	21,002	26,760	20,637	21,170	–18,556	168
1.2 एनआर (ई) आरए	83,213	75,174	86,075	86,870	6,044	3,533
1.3 एनआरओ	12,652	11,121	12,590	12,839	1,314	162

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	2016-17	2016-17	2017-18	2016	2017	
		अप्रै.-अक्तू.	अप्रै.-अक्तू.	अक्तू.	सितं.	अक्तू.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**35,612**	**25,048**	**21,189**	**4,167**	**554**	**1,619**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1. 1.1.2)	**42,215**	**25,733**	**27,143**	**5,854**	**2,029**	**2,223**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	**60,220**	**37,290**	**37,607**	**7,478**	**3,458**	**3,950**
1.1.1.1.1 ईक्विटी	44,701	28,502	28,646	6,300	2,201	2,786
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	5,900	2,902	6,415	490	99	28
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	30,417	20,240	17,341	5,272	1,598	1,744
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7,161	4,679	4,280	434	419	910
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	1,223	682	610	104	86	104
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	12,343	7,062	6,976	1,020	1,012	1,020
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3,176	1,726	1,986	158	244	144
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	**18,005**	**11,557**	**10,464**	**1,624**	**1,429**	**1,728**
1.1.1.2.1 ईक्विटी	17,318	11,292	10,296	1,604	1,418	1,716
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	687	265	168	20	11	12
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**6,603**	**685**	**5,954**	**1,688**	**1,475**	**604**
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	9,792	5,430	3,109	1,392	472	351
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	2,925	1,707	1,807	244	260	244
1.1.2.3 अन्य पूंजी	4,450	2,135	3,060	212	1,098	257
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	10,564	8,587	2,022	160	356	247
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**7,612**	**8,104**	**17,527**	**–49**	**619**	**3,010**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	–	–	–	–	–	–
1.2.2 एफआईआई	7,766	7,909	17,411	–40	743	3,053
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	–	–	–	–	–	–
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	154	–196	–116	9	124	43
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**43,224**	**33,153**	**38,716**	**4,118**	**1,173**	**4,628**

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	2016-17	2016	2017		
		नवं.	सितं.	अक्तू.	नवं.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**8,170.7**	**620.8**	**1,093.3**	**811.3**	**830.8**
1.1 जमाराशियां	283.8	20.5	35.2	22.0	22.2
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	92.9	4.9	6.3	6.2	5.6
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	443.6	19.7	43.3	33.2	43.1
1.4 उपहार	749.5	51.9	83.9	85.1	99.0
1.5 दान	8.8	1.3	0.6	0.6	0.4
1.6 यात्रा	2,568.0	246.7	398.3	279.9	271.0
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2,169.5	142.7	227.0	201.1	235.2
1.8 चिकित्सा उपचार	17.3	1.3	3.8	2.0	2.9
1.9 विदेश में शिक्षा	1,536.4	120.3	278.0	167.4	136.3
1.10 अन्य	300.8	11.6	16.8	13.8	15.1

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2015-16	2016-17	2016	2017	
			दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	74.75	74.65	75.60	76.95	77.22
1.2 रीर	112.08	114.51	116.02	120.57	120.99
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	76.45	76.38	77.24	78.86	79.16
2.2 रीर	114.44	116.44	117.71	122.76	123.22
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	67.52	66.86	67.74	67.68	68.07
1.2 रीर	122.71	125.17	127.01	131.41	132.36
2 आधार : 2016-17 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	101.00	100.00	101.31	101.23	101.81
2.2 रीर	98.04	100.00	101.47	104.98	105.74

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार – पंजीकरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डालर में)

मद	2016-17	2016	2017	
		नवं.	अक्टू.	नवं.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	729	42	64	63
1.2 राशि	16,247	447	1,402	2,012
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	37	2	8	6
2.2 राशि	5,738	41	3,004	1,027
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	766	44	72	69
3.2 राशि	21,985	488	4,406	3,039
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.30	6.00	5.00	6.80
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.62	1.87	1.02	0.80
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-14.75	0.99-13.00	0.00-11.20	0.00-11.00

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डालर)

	जुला.-सितं. 2016 (आं.सं)			जुला.-सितं. 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
मद	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**266,603**	**258,092**	**8,512**	**292,468**	**282,969**	**9,499**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**127,666**	**131,133**	**–3,467**	**145,566**	**152,793**	**–7,227**
1.1 पण्य	**67,411**	**93,023**	**–25,612**	**76,082**	**108,880**	**–32,798**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**60,255**	**38,110**	**22,146**	**69,484**	**43,913**	**25,571**
1.2.1 सेवाएं	40,880	24,586	16,295	47,408	28,987	18,421
1.2.1.1 यात्रा	5,534	4,525	1,009	6,962	5,332	1,630
1.2.1.2 परिवहन	3,931	3,492	439	4,206	4,175	31
1.2.1.3 बीमा	577	357	220	635	542	92
1.2.1.4 जीएनआईई	146	156	–10	126	145	–19
1.2.1.5 विविध	30,692	16,055	14,637	35,479	18,793	16,686
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	18,644	994	17,650	19,290	1,325	17,965
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	8,249	8,008	241	9,084	9,559	–475
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1,479	1,530	–51	1,321	1,574	–253
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	611	266	345	536	215	321
1.2.2 अंतरण	15,247	1,345	13,902	17,522	1,883	15,640
1.2.2.1 आधिकारिक	67	212	–146	108	245	–137
1.2.2.2 निजी	15,180	1,133	14,048	17,414	1,638	15,776
1.2.3 आय	4,128	12,179	–8,051	4,554	13,044	–8,490
1.2.3.1 निवेश आय	3,226	11,612	–8,386	3,524	12,480	–8,956
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षति पूर्ति	902	566	336	1,030	564	466
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**138,938**	**126,103**	**12,835**	**146,541**	**130,176**	**16,365**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**86,378**	**63,328**	**23,050**	**87,185**	**72,721**	**14,464**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	24,066	7,066	17,000	20,040	7,642	12,398
2.1.1.1 भारत में	18,064	4,081	13,983	18,973	4,288	14,685
2.1.1.1.1 इक्विटी	14,328	3,904	10,424	15,203	4,253	10,950
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	2,874	–	2,874	3,037	–	3,037
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	863	177	686	732	34	698
2.1.1.2 विदेश में	6,002	2,985	3,016	1,067	3,355	–2,288
2.1.1.2.1 इक्विटी	6,002	1,612	4,390	1,067	978	89
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	731	–731	0	781	–781
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	643	–643	0	1,595	–1,595
2.1.2 संविभाग निवेश	62,312	56,262	6,050	67,145	65,079	2,066
2.1.2.1 भारत में	62,146	55,437	6,709	67,016	64,579	2,437
2.1.2.1.1 एफआईआई	62,146	55,437	6,709	67,016	64,579	2,437
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	49,356	44,833	4,523	52,492	55,924	–3,432
2.1.2.1.1.2 ऋण	12,790	10,604	2,186	14,524	8,655	5,869
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	167	825	–658	128	500	–372
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**28,893**	**30,583**	**–1,690**	**33,429**	**30,585**	**2,843**
2.2.1 बाह्य सहायता	1,014	1,133	–119	1,259	1,215	44
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	58	–43	14	70	–56
2.2.1.2 भारत को	999	1,075	–75	1,245	1,145	100
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	6,154	7,542	–1,388	8,146	9,341	–1,195
2.2.2.1 भारत द्वारा	859	596	263	2,964	2,672	292
2.2.2.2 भारत को	5,295	6,946	–1,651	5,182	6,669	–1,487
2.2.3 भारत को अल्पावधि	21,726	21,908	–182	24,023	20,029	3,994
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	21,400	21,908	–508	23,614	20,029	3,585
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	326	0	326	409	0	409
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**15,881**	**22,487**	**–6,606**	**16,876**	**16,702**	**174**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	15,624	22,487	–6,862	16,790	16,702	88
2.3.1.1 आस्तियां	943	8,992	–8,049	2,566	4,936	–2,370
2.3.1.2 देयताएं	14,682	13,495	1,187	14,224	11,766	2,458
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	13,611	11,523	2,088	12,187	11,476	711
2.3.2 अन्य	256	0	256	86	0	86
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	17	–17	0	2	–2
2.5 अन्य पूंजी	7,785	9,688	–1,903	9,052	10,165	–1,114
3 भूल-चूक	–	**857**	**–857**	**360**	–	**360**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**8,512**	**–8,512**	0	**9,499**	**–9,499**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	–	–	–
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	8,512	–8,512	–	9,499	–9,499

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(बिलियन ₹)

	जुला.-सितं. 2016 (आं.सं)			जुला.-सितं. 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
मद	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**17,852**	**17,282**	**570**	**18,802**	**18,192**	**611**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**8,549**	**8,781**	**–232**	**9,358**	**9,823**	**–465**
1.1 पण्य	**4,514**	**6,229**	**–1,715**	**4,891**	**7,000**	**–2,109**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**4,035**	**2,552**	**1,483**	**4,467**	**2,823**	**1,644**
1.2.1 सेवाएं	2,737	1,646	1,091	3,048	1,864	1,184
1.2.1.1 यात्रा	371	303	68	448	343	105
1.2.1.2 परिवहन	263	234	29	270	268	2
1.2.1.3 बीमा	39	24	15	41	35	6
1.2.1.4 जीएनआईई	10	10	–1	8	9	–1
1.2.1.5 विविध	2,055	1,075	980	2,281	1,208	1,073
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	1,248	67	1,182	1,240	85	1,155
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	552	536	16	584	615	–31
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	99	102	–3	85	101	–16
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	41	18	23	34	14	21
1.2.2 अंतरण	1,021	90	931	1,126	121	1,005
1.2.2.1 आधिकारिक	4	14	–10	7	16	–9
1.2.2.2 निजी	1,017	76	941	1,120	105	1,014
1.2.3 आय	276	816	–539	293	839	–546
1.2.3.1 निवेश आय	216	778	–562	227	802	–576
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	60	38	22	66	36	30
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**9,303**	**8,444**	**859**	**9,421**	**8,369**	**1,052**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	5,784	4,241	1,543	5,605	4,675	930
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	1,612	473	1,138	1,288	491	797
2.1.1.1 भारत में	1,210	273	936	1,220	276	944
2.1.1.1.1 इक्विटी	959	261	698	977	273	704
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	192	0	192	195	0	195
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	58	12	46	47	2	45
2.1.1.2 विदेश में	402	200	202	69	216	–147
2.1.1.2.1 इक्विटी	402	108	294	69	63	6
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	49	–49	0	50	–50
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	43	–43	0	103	–103
2.1.2 संविभाग निवेश	4,173	3,767	405	4,317	4,184	133
2.1.2.1 भारत में	4,161	3,712	449	4,308	4,152	157
2.1.2.1.1 एफआईआई	4,161	3,712	449	4,308	4,152	157
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	3,305	3,002	303	3,375	3,595	–221
2.1.2.1.1.2 ऋण	856	710	146	934	556	377
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	11	55	–44	8	32	–24
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**1,935**	**2,048**	**–113**	**2,149**	**1,966**	**183**
2.2.1 बाह्य सहायता	68	76	–8	81	78	3
2.2.1.1 भारत द्वारा	1	4	–3	1	5	–4
2.2.1.2 भारत को	67	72	–5	80	74	6
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	412	505	–93	524	601	–77
2.2.2.1 भारत द्वारा	58	40	18	191	172	19
2.2.2.2 भारत को	355	465	–111	333	429	–96
2.2.3 भारत को अल्पावधि	1,455	1,467	–12	1,544	1,288	257
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	1,433	1,467	–34	1,518	1,288	231
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	22	0	22	26	0	26
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**1,063**	**1,506**	**–442**	**1,085**	**1,074**	**11**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	1,046	1,506	–460	1,079	1,074	6
2.3.1.1 आस्तियां	63	602	–539	165	317	–152
2.3.1.2 देयताएं	983	904	79	914	756	158
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	911	772	140	783	738	46
2.3.2 अन्य	17	0	17	6	0	6
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	1	–1	0	0	–
2.5 अन्य पूंजी	521	649	–127	582	654	–72
3 भूल-चूक	–	**57**	**–57**	**23**	–	**23**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**570**	**–570**	0	**611**	**–611**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	–	–	–
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	570	–570	0	611	–611

सं. 40: बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	जुला.-सितं. 2016 (आं.सं)			जुला.-सितं. 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**127,663**	**131,112**	**–3,449**	**145,558**	**152,770**	**–7,213**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**108,291**	**117,608**	**–9,318**	**123,490**	**137,867**	**–14,377**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**67,411**	**93,023**	**–25,612**	**76,082**	**108,880**	**–32,798**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	67,072	89,024	–21,951	75,534	103,167	–27,633
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	338	0	338	548	0	548
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	–	3,999	–3,999	–	5,713	–5,713
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**40,880**	**24,586**	**16,295**	**47,408**	**28,987**	**18,421**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	24	8	15	32	9	24
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	34	88	–53	52	109	–58
1.अ.ख.3 परिवहन	3,931	3,492	439	4,206	4,175	31
1.अ.ख.4 यात्रा	5,534	4,525	1,009	6,962	5,332	1,630
1.अ.ख.5 निर्माण	526	180	346	517	366	152
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	577	357	220	635	542	92
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1,479	1,530	–51	1,321	1,574	–253
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	113	1,241	–1,128	142	1,290	–1,147
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	19,351	1,325	18,026	19,981	1,653	18,328
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	8,249	8,008	241	9,084	9,559	–475
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	356	633	–277	371	723	–353
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	146	156	–10	126	145	–19
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	561	3,043	–2,481	3,978	3,510	468
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**4,128**	**12,179**	**–8,051**	**4,554**	**13,044**	**–8,490**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	902	566	336	1,030	564	466
1.आ.2 निवेश आय	2,786	11,465	–8,679	2,795	12,358	–9,563
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1,237	5,719	–4,483	1,486	5,899	–4,413
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	36	2,645	–2,608	70	3,442	–3,372
1.आ.2.3 अन्य निवेश	522	3,100	–2,578	153	3,009	–2,856
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	991	1	990	1,086	8	1,078
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	440	147	293	728	122	607
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**15,244**	**1,325**	**13,919**	**17,514**	**1,860**	**15,654**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	15,180	1,133	14,048	17,414	1,638	15,776
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	14,668	891	13,777	16,854	1,352	15,502
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	513	242	271	560	286	274
1.इ.2 सामान्य सरकार	64	192	–129	100	222	–122
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**58**	**72**	**–14**	**83**	**118**	**–35**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	5	14	–9	20	41	–22
2.2 पूँजी अंतरण	53	58	–5	64	76	–13
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**138,882**	**134,562**	**4,320**	**146,466**	**139,580**	**6,887**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**24,066**	**7,066**	**17,000**	**20,040**	**7,642**	**12,398**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	18,064	4,081	13,983	18,973	4,288	14,685
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	17,201	3,904	13,297	18,241	4,253	13,987
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	14,328	3,904	10,424	15,203	4,253	10,950
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	2,874	–	2,874	3,037	–	3,037
3.1.अ.2 ऋण लिखत	863	177	686	732	34	698
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	863	177	686	732	34	698
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	6,002	2,985	3,016	1,067	3,355	–2,288
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	6,002	2,343	3,659	1,067	1,760	–693
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	6,002	1,612	4,390	1,067	978	89
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	–	731	–731	–	781	–781
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	643	–643	0	1,595	–1,595
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	–	643	–643	–	1,595	–1,595
3.2 संविभाग निवेश	**62,312**	**56,262**	**6,050**	**67,145**	**65,079**	**2,066**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	62,146	55,437	6,709	67,016	64,579	2,437
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	49,356	44,833	4,523	52,492	55,924	–3,432
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	12,790	10,604	2,186	14,524	8,655	5,869
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	167	825	–658	128	500	–372
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**5,986**	**5,180**	**806**	**4,617**	**5,670**	**–1,053**
3.4 अन्य निवेश	**46,518**	**57,542**	**–11,024**	**54,665**	**51,690**	**2,975**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	13,867	11,523	2,344	12,273	11,476	797
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	256	0	256	86	0	86
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	13,611	11,523	2,088	12,187	11,476	711
3.4.2.3 सामान्य सरकार	–	–	–	–	–	–
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	–	–	–	–	–	–
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	9,181	19,638	–10,457	14,008	15,783	–1,775
3.4.3अ भारत को ऋण	8,308	18,984	–10,677	11,030	13,041	–2,011
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	873	654	219	2,979	2,742	236
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	40	63	–23	42	203	–161
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	21,726	21,908	–182	24,023	20,029	3,994
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य /देय-अन्य	1,705	4,410	–2,705	4,317	4,199	118
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	–	–	–	–	–	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	**8,512**	**–8,512**	–	**9,499**	**–9,499**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	–	–	–	–	–	–
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	–	–	–	–	–	–
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	–	–	–	–	–	–
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	8,512	–8,512	–	9,499	–9,499
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**138,882**	**134,562**	**4,320**	**146,466**	**139,580**	**6,887**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	78,751	57,148	21,603	76,588	68,310	8,277
4.2 ऋण लिखत	58,427	64,493	–6,066	65,561	57,572	7,989
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	1,705	12,921	–11,217	4,317	13,698	–9,380
5. निवल भूल-चूक	–	**857**	**–857**	**360**	–	**360**

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(बिलियन ₹)

मद	जुला.-सितं. 2016 (आं.सं)			जुला.-सितं. 2017 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	**8,549**	**8,780**	**–231**	**9,358**	**9,821**	**–464**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**7,251**	**7,875**	**–624**	**7,939**	**8,863**	**–924**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**4,514**	**6,229**	**–1,715**	**4,891**	**7,000**	**–2,109**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	4,491	5,961	–1,470	4,856	6,632	–1,776
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	23	0	23	35	0	35
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	–	268	–268	–	367	–367
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**2,737**	**1,646**	**1,091**	**3,048**	**1,864**	**1,184**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	2	1	1	2	1	2
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	2	6	–4	3	7	–4
1.अ.ख.3 परिवहन	263	234	29	270	268	2
1.अ.ख.4 यात्रा	371	303	68	448	343	105
1.अ.ख.5 निर्माण	35	12	23	33	24	10
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	39	24	15	41	35	6
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	99	102	–3	85	101	–16
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	8	83	–76	9	83	–74
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	1,296	89	1,207	1,285	106	1,178
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	552	536	16	584	615	–31
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	24	42	–19	24	47	–23
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	10	10	–1	8	9	–1
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	38	204	–166	256	226	30
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**276**	**816**	**–539**	**293**	**839**	**–546**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	60	38	22	66	36	30
1.आ.2 निवेश आय	187	768	–581	180	794	–615
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	83	383	–300	96	379	–284
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	2	177	–175	5	221	–217
1.आ.2.3 अन्य निवेश	35	208	–173	10	193	–184
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	66	0	66	70	1	69
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	29	10	20	47	8	39
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**1,021**	**89**	**932**	**1,126**	**120**	**1,006**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	1,017	76	941	1,120	105	1,014
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	982	60	923	1,084	87	997
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	34	16	18	36	18	18
1.इ.2 सामान्य सरकार	4	13	–9	6	14	–8
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**4**	**5**	**–1**	**5**	**8**	**–2**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	0	1	–1	1	3	–1
2.2 पूँजी अंतरण	4	4	–0	4	5	–1
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**9,300**	**9,011**	**289**	**9,416**	**8,973**	**443**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**1,612**	**473**	**1,138**	**1,288**	**491**	**797**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	1,210	273	936	1,220	276	944
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1,152	261	890	1,173	273	899
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	959	261	698	977	273	704
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	192	0	192	195	0	195
3.1.अ.2 ऋण लिखत	58	12	46	47	2	45
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	58	12	46	47	2	45
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	402	200	202	69	216	–147
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	402	157	245	69	113	–45
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	402	108	294	69	63	6
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	49	–49	0	50	–50
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	43	–43	0	103	–103
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	43	–43	0	103	–103
3.2 संविभाग निवेश	**4,173**	**3,767**	**405**	**4,317**	**4,184**	**133**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	4,161	3,712	449	4,308	4,152	157
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	3,305	3,002	303	3,375	3,595	–221
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	856	710	146	934	556	377
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	11	55	–44	8	32	–24
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**401**	**347**	**54**	**297**	**365**	**–68**
3.4 अन्य निवेश	**3,115**	**3,853**	**–738**	**3,514**	**3,323**	**191**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	929	772	157	789	738	51
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	17	0	17	6	0	6
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	911	772	140	783	738	46
3.4.2.3 सामान्य सरकार	–	–	–	–	–	–
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	–	–	–	–	–	–
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	615	1,315	–700	901	1,015	–114
3.4.3अ भारत को ऋण	556	1,271	–715	709	838	–129
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	58	44	15	191	176	15
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	3	4	–2	3	13	–10
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	1,455	1,467	–12	1,544	1,288	257
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	114	295	–181	278	270	8
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	–	–	–	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	**570**	**–570**	0	**611**	**–611**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	–	–	–	–	–	–
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	–	–	–	–	–	–
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	–	–	–	–	–	–
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	570	–570	0	611	–611
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**9,300**	**9,011**	**289**	**9,416**	**8,973**	**443**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	5,273	3,827	1,447	4,924	4,392	532
4.2 ऋण लिखत	3,912	4,319	–406	4,215	3,701	514
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	114	865	–751	278	881	–603
5. निवल भूल-चूक	–	**57**	**–57**	**23**	–	**23**

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2016-17		2016		2017			
			सितं.		जून		सितं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	148,229	342,642	140,624	311,682	151,291	353,354	153,578	364,246
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	99,114	327,845	94,035	297,528	100,968	337,563	101,661	348,134
1.2 अन्य पूंजी	49,115	14,796	46,588	14,153	50,323	15,791	51,918	16,112
2 संविभाग निवेश	2,615	238,604	2,256	232,069	2,084	251,152	2,456	253,991
2.1 इक्विटी	1,593	153,978	1,943	148,085	2,021	154,901	2,408	150,062
2.2 ऋण	1,022	84,627	313	83,984	63	96,251	48	103,928
3 अन्य निवेश	43,433	377,436	52,402	390,273	36,605	378,671	38,859	381,642
3.1 व्यापार ऋण	1,793	88,896	2,236	81,966	1,154	89,580	1,263	93,589
3.2 ऋण	7,305	159,873	6,248	166,982	5,146	158,633	5,882	156,925
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	20,073	117,110	26,813	130,220	16,083	118,475	17,208	118,266
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	14,261	11,557	17,104	11,105	14,222	11,983	14,506	12,862
4 रिज़र्व्स	369,955	–	371,990	–	386,539	–	400,205	–
5 कुल आस्तियां/देयताएं	564,231	958,682	567,272	934,024	576,520	983,178	595,099	999,878
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		–394,451		–366,751		–406,658		–404,779

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (मिलियन)				मूल्य (बिलियन ₹)			
	2016-17	2017			2016-17	2017		
		सितं.	अक्तू.	नवं.		सितं.	अक्तू.	नवं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	**107.86**	**9.61**	**10.00**	**10.83**	**1,253,652.08**	**127,730.70**	**115,808.00**	**123,579.36**
1.1 ग्राहक लेनदेन	103.66	9.32	9.71	10.51	849,950.51	91,521.65	82,084.42	87,550.13
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	4.17	0.29	0.29	0.32	131,953.25	10,826.48	9,971.68	10,860.36
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.018	0.002	0.002	0.002	271,748.31	25,382.57	23,751.90	25,168.88
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	**3.65**	**0.30**	**0.27**	**0.33**	**1,056,173.36**	**92,763.82**	**86,873.56**	**101,377.16**
2.1 सीबीएलओ	0.22	0.02	0.02	0.02	229,528.33	23,778.02	22,981.83	27,794.59
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.51	0.10	0.08	0.11	404,389.08	34,013.49	27,863.13	35,379.85
2.2.1 एकमुश्त	1.34	0.08	0.06	0.09	168,741.46	11,098.06	7,604.53	10,840.19
2.2.2 रिपो	0.168	0.018	0.016	0.020	235,647.62	22,915.42	20,258.60	24,539.65
2.3 विदेशी समाशोधन	1.93	0.19	0.18	0.20	422,255.95	34,972.31	36,028.59	38,202.72
3 पेपर समाशोधन	**1,206.69**	**94.37**	**96.41**	**98.79**	**80,958.15**	**6,429.99**	**6,478.86**	**6,793.74**
3.1 चेक ट्रंकेशन प्रणाली	1,111.86	92.16	94.44	96.49	74,035.22	6,271.53	6,340.16	6,652.97
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	–	-	-	-	–	–	–	–
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	–	-	-	-	–	–	–	–
3.2.2 अन्य केन्द्र	–	-	-	-	–	–	–	–
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	94.83	2.22	1.97	2.30	6,922.93	158.47	138.70	140.77
4 खुदरा इलेक्ट्रानिक समाशोधन	**4,204.96**	**427.72**	**444.62**	**460.10**	**132,250.12**	**15,624.23**	**15,598.70**	**15,620.80**
4.1 ईसीएस नामे	8.76	0.14	0.12	0.13	39.14	0.84	0.83	0.83
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	10.10	0.48	0.50	0.54	144.08	9.60	10.72	10.38
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	1,622.10	157.67	158.78	161.97	120,039.68	14,182.14	13,851.28	13,884.00
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	506.73	82.85	88.12	89.49	4,111.06	717.60	750.42	782.58
4.5 राष्ट्रीय स्वचलित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	2,057.27	186.58	197.09	207.97	7,916.17	714.06	985.45	943.02
5 कार्ड	**12,055.87**	**1,105.00**	**1,144.31**	**1,118.71**	**30,214.00**	**3,163.59**	**3,364.50**	**3,253.76**
5.1 क्रेडिट कार्ड	1,093.51	113.29	124.04	116.41	3,312.21	377.76	422.60	395.85
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	6.37	0.65	0.68	0.69	28.39	3.11	3.21	3.24
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	1,087.13	112.63	123.36	115.72	3,283.82	374.65	419.39	392.60
5.2 डेबिट कार्ड	10,962.36	991.71	1,020.27	1,002.30	26,901.79	2,785.83	2,941.90	2,857.91
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	8,563.06	726.42	741.87	731.33	23,602.73	2,419.54	2,533.21	2,492.72
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	2,399.30	265.30	278.40	270.96	3,299.07	366.29	408.69	365.19
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	**1,963.66**	**240.29**	**245.18**	**236.16**	**838.01**	**109.77**	**116.98**	**133.21**
6.1 एम-वॉलेट	1,629.98	199.48	201.23	186.67	532.42	81.54	86.60	93.88
6.2 पीपीआई कार्ड	333.11	40.76	43.91	49.45	277.52	26.19	28.80	37.71
6.3 पेपर वाउचर	0.51	0.04	0.04	0.04	25.36	2.05	1.58	1.63
7 मोबाइल बैंकिंग	**976.85**	**113.43**	**147.82**	**156.05**	**13,104.76**	**850.10**	**912.88**	**937.57**
8 कार्ड बकाया	**801.49**	**853.11**	**860.13**	**867.66**	–	–	–	–
8.1 क्रेडिट कार्ड	29.84	33.34	33.87	34.78	–	–	–	–
8.2 डेबिट कार्ड	771.65	819.76	826.25	832.89	–	–	–	–
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	**222475**	**221722**	**221314**	**221350**	–	–	–	–
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	**2529141**	**2900038**	**2958301**	**2998733**	–	–	–	–
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	**19,542.66**	**1,877.29**	**1,940.78**	**1,924.92**	**2,282,337.40**	**220,439.54**	**204,488.69**	**225,589.16**

टिप्पणी : पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

अवसरिक श्रृंखलाएं

सं. 44ः लघु बचत

(बिलियन ₹)

योजना		2016-17	2016	2017		
			मई	मार्च	अप्रै.	मई
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**4,341.75**	**308.59**	**480.30**	**27.29**	**48.03**
	बकाया	**7,312.73**	**6,817.61**	**7,312.73**	**7,339.92**	**7,387.84**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**3,879.55**	**282.04**	**397.56**	**27.92**	**37.33**
	बकाया	**4,689.77**	**4,319.89**	**4,689.77**	**4,717.69**	**4,755.02**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	2,474.46	180.68	239.64	10.63	4.43
	बकाया	920.64	667.94	920.64	931.27	935.69
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	0.56	0.01	0.49	–0.36	–0.32
	बकाया	33.01	34.27	33.01	32.65	32.33
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0.01	0.00	0.02	–0.06	–0.04
	बकाया	–0.48	1.09	–0.48	–0.54	–0.58
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	353.34	26.48	41.41	–4.23	–1.19
	बकाया	1,800.66	1,897.58	1,800.66	1,796.43	1,795.24
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना	प्राप्तियां	100.02	6.90	13.93	8.40	12.01
	बकाया	294.53	234.79	294.53	302.93	314.94
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	476.65	34.94	56.00	9.74	15.26
	बकाया	796.58	717.78	796.58	806.32	821.58
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	518.38	501.48	518.38	521.44	527.91
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	36.58	30.66	36.58	37.33	38.38
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	51.77	48.33	51.77	52.12	52.64
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	189.85	137.31	189.85	195.43	202.65
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	474.51	33.03	46.07	3.80	7.18
	बकाया	844.53	766.14	844.53	848.33	855.52
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	बकाया	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
1.1.10 अन्य जमाराशियां	बकाया	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
	बकाया	**289.85**	**18.35**	**53.84**	**0.03**	**7.32**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	**1,989.35**	**1,925.33**	**1,989.35**	**1,989.28**	**1,996.49**
	बकाया	120.63	4.97	29.88	–7.13	–5.04
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	872.39	869.15	872.39	865.26	860.23
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	8.86	8.87	8.86	8.86	8.87
	बकाया	–0.01	0.01	–0.49	–10.55	–11.88
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	535.72	625.01	535.72	525.17	513.30
	बकाया	169.23	13.37	24.45	17.73	24.27
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	बकाया	460.23	309.96	460.23	477.96	502.21
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	बकाया	0	0.00	–	–0.02	–0.05
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	–1.12	–0.95	–1.12	–1.14	–1.18
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	–0.62	–0.60	–0.62	–0.62	–0.62
	बकाया	113.89	113.89	113.89	113.79	113.68
		172.35	**8.20**	**28.90**	**–0.66**	**3.38**
		633.61	**572.39**	**633.61**	**632.95**	**636.33**

स्रोतः महालेखाकार, डाक और तार।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2016		2017		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जून	सितं.
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ बिलियन में)	**47967.49**	**49246.98**	**49109.75**	**50430.94**	**51451.83**
1. वाणिज्यिक बैंक	40.00	40.92	40.46	39.68	40.37
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.14	0.28	0.16	0.31	0.33
3. बीमाकृत कंपनियां	22.68	22.55	22.90	23.13	23.49
4. म्यूच्युअल फंड	2.13	1.96	1.49	1.44	1.86
5. सहकारी बैंक	2.47	2.63	2.70	2.65	2.62
6. वित्तीय संस्थाएं	0.84	0.86	0.81	0.73	0.78
7. कॉरपोरेट	1.09	1.05	1.05	1.29	1.04
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.82	3.13	3.53	4.29	4.58
9. भविष्य निधियां	6.25	6.24	6.27	6.13	5.99
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	14.80	14.61	14.65	14.29	12.84
11. अन्य	5.79	5.77	5.98	6.07	6.11
11.1 राज्य सरकार	1.84	1.83	1.92	1.91	1.92

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2016		2017		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जून	सितं.
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ बिलियन में)	**18114.95**	**19343.91**	**20893.41**	**21467.07**	**22488.35**
1. वाणिज्यिक बैंक	40.22	41.25	39.01	37.94	37.64
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.35	0.30	0.39	0.38	0.33
3. बीमाकृत कंपनियां	32.67	31.87	32.50	33.53	34.00
4. म्यूच्युअल फंड	1.62	1.36	2.42	1.89	1.92
5. सहकारी बैंक	4.21	4.47	4.75	4.82	4.82
6. वित्तीय संस्थाएं	0.27	0.29	0.30	0.27	0.22
7. कॉरपोरेट	0.14	0.13	0.17	0.11	0.11
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.08	0.06	0.07	0.08	0.16
9. भविष्य निधियां	16.84	16.81	17.27	18.10	18.37
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.01	0.03	0.06	0.06	0.06
11. अन्य	3.59	3.43	3.05	2.81	2.37
11.1 राज्य सरकार	-	-	-	-	-

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2016		2017		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जून	सितं.
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ बिलियन में)	**4202.40**	**4366.47**	**3320.80**	**6135.01**	**5704.50**
1. वाणिज्यिक बैंक	52.58	50.47	57.85	53.96	52.15
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.38	1.80	1.25	1.09	1.32
3. बीमाकृत कंपनियां	1.91	2.02	4.58	3.20	4.32
4. म्यूच्युअल फंड	16.06	12.91	7.85	15.31	12.44
5. सहकारी बैंक	3.52	3.28	5.62	2.48	2.33
6. वित्तीय संस्थाएं	2.75	2.76	4.57	2.60	3.54
7. कॉरपोरेट	1.21	1.81	1.83	1.54	1.64
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	-	-	-	-	-
9. भविष्य निधियां	0.45	0.43	0.35	0.06	0.20
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.16	0.09	0.02	0.05	0.06
11. अन्य	19.96	24.44	16.09	19.72	22.01
11.1 राज्य सरकार	15.98	20.51	11.02	16.71	18.73

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(बिलियन ₹)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 स.अ.	2017-18 ब.अ.
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**26,949.34**	**30,002.99**	**32,852.10**	**33,782.60**	**40,599.68**	**43,957.96**
1.1 गतिविधियां	15,741.62	17,142.21	18,720.62	19,429.44	24,271.15	26,194.51
1.1.1 राजस्व	12,807.14	13,944.26	14,830.18	14,971.45	18,457.92	19,701.57
1.1.2 पूंजी	2,446.11	2,785.08	3,322.62	3,400.51	4,471.03	5,515.05
1.1.3 ऋण	488.38	412.88	567.82	1,057.49	1,342.20	977.89
1.2 गैर गतिविधियां	10,850.47	12,427.83	13,667.69	13,984.15	15,870.24	17,261.83
1.2.1 राजस्व	9,991.40	11,413.65	12,695.20	12,739.11	15,031.91	16,430.73
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	4,543.06	5,342.30	5,845.42	6,134.74	6,881.68	7,536.87
1.2.2 पूंजी	837.14	990.37	946.87	1,207.71	816.42	807.16
1.2.3 ऋण	21.93	23.81	25.63	37.33	21.92	23.94
1.3 अन्य	357.24	432.95	463.79	369.01	458.29	501.62
2. कुल प्राप्तियां	**27,690.29**	**30,013.72**	**31,897.37**	**34,487.63**	**39,810.09**	**42,551.06**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	19,716.19	22,114.75	23,876.93	24,504.58	30,356.58	33,511.38
2.1.1 कर प्राप्तियां	16,879.59	18,465.45	20,207.28	20,754.42	23,917.47	27,066.67
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	10,385.91	11,257.81	12,123.48	12,912.47	15,168.50	16,914.54
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	6,462.73	7,176.34	8,051.76	7,803.16	8,706.20	10,105.34
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	30.94	31.30	32.04	38.78	42.77	46.79
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	2,836.60	3,649.30	3,669.65	3,750.16	6,439.11	6,444.71
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	355.43	401.62	396.22	347.38	322.08	275.25
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	389.20	391.13	609.55	588.52	595.33	1,245.96
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	129.29	93.85	220.72	155.86	136.03	519.12
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	259.91	297.28	388.83	432.66	459.30	726.84
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**6,843.95**	**7,497.11**	**8,365.63**	**8,689.51**	**9,647.78**	**9,200.62**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	6,771.94	7,424.19	8,236.30	8,562.02	9,499.05	9,042.73
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,352.80	3,358.58	–374.76	2,310.90	6,306.09	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	548.40	1,081.30	–3,341.85	604.72	1,958.16	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	3,419.14	4,065.61	8,611.06	6,251.12	3,192.96	...
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	72.01	72.92	129.33	127.48	148.73	157.89
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	6,771.94	7,424.19	8,236.30	8,562.02	9,499.05	9,042.73
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	6,536.94	6,391.99	6,640.58	6,354.19	6,472.74	6,970.13
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	–85.70	–142.81	–565.80	–785.15	–1,091.76	–941.16
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	329.94	312.90	343.39	298.82	326.18	332.03
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	–4.12	34.63	51.09	–33.22	–82.42	–10.45
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	27.22	255.45	275.45	134.70	386.99	502.14
3ख.1.6 नकद शेष	–740.96	–10.72	954.74	–705.03	789.59	1,406.90
3ख.1.7 अन्य	708.62	582.75	536.84	3,297.71	2,697.73	783.13
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	72.01	72.92	129.33	127.48	148.73	157.89
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	*27.1*	*26.7*	*26.4*	*24.7*	*26.7*	*26.1*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	*27.8*	*26.7*	*25.6*	*25.2*	*26.2*	*25.3*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	*19.8*	*19.7*	*19.2*	*17.9*	*20.0*	*19.9*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	*17.0*	*16.4*	*16.2*	*15.2*	*15.8*	*16.1*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	*6.9*	*6.7*	*6.7*	*6.4*	*6.4*	*5.5*

स्रोत: केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

उपलब्ध नहीं। आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नवंबर 2017 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओव्हरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	5.58	23	5.61	12	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	0.36	8	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	0.53	2	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	3.68	16	-	-
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	0.92	1	2.37	1	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	0.26	5	0.60	1	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नागालैंड	2.15	8	0.51	2	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	0.07	27	7.17	27	4.79	12
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	4.11	27	3.96	22	1.33	1
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	1.53	6	8.54	5	-	-
28	उत्तराखंड	1.86	14	0.68	13	-	-
29	पश्चिम बंगाल	18.89	1	-	-	-	-

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नवंबर 2017 के दौरान			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	63.54	6.61	0.10	0
2	अरुणाचल प्रदेश	7.85	--	--	0
3	असम	39.75	0.34	0	14.00
4	बिहार	43.62	--	0	0
5	छत्तीसगढ़	30.83	--	0.01	0
6	गोवा	4.38	2.18	--	0
7	गुजरात	110.68	3.90	0	50.00
8	हरियाणा	16.85	9.53	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	0
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	--	--	0	0
12	कर्नाटक	24.85	--	0	150.00
13	केरल	17.40	--	0.03	0
14	मध्य प्रदेश	--	7.46	0	0
15	महाराष्ट्र	249.38	--	--	420.00
16	मणिपुर	2.75	0.64	0	0
17	मेघालय	4.50	0.16	0.09	0
18	मिज़ोरम	4.03	0.20	--	0
19	नागालैंड	9.82	0.25	--	0
20	उड़ीसा	108.28	11.75	0.69	60.00
21	पुदुचेरी	0	0	0.08	0
22	पंजाब	--	--	1.29	49.74
23	राजस्थान	50.56	--	0.48	253.50
24	तमिलनाडु	38.90	5.67	0.07	0
25	तेलंगाना	3.62	0.03	--	0
26	त्रिपुरा	--	--	1.82	0
27	उत्तरप्रदेश	24.29	0.64	0.01	0
28	उत्तराखंड	83.86	2.04	4.30	0
29	पश्चिम बंगाल	2.71	--	--	7.67
	पुदुचेरी का संघशासित प्रदेश				
	कुल	**942.45**	**51.40**	**8.97**	**1004.91**

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1
1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.12 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.9 से 4.11 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।

सारणी सं. 2
2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित *जैसे* - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4
http://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5
अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्ज़िम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6
अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11
सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8
एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9
वित्तीय संस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13
कालम सं (1),(2) और (3) के सामने दर्शाए गए आंकड़े अंतिम (आरआरबी सहित) हैं और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 15 और 16
डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़ कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दिनांक. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी. केका. प्लान .बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।
2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।
4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।
1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।
2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बकैं को अतंरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान
1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान
'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है। हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ो से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का संकेतक । 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं.37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध ।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

टेबल फार्मेट केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है। इसके अतिरिक्त, पहली बार राज्य सरकारों की धारित प्रतिभूतियों को अलग श्रेणी में दर्शाया गया है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं। वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

2011-12 से जीडीपी डाटा 2011-12 के आधार पर हैं। वर्ष 2015-16 का डाटा 26 राज्यों से संबंधित हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन:चुकौती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकौती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजा और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों और 364 दिन के खज़ाना बिलों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय,182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618) में उपलब्ध हैं।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थ व्यवस्था पर सांख्यिकी की हैंडबुक)** में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2018	₹ 300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का अभिदान) ₹3150 (एक वर्ष का रियायती दर*) ₹3360 (एक वर्ष का अंशदान - डाक प्रभार सहित@) ₹2520 (एक वर्ष का रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का अभिदान) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय स्टेट 2016-17 पर सांख्यिकीय हैंड बुक	₹550 एक प्रति (सामान्य) ₹600 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय इकोनॉमी 2016-17 पर सांख्यिकीय हैंड बुक	₹550 एक प्रति (सामान्य) ₹600 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹400 एक प्रति (रियायती) ₹450 एक प्रति (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2016-17 के बजटों का अध्ययन	₹500 एक प्रति (काउंटर पर) ₹550 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 23 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मिंट रोड माइलस्टोन्स: आरबीआई ऐट 75	₹1650 एक प्रति (काउंटर पर)	अमरीकी डॉलर 50 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकांउट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 25 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकी विवरणियां, खंड 41 मार्च 2012	₹270 एक प्रति (कांउटर पर) ₹310 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	अमरीकी डॉलर 10 एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
8. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (कांउटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (कांउटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
10. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (कांउटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
11. प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी - हिंदी)	₹110 एक प्रति (कांउटर पर)	

टिप्पणियाः

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलबध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in)।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

@ इलेक्ट्रानिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते है, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेशः

1. बिकी हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेलः spsdcs@rbi.org.in है।.
5. अभिदान मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंज़िल, मुख्य भवन, मुम्बई - 400 001 को संबोधित होना चाहिए।
   एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित हैः

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8691632-86
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्राति शीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. **कृपया अपना अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई मेल आईडी to spsdcs@rbi.org.in को प्रेषित करें ताकि हम सुचारु रूप से आपके साथ संपर्क कर सकें।**